खण्ड-340, अंक-2
शुक्रवार, 11 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(1 जून, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय सूची

विषय				पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	143—146
प्रश्नोत्तर (जारी)	..	..	..	147–162
व्यवस्था का प्रश्न	..	..	..	162—163
प्रश्नोत्तर	..	..	..	163—170
राजकीय अतिथि गृह, लखनऊ में महिला टेलीफोन आपरेटर के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयत्न	..	..	..	171—172
जिला लखीमपुर खीरी में नक्सल पंथियों के आतंक के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..			172—173
गोरखपुर में पत्रकारों द्वारा काला दिवस मनाने तथा जुलूस निकाले जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान लाना	..	..	..	173
कानपुर में खाद्यान्न योजनान्तर्गत बनाने वाले सम्पर्क मार्गों में अनियमितता के विषय को नियम ३०१ के अन्तगत सदन के संज्ञान में लाना	..	..	..	173—174
राजकीय गेस्ट हाउस में ठहरे एक संसद सदस्य द्वारा शराब पीकर एक हरिजन महिला टेलीफोन आपरेटर के साथ दुर्व्यवहार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	..	..	174—180
बस्ती जिले के इटवा बाजार में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..		..	181
बस्ती के थाना वाल्टरगंज के दरोगा द्वारा श्री हीरा लाल सर्राफ की पिटाई की घटना तथा स्थानान्तरण की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..		..	181—182
हरिद्वार में मकानों को गिराये जाने की नोटिस सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	..	..	182—183
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया)	..	..	..	183
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की नियम समिति (१९७९–८०) का प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के स्थगन की सूचना	..			183

वित्त मंत्री, श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना 184

१९७९-८० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ५३--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र, अनुदान संख्या ८०--पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या ९०--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ११८--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) 185--230

अनुदान संख्या ४६--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या ४७--श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) .. 230--259

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 259

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं 259--260

राजकीय अतिथि गृह में ठहरे संसद सदस्य श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कर्मचारियों के साथ मार पीट तथा एक हरिजन महिला टेलीफोन आपरेटर के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य 260--267

बांदा जिले के कमासिन गांव में भू-दान यज्ञ में प्राप्त जमीन से भूमिहीन खेत मजदूरों एवं हरिजनों को विस्थापित कर कुछ व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य 267--270

ग्राम हसनपुर, जनपद आगरा के खुशीराम धोबी की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. 270--273

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 1 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--२५१

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज़, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश,' डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद,
उदयनाथ, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णबीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री, (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री

तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज," श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बैचू राम, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल, देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री

राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामजी श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम सिंह, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
विरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--श्रम मन्त्री श्री क्रान्ति कुमार तथा हरिजन एवं समाज कल्याण राज्यमन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 1 जून, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कृषि उपकरणों, पम्पिंग सेट आदि के लिए ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क

**१—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किसानों को ट्रैक्टर, कृषि औजार आदि के लिए ऋण लेने पर 10,000 रु० (दस हजार रुपया) से अधिक की धनराशि पर रजिस्ट्री फीस और स्टाम्प देना पड़ता है जिससे किसान पर अतिरिक्त भार पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य प्रदेशों की भांति 60,000 रुपया तक के ऋण पर किसान के हित व कृषि हित में स्टाम्प और रजिस्ट्रशन फीस से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

प्रदेश के किसानों को कृषि उपकरणों तथा मशीनों के अर्जन आदि कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के लिए 10,000 रुपये तथा पम्पिंग सेट या नलकूप स्थापित करने के प्रयोजनार्थ 20,000 रुपये तक के ऋण सम्बन्धी लिखतों को स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है । उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 9 के प्राविधान के अन्तर्गत ऐसे लिखतों पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस देय नहीं है । छूट की उक्त सीमा में वृद्धि करना शासन की वर्तमान आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सम्भव नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

किसान अगर बैंक से 100508 रुपये का भी ऋण लेता है, तो 50 रुपये अधिक होने पर भी उसे स्टैम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों देना पड़ती है, फिर जब उसकी वापसी होती है, तो फिर उसे स्टम्प शुल्क दोनों पड़ता है । इस तरह से किसान को दो बार शुल्क देना पड़ता है । कृषि हित को देखते हुये क्या मंत्री जी इन दोनों तरह की शुल्क की समाप्त की घोषणा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

कृषि हित को ध्यान में रखते हुये ही कृषि उपकरणों पर तथा पम्पिंग सेट्स आदि के लिये 10 हजार और 20 हजार तक की रकम पर छूट दी गयी है । बकों से लेने के संबंध में माननीय सदस्य ने जो कहा कि वापसी पर भी शुल्क दिया जाता है इसकी मैं दिखवा लूंगा और अगर कुछ हो सकता है, तो करूंगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि फाइनेंशियल कारपोरेशन से ऋण लेने पर उद्योगपतियों को केवल रखा जाता है कारखाना और ठेला आपरेटर के लिए केवल रखा जाता है ठला, जो ट्रक आपरेटर बहुत बड़ी हड़ताल कर रहे हैं । क्या किसान के लिए इतना नहीं हो सकता कि जब किसान केवल ट्रैक्टर ले, तो उनकी जमीन बंधक न रखी जाय । केवल जो नीति उसके संबंध में है वही इस संबंध म नीति लागू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि बैंक के मामले में तो दिखवाना पड़ेगा । लेकिन जो यू० पी० एफ० सी० द्वारा दिया जाता है, उसमें प्राविधान है, तो जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके बारे में दिखवाना पड़ेगा ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित पूछता हूं। पहले तो मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि छोटे किसान और बड़े किसान की परिभाषा क्या है ? सीलिंग होने के बाद अब कोई छाटा-बड़ा किसान तो रह ही नहीं गया, ये मंत्री जी किसान हैं नहीं, इन पर 1 बीघा जमीन नहीं है, तो इनको पता ही नहीं है कि किसान छोटा-बड़ा होता है। श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अभागे किसान पर ऐसा काला कानून, ओवा टैक्स क्यों लगाया है ? इसको माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, नागरिक और नागरिक के अन्दर भेद की नीति जो है यह नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मामला आ रहा है, तो किसानों के लिए 20 हजार पर सीमा लगा दी गयी है और ट्रक आपरेटर्स पर 60 हजार की सीमा लगा दी गयी है। तो नागरिक, नागरिक पर यह जो भेद है, किसान को अपनी जमीन बंधक रखनी पड़ती ह, तो यह जो भेदभाव किसानों के और अन्य पेशावरों के बीच रखा गया है, इस भेदभाव को रखन का क्या आधार है ?

श्री मधुकर दिघे--

श्रीमन्, आधार तो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में ही बताया है। अब जो माननीय सदस्य कहते हैं, कि जमीन बंधक रखते समय सीमा लगाने की जो बात है, उसका परीक्षण तो अवश्य किया जायगा। लेकिन जो स्थिति है, उसका उत्तर में आधार बता दिया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

एल० डी० बी० जो ऋण देती है, उसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क एक बार लिया जाता है और बैंकों में 2 बार तो बैंकों में दो बार लिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री मधुकर दिघे--

ये जो कार्मशियल बैंक हैं इनके ऊपर रिजर्व बैंक के नियम लागू होते हैं। एल० डी० बी० के लिए हमने विशेष नियम बनाय हैं और उस आधार पर शासन स्वयं छूट देती है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

पंजाब और हरियाना सरकार ने किसान के हित में 60 हजार रुपये के ऋण पर स्टम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर रखा है जिससे वहां कृषि में उन्नति हो रही है, तो क्या आप भी ऐसा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी आपको जानकारी है ?

श्री मधुकर दिघे--

किन-किन राज्यों में छूट दी गई है, पता लगाया जा रहा है। जहां तक दूसरा प्रश्न है उसमें इस वक्त जो स्थिति है उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि उन्नति नही हो रहीं है। यहां भी कृषि की उन्नति हो रही है।

श्री ऊदल--

रिजर्व बैंक से सिफारिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन शुल्क इन बैंकों में भी एक बार लिया जाये ?

श्री मधुकर दिघे--

इस संबंध में वित्त विभाग में परीक्षण करा लिया जायगा । उसके बाद ही रिजर्व बैंक से बात हो सकेगी ।

सीतापुर जिले में सरकारी कर्मचारियों द्वारा लाटरी टिकट्स की बिक्री

**2--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से लाटरी टिकट बेचे जा रहे हैं ? यदि हां, तो यह लाटरी के टिकट किस अधिकारी द्वारा बेचने के आदेश दिये गये और क्यों ?

श्री मधुकर दिघे--

जी हां ।

यह आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं ।

श्री राम नरायन वर्मा--

क्या यह आदेश दिये गये हैं कि किसानों द्वारा जबरिया टिकट बेचा जाय और इसको रोका जाये, इसका प्रयास करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

इस तरह के आदेश नही दिये गये हैं । कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करने की दृष्टि से यह दिया गया है ।

आचार्य धर्म दत्त वंद्य (जिला बरेली)--

टिकट बेचने वाले का उसमें कमीशन होता है । इसको ध्यान में रखते हुए अगर उनसे काम लिया जायेगा, तो सरकारी काम में बाधा पड़ेगी तथा दबाव व स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को टिकट बेचने की प्रक्रिया को चालू रखेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

अगर इस तरह की कोई शिकायत आयी तो उस पर विचार करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

जो भी कहा गया है वह सीतापुर से सम्बन्धित है । तो मान्यवर, वहां की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये कि प्रत्येक कार्यालय में निर्धारित समय में क्लर्क्स, कर्मचारी लाटरी का टिकट देते हैं । मान्यवर, उन टिकटों को अनिवार्य रूप से जो कास्तकार गल्ला लेने आते हैं, चेक भुनाने आते हैं, ऋण लेने आते हैं उन्हें बेचा जाता है । साथ ही यह भी स्थिति है कि यदि किसी कर्मचारी को 100 रुपये के टिकट दे दिये गये और जोर जबरदस्ती करने के बाद भी वह 50 रुपये के टिकट ही बेंच सका, तो उसके वह 50 रुपये के टिकट वापस नहीं किये जाते, तो क्या मंत्री जी यह व्यवस्था करगे कि जो कर्मचारी स्वेच्छा से एजेन्ट बनना चाहता है उसके माध्यम से ही टिकट बिकवायेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं की जायेगी । क्या यह भी व्यवस्था करेंगे कि किसी कास्तकार के साथ टिकट खरीदने के लिये जोर जबरदस्ती न की जाये ?

श्री मधुकर दिघे--

यह स्पष्ट आदेश हैं कि अनिवार्य रूप से किसी कर्मचारी को जोर देकर टिकट न दिय जायं । अगर सीतापुर में किसी अधिकारी ने इस प्रकार का कार्य किया है, तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा । यह एजेन्ट के रूप में कार्य करते हैं । किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती की बात अगर है, तो कड़ाई से उसे देखा जायेगा ।

श्री मन्जूर अहमद(जिला मेरठ)--

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । मंत्री जी ने कहा कि वह सरकारी कार्य के समय टिकट बेंचने का काम नहीं करते हैं, इसकी क्या गारन्टी है, एक बात दूसरी बात यह कि मेरा आपसे कहना है कि सरकारी कार्य के ही समय टिकट बेंचता ह, जो टिकट नहीं खरीदता है उसका कोई काम नहीं होता ह । मेरी जानकारी को सही मानते हुये क्या मंत्री जी अपने आदेश वापस लेंगे ?

श्री मधुकर दिघे---

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रश्न का जबाब में मैं इसी तरह का दे चुका हूं । पुनः मैं कहता हूं कि आपके ध्यान में कहीं यदि यह जानकारी आई हो तो आप कहें कि फला जगह यह हो रहा है, उसकी मैं जांच करा लूंगा ।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) --

जिस प्रकार पिछली सरकार का नशबन्दी का आदेश था और दूसरा आदेश माननीय मंत्री जी ने जो टिकट बेंचने का दिया है, दोनों आदेशों में कोई फर्क ह । यह जिस प्रकार नशाबन्दी के लिये कोटा मुकर्रर करने के आदेश थे उसी प्रकार लाटरी का कोटा मुकर्रर कर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आक्षेप है ।

श्री राम नरायन वर्मा--

मान्यवर, गेहूं क्रय केन्द्रों में गेहूं नहीं लिया जाता । अगर किसी किसान का गेहूं लिया गया, तो लाटरी का टिकट लेने पर लिया जाता है, बैंकों में भुगतान किया जाता है, तो पहले लाटरी का टिकट दिया जाता है, किसी भी कार्य को करने के लिये पहले लाटरी का टिकट दिया जाता है । क्या माननीय मंत्री जी इस बात को रोकथाम करेंगे कि बिना लाटरी का टिकट खरीदे कोई काम हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें तो उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई शिकायत हुई तो उसकी जांच करा लेंगे ।

विशेष बिक्री कर सर्वे द्वारा बिक्री कर के लिये मारा गया छापा

**3--श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री लाल दास तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में आज कल बिक्री-कर की चोरी के सम्बन्ध में मारे जाने वाले छापे के दौरान विशेष बिक्री-कर सर्वे दल द्वारा व्यापारियों को अपमानित किये जाने की घटनायें शासन की जानकारी में आई हैं जिसके विरोध में व्यापारी संगठित हो बिक्री-कर रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के लिये बाध्य हो रहे हैं ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मधुकर दिघे--

शासन की जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं आयी है जिसमें बिक्रीकर की चोरी के सम्बन्ध में मारे गये छापों के दौरान विशेष बिक्रीकर सर्वेदल द्वारा व्यापारियों को अपमानित किया गया हो। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशीलाल चौधरी--

मान्यवर, मैंने 19 तारीख को माननीय मंत्री जी को इस प्रश्न के द्वारा सूचित कर दिया था कि व्यापारियों को अपमानित किया जा रहा है और व्यापारियों में विद्रोह होने की आशंका है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसकी सूचना के बाद भी सी० आई० डी० क्या कर रही थी, 26 तारीख को बिक्री-कर वालों की घटना अमीनाबाद में घट गयी। तो उनका स्टाफ और सी० आई० डी० क्या करती रही और मंत्री जी को पता क्यों नहीं चल पाया और नीचे से यह सारी कार्यवाही होती रही और यह घटना हो गयी तो खुफिया पुलिस और विभाग के अधिकारी जो थे वह क्या करते रहे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे उठता नहीं है।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यापारियों के यहां यह सर्वे दल जाता है वहां टेलीफोन करके व्यापारी कुछ किराये के गुन्डे बुलवाकर अधिकारियों को धमकाने का काम करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह भी इससे नहीं उठता है।

श्री मन्जूर अहमद--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अरबों रुपया व्यापारी टैक्स का चोरी करते हैं और उसको रोकने के लिये मंत्री जी ने जो नया उपाय निकाला जिससे व्यापारी चोरी न करें। मेरठ में जब अधिकारी गये, तो उनको पकड़ कर मारा गया और दूकान में घुसने नहीं दिया गया, तो सरकार क्या उपाय कर रही है कि यह चोरी रुक जाय और जो सेल्स टैक्स अधिकारी जाते हैं उनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, इस प्रकार की बहुत सी घटनायें पिछले दो-तीन महीनों में हुयी हैं। जो सर्वे दल के अधिकारी गये हैं उनको व्यापारियों ने घेर कर दुर्व्यवहार ही नहीं किया मार-पीट भी की है। यह देखा गया, तो प्रयत्न किया गया कि व्यापारियों से बातचीत करके उनसे निवेदन किया जाय, यह जो सर्वे दल जाता है निहत्था जाता है। केवल तीन आदमी जाते ह, एक सेल्स टैक्स अधिकारी, एक असिसटेंट सेल्स टैक्स अधिकारी और एक कर्मचारी जाता है, तो इन कमजोर लोगों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार न करें। जब यह देखा गया कि जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि इस प्रकार की घटना मेरठ में हुयी और वाराणसी, आगरा में हुई हैं तो उनके लिए यह व्यवस्था की गई कि अगर इस प्रकार की घटनायें हों तो वह सीधे थाने पर रिपोर्ट करें। 26 तारीख को जो घटना हुई वह थाने पर जाने के सम्बन्ध में हुयी।

श्री मन्जूर अहमद—

अरबों रुपयों की जो चोरी करते हैं उस सम्बन्ध में जवाब नहीं दिया ।

श्री विजय राज सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सर्वे दल के सर्वेक्षण के विरुद्ध व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने एक पम्फलेट निकाला है, जिसमें उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वह उड़न दस्ते जब आये तो टेलीफोन पर खबर कर दें, सर्वे नहीं करने देंगे । दूसरे जो उपभोक्ताओं से व्यापारियों ने टैक्स वसूल कर लिया है और उसको जमा नहीं कर रहे हैं, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध से क्या कदम उठा रही है, जिससे जो टैक्स व्यापारियों द्वारा वसूल हो गया है वह सरकारी खजाने में जमा हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका तो मंत्री जी कई मर्तबा जवाब दे चुके हैं ।

विधवा महिलाओं की पेंशन

**4—श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि 1977 के पहले अनाश्रित विधवा महिलाओं को 40 रु० प्रतिमाह की दर से सरकार जो पेंशन दे रही थी उसे बन्द कर देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

जी नहीं । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

श्रीमती राम रति देवी—

उपाध्यक्ष, महोदय ,मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि सन् 75 में 10 लाख रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने दिया था, उससे विधवा महिलाओं को चाहे वह किसी वर्ग की हों पैसा दिया जाता था । जो पुरानी स्कीम थी और विभाग का नाम भी समाज कल्याण है, तो इस कल्याण वाले विभाग के तहत में क्या माननीय मंत्री जी से मंत्रिमंडल के सामने यह समस्या रखेंगी और यह मानने के लिये राजी करेंगी कि इस धनराशि में बढ़ोत्तरी की जाय और इस गरीब वर्ग की जो निराश्रित महिलायें हैं उनको कांग्रेस के समय से जो सुविधायें दी जा रही हैं, वह उनको सुविधायें दी जायं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, यह प्रश्न 1977 से पहले का है तो उस समय जिनको पेंशन मिल रही थी, उनको बन्द करने का विचार नहीं है । माननीय सदस्या, 1675 में जो महिला वर्ष मनाया गया था उसमें 10 लाख रुपया जो है, उसके सम्बन्ध में मैं स्वयं कह रही हूं कि वित्त विभाग ने उसके लिए सहमति नहीं दिया है लेकिन प्रयास जारी है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1977 के बाद इस सरकार के पास कोई इस तरह की योजना विचाराधीन है जिसमे निराश्रित विधवाओं को पेन्शन दी जाय, चूंकि 1977 के पहले 40 रुपये विधवाओं को देने का प्राविधान नहीं था ? यदि हां, तो कितनी नराशि उनको दी जायगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह विभाग 1971-72 से एक योजना चला रहा है जिसमें 10 लाख रुपये विधवाओं को पेंशन देने के लिए है, उससे यह प्रश्न सम्बन्धित है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का कहना है कि मासिक पेंशन 40 रुपये है या ज्यादा दे रही हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

40 रुपये मासिक पेन्शन है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि जो निराश्रित विधवाओं को 40 रुपये देने की व्यवस्था ह उसको देने की प्रक्रिया क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह 40 रुपये पेन्शन उनको दी जाती है जिनके 3-4 बच्चे हैं और उनको हरिजन अधिकारी जिले का देता हैं ।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि 1977 के बाद हमारे जिले में जो 22 विधवाओं को 1977 के पहले पेंशन मिलती थी वह नहीं मिली । विभाग के अधिकारी कहते हैं कि सरकार ने यह पेंशन देना बन्द कर दिया है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रतिवर्ष जो नई एप्लीकेशन आती हैं उन पर भी क्या हर वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तगंत पेंशन देने की प्रथा जारी रखेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, विभाग की जो 10 लाख रुपये की धनराशि है उसमें जो पेन्शन दे रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं ह । लेकिन जो 1975 में महिला वर्ष में 10 लाख रुपया दिया गया है उसमें जिलों में कोई पेन्शन नहीं दी जा रही है चूंकि वित्त विभाग से सहमति नहीं मिली है । नई विधवाओं को पेन्शन नहीं दी जा रही है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि निराश्रित महिलाओं को 40 रुपये पेन्शन दी जाती है, फिर कहा जिनके 4 बच्चे हों उनको दी जाती है । यदि 4 बच्चे जिनके हैं तो वह निराश्रित कैसे हैं ? यह परस्पर विरोधी बातें कैसे हैं ?

श्रीमती चन्द्रवति--

मान्यवर, जिनके छोटे 10 वर्ष से कम आयु के 3-4 बच्चे हैं उन विधवाओं को 40 रुपये निश्चित पेंशन है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

नयी पेंशन के बारे में मान्यवर, बतलवा दें ।

श्रीमती रामवति देवी--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि आज क्या वे महिलायें जिनके बच्चे बालिग हो चुके है, उनको भी यह पेंशन दी जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अपने प्रश्न को कृपया और साफ कर दें ।

श्रीमती रामरति देवी--

माननीय, इस समय भी काफी महिलायें हैं, जो निराश्रित के रूप में नहीं हैं लेकिन पेंशन ले रही ह । तो क्या भविष्य के लिए इसमें विचार करके उन महिलाओं की पेंशन काटकर जो नये प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं, उन पर विचार करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

माननीय सदस्य सूचना देंगी, तो जरूर बिचार होगा ।

श्रीमती रामरति देवी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि निराश्रित महिलाओं को यदि अप्लीकेशन इस तरह से होगी, तो जो सबल हो चुकी हैं और जिनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो चुका है, उनकी पेंशन काटकर उनको देंगी तो इसी संदर्भ में मैं जानना चाहती हूं कि सूरसती और द्विजा महिलायें, जो बिल्कुल निराश्रित हैं,, और मैंने उनके प्रार्थनापत्र दिये हैं, तो क्या उन पर भी नवीनीकरण की तहत में पेंशन देने की व्यवस्था करेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

अवश्य करूंगी, मान्यवर ।

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बतायेगी कि यह जो छोटी-छोटी उम्र की 18/20 साल की लड़कियां विधवा हो जाती हैं, उनको पेंशन देने पर बिचार कर रही हैं या केवल जिनके 4 बच्चे हैं, उन्हीं को देंगी, और उनको नहीं देगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है । उनको भी मिलेगी । लेकिन जिनके बच्चे हैं, उनकी तो विशेष परिस्थिति होती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने बता दिया कि दोनों को मिलेगी ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार जो निराश्रित विधवाओं के सम्बन्ध में पेंशन देने के बारे में जितने प्रार्थनापत्र जिला हरिजन अधिकारी स्तर पर आयेंगे, उन पर विचार करने के बारे में क्या निर्णय लिया है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि 77/78, 78/79 में जिन निराश्रित विधवाओं के प्रार्थनापत्र जिला हरिजन कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होंगे, उनके बारे में 40 रुपये पेंशन देने के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह तो उत्तर से स्पष्ट हो गया कि जो 10 लाख की धनराशि विभाग से है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हैं । लेकिन जो उससे उपरान्त 10 लाख की धनराशि है, उसमें परिवर्तन की बात है ।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

मान्यवर, मेरी सूचना के अनुसार यह है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने हुक्म सिंह परिहार जी को बुलाया है । उनका प्रश्न हो जाने दें ।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

1977-78 में मैंने भी प्रार्थनापत्र दिलाये थे और संस्तुति होने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिली । किसी भी बिधवा को, जिनके प्रार्थनापत्र भेजे थे, पेंशन नहीं मिली । जैसा मंत्री जी ने कहा बजट तो 10 लाख का मिला लेकिन उसका आधा भी खर्च नहीं हो पाया । 1977-78 में कितना खर्च हुआ यह जानकारी मंत्री जी दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर मंत्री जी के पास तफसील में हो तो सूचना दे दें ।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

उनके पास यह सूचना नहीं है । इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे उठता नहीं । मैंने उनसे कहा कि अगर उनके पास जानकारी हो तो दे दें ।

श्री वेद बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

एक कानूनी पेचीदगी की बात है । कोई व्यक्ति है जिसके चार बच्चे हैं । उसकी बीबी के देहावसान हो जाता है । कुछ दिन बाद उस विधुर का सेक्स चेन्ज हो जाता है और वह महिला बन जाता है । क्या उसको भी पेंशन मिलेगी या नहीं ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तगत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*2--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

विकास खंड शमसाबाद, जिला आगरा के अन्तर्गत ओलावृष्टि

*3--श्री हुक्म सिंह परिहार--

क्या सरकार को पता है कि ब्लाक शमसाबाद, जनपद आगरा में फरवरी सन् 1979 में गांव इसौली तथा उसके आस-पास के गांवों में ओलों की इतनी भीषण वर्षा हुई कि रबी की समस्त फसल चौपट हो गई और काफी पशु मर गए तथा कई औरत, मर्द घायल हो गए ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन गांवों में लगान और आबपाशी को माफ करने के आदेश दिए थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो क्या-क्या सहायता इन गांवों को दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री नारायण सिंह)--

जिला आगरा के शमसाबाद ब्लाक के क्षेत्र में दिनांक 19-2-79 को ओलावृष्टि से ग्राम इसौली तथा उसके आस-पास के अन्य 11 ग्रामों में 4362 एकड कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ और विभिन्न फसलों को 20 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हानि पहुंची । किसी मनुष्य या पशु की जीवन हानि नहीं हुई और न ही कोई

(श्री नारायण सिंह)—

औरत या मर्द घायल हुआ । उक्त ओला प्रभावित 12 ग्रामों के 392 परिवारों से मुख्य कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है तथा रबी 1386 फसलों को 67,770 रु० की भू-राजस्व की धनराशि के स्थगन का प्रस्ताव भी जिलाधिकारी द्वारा राजस्व परिषद् को भेजा गया है ।

लगान माफी के अभी कोई आदेश शासन द्वारा नहीं दिए गए हैं । नियमानुसार लगान माफी का प्रस्ताव जिले से राजस्व परिषद् को भेजा जाता है और राजस्व परिषद् की संस्तुति पर ही लगान माफी पर शासन द्वारा विचार कर आदेश दिए जाते हैं । अभी तक राजस्व परिषद् से ऐसी कोई संस्तुति शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, ओलों से 65 फीसदी फसल नष्ट हो गई । ऐसी सूरत में राजस्व परिषद् को जो प्रस्ताव भेजा है वह लगान माफी के लिए है या लगान को स्थगित करने के लिए है ? क्या संस्तुति की गई है ?

श्री नारायण सिंह—

यह तो माननीय सदस्य की जानकारी में होगा कि लगान माफी पर शासन द्वारा विचार करके आदेश दिए जाते ह । माफी के लिए अभी तक राजस्व परिषद् से ऐसी कोई संस्तुति शासन को प्राप्त नहीं हुई ।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मेरा प्रश्न यह है कि जब राजस्व परिषद् द्वारा संस्तुति होगी तब शासन विचार करेगा तो जो जिलाधिकारी ने संस्तुति की है, जैसा कि उत्तर में लिखा हुआ है, वह माफी के लिए है या स्थगित करने के लिए वह बताने की कृपा करेंगे ।

श्री नारायण सिंह—

स्थगन के लिए।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मान्यवर, 75 फीसदी फसल नष्ट हो गई । वहां आबपासी, नहर का क्षेत्र है । क्या माननीय मंत्री जी जो आबपासी का लगान है उसे माफ करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

ओला या इस किस्म की कोई आफत आती है तो जिलाधिकारी स्वयं अधीक्षत है 50 प्रतिकृत तक स्थगन आदेश देने के लिए लेकिन फोरमल इन्फारमेशन के लिए, इजाजत के लिए, बोर्ड के पास भेजते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर 75 प्रतिशत हुआ है, तो नियम के अन्तर्गत उनको मालगुजारी तो समाप्त करनी ही पड़ेगी । पहले जो आदेश होते हैं वे स्थगन के होते हैं उसके बाद मालगुजारी निरस्त की जाती है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि अपने आप लगान माफ हो जाय अगर 75 फीसदी नुकसान हुआ है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिलाधिकारी को राजस्व परिषद् के पास आवेदन करना होगा उस पर विचार शासन करेगी, तभी स्थगन होगा । शासन को जब यह लिखा गया कि

75 फीसदी नुकसान हो गया है, तो शासन के पास अगर पत्र नहीं आया है कि इसे माफ किया जाय तो शासन पूछे कि इस सम्बन्ध में क्यों प्रतिवेदन नहीं दिया जा रहा है राजस्व परिषद् से ?

श्री नारायण सिंह--

ओला या इस किस्म की कोई आफत आती है तो जिलाधिकारी को स्वयं ही अधिकार है 50 प्रतिशत स्थगन आदेश देने के। लेकिन फारमल इनफारमेशन के लिए, इजाजत के लिए, बोर्ड के पास वह भेजते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

स्थगन की बात नहीं हो रही है। वह तो सदा के लिए माफ होने की बात है। आपने यह कहा कि तभी हो सकता है जब जिलाधिकारी उसका प्रतिवेदन देंगे, राजस्व परिषद् को। यह भी इन्होंने कहा कि राजस्व परिषद् से कोई ऐसा पत्र नहीं आया है। इसके माने यह हुए कि माफ नहीं हो सकता। प्रक्रिया क्या है ?

श्री नारायण सिंह--

शुरू में मैंने जवाब दिया था कि जिला अधिकारी स्थगन तो कर सकते ह। अगर माफी का सवाल आयेगा, तो वह फिर राजस्व परिषद् को भेजेगा। राजस्व परिषद् अपनी टिप्पणी के साथ शासन को भेजेगा और शासन उस पर विचार करेगा कि माफ कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

इतना और बता बीजिए जैसा इन्होंने प्रश्न किया कि अभी शासन के पास परिषद् से भी संस्तुति आयी है या नहीं। जिलाधिकारी ने परिषद् को भेजी है या नहीं ?

श्री नारायण सिंह--

इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन शासन को राजस्व परिषद् से अभी नहीं मिली है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि भू-राजस्व की धनराशि का स्थगन का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा राजस्व परिषद् को भेजे गये हैं। और ऊपर लिखा है कि मुख्य कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। और इसका प्रस्ताव जो है वह शासन को भेजा गया है और जो देय था भू-राजस्व का उसका जिलाधिकारी ने स्थगन का आदेश दे दिया और अपने संस्तुति से साथ राजस्व परिषद् को भेज दिया और माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि राजस्व परिषद् से जो प्रस्ताव मंत्री जी के पास आया उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो राजस्व मंत्री ने कहा कि अभी राजस्व परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य---

उत्तर में यह है कि राजस्व की धनराशि स्थगित करके प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा राजस्व परिषद् को भेज दिया गया है ?

श्री नारायण सिंह---

जिलाधिकारी को स्वयं अधिकार है कि वह मौके पर स्वयं ऐक्शन ले सकता है । वह उसकी वसूली स्थगित कर सकता है । फारमल इन्फारमेशन के लिए वह राजस्व विभाग को भेजेगा और राजस्व विभाग शासन के पास भेजेगा वह नहीं आया है, केवल स्थगन का आदेश आया है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री कैलाश चन्द्र सारस्वत, तहसीलदार, लखनऊ का वेतन

*1---श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि 1976 में लखनऊ जिले में कार्यरत एक तहसीलदार जिन्होंने पिछले पन्द्रह वर्षों से इसी पद पर विभिन्न जिलों में काम किया है, को केवल प्रारम्भिक वेतन रु0 400 ही दिया जा रहा है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह---

यह सही है कि श्री कैलाश चन्द्र सारस्वत को, जब यह लखनऊ जनपद में 6 दिसम्बर, 1974 से 6 अगस्त, 1976 तक कार्यरत रहे, रु0 400 का प्रारम्भिक वेतन ही दिया गया । सेवा पुस्तिका तथा अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के न प्राप्त होने के कारण श्री सारस्वत को प्रारम्भिक वेतन दर के अनुसार भुगतान किया जाता रहा ।

आगरा मण्डल के तत्कालीन तहसीलदारों को दक्षतारोक (ई0 बी0)

*2---श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि आगरा मण्डल के तत्कालीन कुछ तहसीलदारों को दक्षतारोक (ई0 बी0) आयुक्त द्वारा सितम्बर, 1969 में पास किए जाने के बाद भी उक्त तहसीलदारों को आज तक उसका लाभ नहीं दिया गया और न उसके अनुसार वेतन वितरण हुआ ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह---

ऐसा कोई मामला नहीं है ।

ग्राम सभा द्वारा खेरिया शिकमी गोहाना, जिला मैनपुरी को भूमि का पट्टा एवं पत्र

*3---श्री जसवीर सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 व 28 दिसम्बर, 1978 का ग्राम सभा खेरिया शिकमी

गोहाना, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी के पट्टों के सम्बन्ध में संलग्नक आदेश, परगनाधिकारी, जसराना, दिनांक 13 अप्रैल, 1973 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां, जनपद मैनपुरी की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना, तहसील जसराना में पट्टे जारी कराए जाने के विषय में प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 परगनाधिकारी, जसराना के आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 1973 की प्रतिलिपि सहित प्राप्त हुआ था इस पत्र पर परगनाधिकारी जसराना द्वारा जांच कराई गई जांच से यह विदित हुआ है कि प्रपत्र 57-ख, जो तत्कालीन परगनाधिकारी जसराना द्वारा स्वीकृत किया गया था, भूतपूर्व प्रधान श्री एदल सिंह द्वारा मौजूदा प्रधान श्री मुहर सिंह को चार्ज में नहीं दिया गया है। जांच से यह भी विदित हुआ है कि उपरोक्त पट्टे अनियमित हैं तथा अभिलेखों में जालसाजी की गई है। अतएव, पट्टों के अमल दरामद का प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 का प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

[दिनांक 1 जून, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आगरा जिले के फिरोजाबाद में यमुना की बाढ़ से भूमि को क्षति

*1--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में क्या गत जमुना नदी में आई बाढ़ 1978 में 12 गांव की खेती मकान सम्पत्ति नष्ट हुई और 22 ग्रामों की दोहरी फसल उपजाऊ भूमि पर 10 से 15 फुट तक बालू की मोटी तह जमा हुई जिससे 60 प्रतिशत उपजाऊ भूमि हमेशा को नष्ट हो गई ? और क्या फरवरी, 1979 में पुनः यमुना में बाढ़ से उक्त ग्रामों की फसल को नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्या शासन उन बर्बाद किसानों को तुरन्त पुनर्वासित करेगा ?

श्री नारायण सिंह---

गत वर्ष यमुना नदी में आई बाढ़ से जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के कुल 19 ग्राम तथा उनकी 1,212 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई। 353 मकान पूर्ण रूप से तथा 336 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 12 ग्रामों की 296 हेक्टेयर भूमि पर 1 फुट से 8 फुट तक बालू की तह जमा होने के कारण कृषि योग्य भूमि में 85 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक क्षति हुई है। फरवरी, 1979 में पुनः यमुना नदी में बाढ़ के बक्त ग्रामों की फसल की कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 296 हेक्टेयर भूमि में 1 फुट से लेकर 8 फुट तक बालू जमा हो गयी है और 85 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक क्षति हुई है। मेरे प्रश्न का शेष भाग है क्या सरकार उनको पुनर्वासित करने

की कृपा करेगी ? मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के अंश को उद्धरित करते हुए यह जानना चाहता हूं चूंकि 296 हेक्टेयर भूमि पर 1 से 8 फुट बालू जमा हो गया है जो कषि योग्य नहीं रह गई है जिसमें शत प्रतिशत नुकसान हो गया है तो क्या वह इन किसानों को पुनर्वासित करने की कृपा करेंग ?

श्री नारायण सिंह—

आम तौर से जहां बाढ़ आ जाती है नदी अपना रेत 8 फुट तक छोड़ जाती है लेकिन साल दो साल में वहां पैदावार होने लगती है । अगर इस क्षेत्र में पैदावार नहीं हो पायेगी और यदि माननीय सदस्यों को यह जानकारी हो, तो वह अवश्य ऐसा प्रार्थना-पत्र दें, तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

यह जमुना जी की बाढ़ जैसी बाढ़ नहीं है । यह अप्रत्याशित बाढ़ थी और बहुत प्रलयकारी थी और वह भूमि कभी खेती योग्य नहीं बन सकती । इससे जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है शत प्रतिशत उनको पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी तो आप पर है, तो क्या उनको पुनर्वासित करने की योजना आप बनायेंगे ?

श्री नारायण सिंह--

मैंने माननीय सदस्य से कहा कि ऐसा कोई प्रार्थना पत्र आयेगा तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार आगरा में जमुना की बाढ़ से खेतों में 1 से लेकर 8 फुट तक बालू जम गई है तो वहां के किसानों के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री ने कहा कि यदि उनका प्रार्थना-पत्र आयेगा तो पुनर्वासित करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा विचार करेंगे ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मैं जानना चाहता हूं कि बेतवा की बाढ़ से जालौन जनपद के जिन खेतों में 2 से लेकर 10 फुट तक बालू चढ़ गई है और उनकी खेती कृषि योग्य नहीं रह गई है । इसलिये क्या माननीय मंत्री जी उनके यहां के इस तरह के प्रार्थना पत्र पर भी विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिये आप अलग से प्रश्न करें ।

*2—श्री नरेश चन्द्र--

[6ठें शुक्रवार के लिए स्थगित] ।

*3—श्री राजमंगल तिवारी--

[6ठ शुक्रवार के लिए स्थगित] ।

*4--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय मन्त्री को प्रार्थना पर स्थगित] ।

फैजाबाद की तहसील टाण्डा में चकबन्दी विभाग के अप्रशिक्षित लेखपाल

*5--श्रीमती रामरति देवी--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि फैजाबाद की टांडा तहसील में गत 8 मास के अन्दर चकबन्दी विभाग में कार्यरत कुछ लेखपालों, जिनको सेवायें 5 वर्ष हो गई है, को अनुभव के आधार पर उन्हें प्रशिक्षित माना गया है और उसी तहसील के कलेक्शन विभाग के लेखपालों, जिनकी सेवायें 10 वर्ष हो चुकी है, को अनुभव के आधार पर प्रशिक्षित नहीं माना गया है ? क्या सरकार चकबन्दी विभाग की भांति कलेक्शन विभाग के लेखपालों को भी अनुभव के आधार पर प्रशिक्षित घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण सिंह--

उत्तर प्रदेश चकबन्दी लेखपाल सेवा नियमावली, 1978, के प्राविधानों के अनुसार चकबन्दी लेखपालों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में ऐसे अभ्यर्थियों को जो अप्रशिक्षित होते हुए चकबन्दी विभाग में तीन वर्ष से अधिक की निरन्तर सेवा कर चुके हैं, प्रशिक्षण से मुक्त मान लिया गया है । पर जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा में गत 8 मास के अन्दर चकबन्दी विभाग में कार्यरत चकबन्दी लेखपालों को, जिनकी सेवायें 5 वर्ष हो गई हैं, अनुभव के आधार प्रशिक्षित माने जाने के सम्बन्ध में अलग से कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

कलेक्शन विभाग में लेखपालों का कोई पद नहीं होता अतः उन्हें अनुभव के आधार पर प्रशिक्षित घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती रामरति देवी--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे जैसे कि उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के आधार पर चकबन्दी अधिकारियों के आदेश न होने के बावजूद भी इस तरह से मुस्तकिल मान लिया गया है और किन कारणों से तहसील स्तर के लोगों को नहीं माना जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह केवल चकबन्दी लेखपालों के लिये है ।

श्रीमती रामरति देवी--

मान्यवर, उनका काम भी वही है । उनका 10 साल का अनुभव है और इनका 5 साल का है । तो क्या सरकार विचार करेगी कि उनको भी इस तरह से मुस्तकिल माना जाय ?

श्री नारायण सिंह--

माननीय सदस्या की जानकारी के लिये बता दूं कि लेखपालों का एक नियम है और उसके मातहत ही उनकी तरक्की होती है । अमीनों का सिलसिला दूसरा है । माननीया सदस्या इस शक्ल में सवाल लायेंगी तो मैं उसका जवाब दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

ये प्रश्न समाप्त हुये... (व्यवधान) ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मन्जूर अहमद--

एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य नहीं थे उनको फिर दुबारा बुलाता हूं...

श्री मन्जूर अहमद--

व्यवस्था का सवाल है...

[कांग्रेस और कांग्रेस (आई०) के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।]

श्री राम आसरे वर्मा--

एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री छेदी (जिला गोन्डा)--

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, ये शराब की बोतलें हैं । शराब पी कर एक संसद सदस्य स्टेट गेस्ट हाउस में गये और उन्होंने हरिजन महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की...

(व्यवधान)

(माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित होकर दो शराब की बोतलों को माननीय उपाध्यक्ष को दिखाते हुये ।)

श्री छेंदी--

हरिजन महिला के साथ बद्तमीजी की गई, उन्होंने एफ० आई० आर० दर्ज कराई है ।

श्री मन्जूर अहमद--

मुलजिम को गिरफ्तार करवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं पहले प्रश्नों को ले लूं कुछ माननीय सदस्य नहीं थे उनके प्रश्न रह गये थे ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री देवबहादुर सिंह जी, कुछ ऐसे प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य हैं जो अनुपस्थित थे उनके प्रश्न रह गये थे (व्यवधान) अभी प्रश्न ही

समाप्त नहीं हुए आप समझ लें उनको दुबारा मौका दिया जाता है । कृपया सदन में शान्ति रखें ।

प्रश्नोत्तर [क्रमागत]

*6-20--[नियम 47(1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

देवरिया जिले के चकिया कार्य की सीलिंग भूमि का चकिया अस्पताल को हस्तान्तरण

*21--श्री राज मंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में चकिया फार्म की सीलिंग से निकली भूमि में करीब 5 एकड़ भूमि चकिया अस्पताल को देने के लिये प्रश्नकर्ता की कोई दरख्वास्त जिलाधिकारी देवरिया को 6 मास पूर्व मिली ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां ।

चकिया फार्म की सीलिंग के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित 5 एकड़ भूमि दिनांक 6-1-1968 को ही चकिया अस्पताल के निर्माणार्थ आवंटित कर दी गई थी ।

श्री राजमंगल तिवारी--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मंत्री जी ने बतलाया कि 68 में जमीन दी गई लेकिन अभी तक वह अस्पताल के नाम ट्रान्सफर नहीं हुई है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री जी इस तरह के आदेश देंगे, जिससे वह जमीन अस्पताल के नाम ट्रान्सफर हो जाय ?

श्री नारायण सिंह--

माननीय सदस्य की जानकारी के लिए 6-1-68 के शासनादेश से हास्पिटल को दे दी गई है और 19-2-68 को अस्पताल के नाम अमल दरामद हो गई । 23-12-78 को विधायक जी को भी डी० एम० ने इस चीज से अवगत करा दिया है ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री राम सजीवन--

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

2--श्री चन्द्र भान मौर्य--

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

इटावा जिले के ग्राम बराखेड़ा में चकबन्दी की मांग

3--श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के ग्राम बराखेड़ा के किसानों ने जनवरी, 1975 में चकबन्दी आयुक्त को इस गांव में चकबन्दी करने के लिए आवेदन-पत्र दिया था जिसके आधार पर विभागीय सर्वे हुआ था और 47 प्रतिशत भूमि चकबन्दी के योग्य साबित हुई और तत्कालीन बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी कानपुर ने चकबन्दी करने के लिये संस्तुति की थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त ग्राम को चकबन्दी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह--

जिला इटावा के ग्राम बराखेड़ा के कृषकों का जनवरी, 1975 का प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ था । इस ग्राम के कृषकों का दिनांक 9-10-74 का प्रार्थना-पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था जिसकी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से जांच कराई गई । जांच में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने उक्त ग्राम को चकबन्दी योजना में शामिल किए जाने की संस्तुति की थी परन्तु साथ में अतिरिक्त स्टाफ की मांगें भी की थी, जो उस समय उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं था ।

4--श्री राज किशोर तिवारी--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के ग्राम बराखेड़ा में चकबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में वहां के किसानों का प्रार्थना-पत्र जिसमें चार विधायकों ने संस्तुति की थी और उस पर राजस्व मन्त्री ने चकबन्दी आयुक्त को दिनांक 30 मार्च, 1978 को आदेश दिया था कि सम्बन्धित ग्राम को चकबन्दी में शामिल कर लें ? यदि हां, तो उक्त ग्राम बराखेड़ा जिला इटावा में चकबन्दी का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां । ग्राम बराखेड़ा जिला इटावा में चकबन्दी क्रियायें प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) की विज्ञप्ति दिनांक 28-3-79 को जारी कर दी गई है ।

5--श्री राम सिंह--

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

6--श्री राम सजीवन--

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

7--श्री राम सजीवन--

[8-12-78 को अतारांकित प्रश्न संख्या 59 द्वारा उत्तरित ।]

8--श्री रियासत हुसेन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

9--श्री औतान सिंह--

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

सीतापुर जिले में अनुसूचित जाति के छात्रावास के निर्माण पर विचार

10- श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीतापुर जनपद में एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रावास के निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह छात्रावास कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सीतापुर जनपद में अनुसूचित जातियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण शासन के विचाराधीन हैं । परन्तु अभी तक उपयुक्त भूमि का चयन नहीं हुआ है भूमि का चयन होने के पश्चात निर्माण कार्य किया जायगा ।

मोहन लालगंज तहसील लखनऊ में पुनः चकबन्दी की मांग

11--श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ जनपद की मोहनलाल गंज तहसील में पुनः चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में शासन ने अभी हाल में निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब तक चकबन्दी की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां । मोहन लाल गंज तहसील उन तहसीलों में से एक तहसील हैं, जिनमें पुनः चकबन्दी कराने का निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है । दुबारा चकबन्दी के लिए तहसीलें साधारणतया उसी क्रम से ली जा रही है जिस क्रम से पहले चक्र में उन तहसीलों में चकबन्दी हुई थी । अनुमान है कि मोहन लाल गंज तहसील में दुबारा चकबन्दी का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक या सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ हो जायगा ।

लखनऊ तहसील के कानूनगो श्री उमा शंकर द्विवेदी की तहसीलदार के पद पर नियुक्ति

12--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या राजस्व मन्त्री को इस बात की सूचना हैकि लखनऊ तहसील के वर्तमान कार्यकारी तहसीलदार केवल स्थायी कानूनगो ही हैं ? जबकि दो अन्य नायब तहसीलदार स्थायी और वरिष्ठ नायब तहसीलदार हैं और उनमें से किसी को कार्यवाहक तहसीलदार ने नियुक्त कर वर्तमान कार्यकारी तहसीलदार को चार्ज दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान कार्यकारी तहसीलदार को अविलम्ब हटा कर स्थायी एवं सीनियर नायब सहसीलदार को कार्यकारी तहसीलदार नियुक्त करेंगे ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां, दो स्थायी नायब तहसीलदारों के होते हुए भी श्री उमा शंकर द्विवेदी, जो केवल एक स्थायी कानूनगो है, को लखनऊ तहसील में तहसीलार की एक रिक्ति में नियुक्त किया गया था । श्री द्विवेदी को अब वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया है और उस पद पर एक स्थायी एवं वरिष्ठ नायब तहसीलदार की तैनाती के आदेश कर दिये गये हैं ।

13--श्री गौरी शंकर भैया तथा श्री राम गोबिन्द--

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

14--श्री राम सजीवन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

15--श्री भगवती सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

बांदा जिले में निबन्धन विभाग के अनुसूचित जाति के निबन्धन लिपिक, श्री श्रीराम वर्मा की सेवा समाप्ति

16--श्री देव कुमार--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा में निबन्धन विभाग के अन्तर्गत निबन्धन लिपिक के पद पर कार्यरत एक हरिजन लिपिक को जिला निबन्धक के आदेश दिनांक 22 फरवरी, 1978 द्वारा कोटा पूरा न होने के बावजूद भी सेवा मुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी को पुनः निबन्धन लिपिक के पद पर नियुक्त कर न्याय देने की कृपा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

यह सही है कि जिला बांदा में निबन्धन विभाग के अन्तर्गत निबन्धन लिपिक के पद पर कार्यरत एक अनुसूचित जाति के अनुमोदित अभ्यर्थी श्री श्रीराम वर्मा को जिला निबन्धक के आदेश दिनांक 22-2-1978 द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया था । सेवा मुक्ति के समय बांदा जिले में कुल 10 निबन्धन लिपिकों में से अकेले वे ही अनुसूचित जाति के थे परन्तु उनका नाम बांदा जनपद की अनुमोदित सूची में जिस स्थान पर था उसी के अनुरूप उनकी सेवा समाप्त की गयी थी । अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण सम्बन्धी प्राविधानों तथा रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग-2 के अनुमोदित अभ्यर्थी सूची बनाने सम्बन्धी प्राविधानों में निहित विधिक बिन्दुओं का परीक्षण किया जा रहा हैं और तत्पश्चात इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा ।

अनुसूचित जाति के सहायक लेखाधिकारी की नियुक्ति

17--श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर कितने-कितने अभ्यर्थी नियुक्त किए गए तथा उनमें अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी लिए गये ?

श्री मधुकर दिघे--

वर्ष 1976-77, 1977-78 एवं 1978-79 में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर क्रमशः 16, 6 व 101 अधिकारी नियुक्त किए गए जिनमें पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध अनुसूचित जाति के क्रमशः एक शून्य तथा सात अभ्यर्थी नियुक्त किए गए ।

चकबन्दी कमेटी, ग्राम सभा रामपुर हिरामन तथा पिपरा मदन गोपाल, जिला देवरिया का चकबन्दी सम्बन्धी पत्र

18--श्री बांके लल (जिला देवरिया) तथा श्री बसन्त (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान व सदस्य, चकबन्दी कमेटी, ग्राम सभा रामपुर हिरामन सहायक चकबन्दी हल्का नं० 10 (दस) क्षेत्र शामपुर व चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र देवरिया सदर, जिला देवरिया ने अपने ग्राम में आबादी व अन्य आवश्यक चकों में संशोधन हेतु कोई पत्र रजिस्टर्ड डाक सं० 5449, दिनांक 21 फरवरी, 1979 द्वारा राजस्व मन्त्री को भेजा है ? यदि हां, उस पर क्या कार्यवाही की गयी और नहीं, तो क्यों ? तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान व सदस्यगण चकबन्दी कमेटी, ग्राम सभा पिपरा मदन गोपाल सहायक चकबन्दी हल्का नं० 10 (दस) चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र देविरया सदर, जिला देवरिया ने अपने ग्राम के नन्द टोला में चक रोडों में सुधार एवं आबादी में संशोधन हेतु जो रजिस्टर्ड पत्र सं० 5448, दिनांक 21 फरवरी, 1979 को राजस्व मन्त्री को भेजा था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी और नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा इलाहाबाद के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

19--श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि परीक्षक अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत (श्री अयोध्या प्रसाद हरिजन व श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव) चपरासियों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा गुण्डों द्वारा पिटवाने की रिपोर्ट उक्त चपरासियों ने 12 व 13 मार्च, 1979 व दूसरी रिपोर्ट 3 अप्रैल, 1979 को 323/504/506 आई० पी० सी०, थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद में दर्ज कराई गयी? यदि हां, तो क्या सरकार श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, परीक्षक अधिकारी के विरुद्ध जांच करा कर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री मधुकर दिघे--

दिनांक 12-3-1979 को किसी भी चपरासी द्वारा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के विरुद्ध कर्नलगंज पुलिस थाना, इलाहाबाद में रिपोर्ट लिखाये जाने की सूचना नहीं है । दिनांक 13-3-1979 को श्री अयोध्या प्रसाद चपरासी तथा दिनांक 3-4-1979 को श्री श्याम नरायन चपरासी द्वारा पुलिस थाना कर्नलगंज में श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध धारा 323/504/506 आई० पी० सी० के अन्तर्गत रिपोर्टस लिखाई गई थी जिन पर पुलिस ने अपनी तफतीश करके निम्नलिखित रिपोर्ट प्रेषित की है :

"रिपोर्ट धारा 323/504/506 आई० पी० सी० थाना में दर्ज कराया जो गैर दस्त हैं । अदालत से ताल्लुक है । जुर्म दस्त का होना नहीं पाया जाता । तमामी जांच से विदित हुआ कि दोनों चपरासियों का तबादला

जिला गैर के लिये हुये हैं महज तबादला पर न जाने के कारण दरख्वास्त बढ़ा चढ़ा कर दिये हैं। पुलिस कार्यवाही की जरूरत नहीं पायी जाती।" पुलिस की उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के विरूद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

20--श्री राम सजीवन--

[6ठें शुक्रवार के लिए स्थगित]

देवरिया, पडरौना तहसील में चकबन्दी

21--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील में चल रहे जमीन के बन्दोबस्त के दौरान जहाँ चक प्रविष्ट हो गए हैं पमाईश के अभाव में फसलें नहीं बोई जा रही हैं और हरित क्रान्ति को गहरा आघात पहुंच रहा है ? यदि हां, तो चक प्रविष्ट क्षेत्रों में तत्काल युद्ध स्तर पर पैमाइश कराकर हरित क्रान्ति को बल पहुंचाया जायेगा ?

श्री नारायण सिंह--

जनपद देवरिया, तहसील पडरौना में वर्ष 1978-79 मे 121 ग्रामों में चक प्रस्तावों का पुष्टिकरण किया गया। इनमें से 65 ग्रामों में चकों की पैमाईश कर दी गई है और शेष 56 ग्रामों में चकों की पैमाईश का कार्य चल रहा है। उक्त ग्रामों में बरसात प्रारम्भ होने के पूर्व पैमाईश का कार्य समाप्त कराये जाने का यथा सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

देवरिया जिले के कतिपय विकास खण्डों में मुसहर व भेंडिहार जाति के उत्थान की माँग

22--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को जानकारी है कि पडरौना तहसील के पडरौना विकास खण्ड तथा विशुनपुरा विकास खण्ड में आदिवासी मुसहर जाति तथा भेंडिहार जाति के उत्थान कल्याण कारी प्रभावी योजना लागू की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती--

पडरौना तहसील के पडरौना विकास खण्ड तथा विशुनपुरा विकास खण्ड के आदिवासी मुसहर जाति तथा मेंडिहार जाति के उत्थान हेतु कोई विशेष योजना नहीं है।

मुसहर जाति अनुसूचित जाति में आती है। इन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाली सभी सुविधायें उपलब्ध हैं।

मेडिहार जाति अनुसूचित जाति की सूची में नहीं हैं।

गोरखपुर जिले के सरदार नगर का नाम शहीद बन्धू सिंह नगर रखने की मांग

23--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने सरदार नगर का नाम बदल कर शहीद बन्धु सिंह नगर रखने की मांग माननीय

वित्त मन्त्री से की थी ? क्या माननीय मन्त्री जी ने नाम बदलने का भी आश्वासन जनवरी, 1979 व इससे पूर्व जनवरी, 1977 में छवैला मेले में दिया भी था ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या प्रयास किया ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां । माननीय वित्त मन्त्री जी ने सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने का आश्वासन भी दिया था । प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है ।

वाराणसी जिले में चकबन्दी एवं हरिजनों को भूमि का आवंटन

24--श्री बेचूराम (जिला वाराणसी)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के कुल कितने गांवों में चकबन्दी ऐक्ट की धारा 52 का प्रकाशन कर दिया गया है तथा उनमें से कितने गांवों में हरिजनों को भूमि आवंटित की गई तथा कब्जा दिलाया गया है ?

श्री नारायण सिंह---

जनपद वाराणसी के कुल 1944 ग्रामों के धारा 52 का प्रकाशन किया जा चुका है । इसमें से 1238 ग्रामों में हरिजनों को भूमि आवंटित की गई तथा उन्हें कब्जा दिलाया गया है ।

वाराणसी जिले के हरिजन छात्रों को दी गई छात्र-वृत्ति

25--श्री बेचूराम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1978-79 में वाराणसी जनपद में कुल कितने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई ? तथा कितने छात्रों को नहीं स्वीकृत की गयी ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रथम किस्त का भुगतान समस्त छात्रों को कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती --

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

सीतापुर जिले के ग्राम लालपुर (मजरा गौरियाह कलां) में अग्नि काण्ड

26--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील सीतापुर में परगना कैसरबाद के ग्राम लालपुर (मजरा गौरियाह कलां) में दिनांक 31 मार्च, 1979 को भीषण अग्निकाण्ड हो गया तथा एक महिला की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो अनुमानित हानि क्या है तथा सरकार द्वारा क्या सहायता की गई है ?

श्री नारायण सिंह---

प्रश्नगत ग्राम में दिनांक 1 अप्रैल, 1979 को (न कि 31 मार्च, 1979 को) अग्निकांड हुआ था जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई । उक्त अग्निकाण्ड में 19 परिवार प्रभावित हुए तथा 16,800 रु० की अनुमानित क्षति हुई ।

प्रभावित परिवारों को 300 रु० प्रति परिवार की दर से सहायता देना स्वीकृत किया गया जिसमें से 200 रु० प्रति परिवार की दर से वितरित किया जा चुका है तथा शेष 100 रु० प्रति परिवार दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री ए० एन० त्रिपाठी, बिक्री कर अधिकारी, आगरा का स्थानान्तरण

27--श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

श्री गुलाब सेहरा तथा श्री श्यामदत्त पालीवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये द्वितीय सत्र 1978 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के संदर्भ में क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए० एन० त्रिपाठी के स्थानान्तरण आदेश का पालन हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री ए० एन० त्रिपाठी के स्थान पर श्री के० एन० त्रिपाठी, बिक्री-कर अधिकारी का तबादला किया गया ?

श्री मधुकर दिघे--

श्री ए० एन त्रिपाठी, बिक्रीकर अधिकारी को आगरा से अन्यत्र स्थानान्तरित करके आदेशों का अनुपालन हो गया है । यह सही नहीं है कि ए० एन० त्रिपाठी, बिक्रीकर अधिकारी के स्थान पर श्री के० एन० त्रिपाठी का तबादला किया गया ।

फर्रुखाबाद जिले में ओला वृष्टि

28--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फरवरी-मार्च, 1979 में फर्रुखाबाद जनपद में ओला-वृष्टि से कितना नुकसान हुआ है और सरकार की ओर से इन किसानों को क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री नारायण सिंह--

जनपद फर्रुखाबाद में दिनांक 28 जनवरी, 1979, 18 फरवरी, 1979 तथा 19 फरवरी, 1979 को उपलवृष्टि हुई जिसमें जनपद के कुल 450 ग्राम प्रभावित हुए । इन ग्रामों में से 370 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक क्षति हुई है । प्रभावित क्षेत्रफल 1,16,174 एकड़ है । कुल अनुमानित क्षति मुवलिग 822.42 लाख रुपया की है ।

प्रभावित कृषकों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है :--

1--अहेतुक सहायता	..	72,755 रु०
2--गृह निर्माण सहायता	..	1,000 रु०
3--आपदा तकावी	..	27,000 रु०
4--निःशुल्क गेहूं	..	2,000 कुन्तल
5--कृषि देयों की वसूली का स्थगन	..	33,06,234 रु०

राजकीय अतिथि गृह, लखनऊ में महिला टेलीफोन आपरेटर के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयत्न

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

एक औचित्य का प्रश्न है राजकीय अतिथि गृह में परसों रात 10 बजे हरिजन महिला जो टेलीफोन आपरेटर थी, के साथ अभद्र व्यवहार किया गया इस-लिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं....।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

उसने हजरतगंज कोतवाली में एफ० आई० आर० लिखवाया है....।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसे नियम 301 में स्वीकार किया है ।

(श्री मंजूर अहमद, श्री छेदी, श्री राम आसरे वर्मा आदि कई सदस्य खड़ होकर बोलने लगे ।)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.... ।

श्री उपाध्यक्ष--

कई माननीय सदस्य बोल रहे हैं, किसी का नहीं लिखा जायेगा । नियम 301 को हमको पहले लेने दीजिये उसके बाद अगर आपकी कोई सूचना हो, तो वह आप उठायें ।

(अत्यधिक व्यवधान)

औचित्य का प्रश्न इस तरह से शोर मचाने से थोड़े आयेगा । इससे कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है ।

(श्री राघवराम मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मन्जूर अहमद--

मेरी पहले सुन लें । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मैंने यह प्रश्न पहले उठाया था ।

श्री रान आसरे वर्मा--

मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मैं नियम 301 की सूचना ले लूंगा तब आप औचित्य का प्रश्न रखियेगा ।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

अब एक नये दूसरे संजय गांधी बन गये हैं उत्तर प्रदेश में और ऐसे आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है....।

(श्री राम आसरे वर्मा और श्री मन्जूर अहमद साथ-साथ बोलते रहे ।)

(व्यवधान)

यदि आप इजाजत नहीं देते हैं, तो मैं दिन भर के लिए सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री देव बहादुर सिंह के प्रयास से रुक गये)

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद--

उन्होंने 70 साल के बूढ़े को मारा है....।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जिस दिन नेताओं की मीटिंग हुई थी, उस दिन तय हुआ था कि जो सूचनायें नियम 51, 56 आदि में दी जायेंगी, उन्हें 301 में स्वीकार न करके, उन्हीं किन्हीं नियमों में स्वीकार किया जाय । मुझे मालूम हुआ है कि जो मन्जूर साहब ने दिया है, उसको आपने 301 म स्वीकार किया है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद सदन से उसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो इस विशेष घटना के लिए आप इजाजत दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर मैं विचार कर लूंगा ।

श्री मन्जूर अहमद--

अब आप किसी को समय देंगे तो हम सदन नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

जिला लखीमपुर खीरी में नक्सलपंथियों के आतंक के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि हमारे जिले लखीमपुर में नक्सलवादियों के क्रियाकलाप बहुत तेजी तथा उग्र रूप से बढ़ रहे हैं तथा उन नक्सलवादियों को शासन के कुछ वरिष्ठ लोगों का भी संरक्षण प्राप्त है । हमारे जिले में पलिया क्षेत्र में एक प्रमुख फार्मर हर भगवान शाह का अभी कुछ दिन पहले ही नक्सलवादियों ने हत्या कर दी तथा उस क्षेत्र के तथा मैलानी क्षेत्र के कई प्रमुख फार्मरों की हत्या की धमकी नक्सलवादियों द्वारा दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जा रही है । नक्सलपंथी फार्मरों की फसल जबरदस्ती कटवा लेते हैं तथा उनके खेतों को भी जबरदस्ती जोत लेते हैं । वे खुले आम कहते घूमते हैं कि हमको तो नेताजी का संरक्षण प्राप्त है । मेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । मन्त्री लोग तो उनके कहने में हैं ।

महोदय, नक्सलवादियों के इस प्रकार से आतंक मचाने के कारण गोला से पलिया तथा सम्पूर्णनगर तक के नागरिकों म भयंकर आतंक एवं भय व्याप्त है । मेरा गृह मन्त्री से अनुरोध है कि वे उस क्षेत्र के नक्सलवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें । चाहे उन्हें किसी नेता जी का संरक्षण ही क्यों न प्राप्त हो तथा उस क्षेत्र में पी० ए० सी० की गश्त की तुरन्त व्यवस्था करें ।

गोरखपुर में पत्रकारों द्वारा काला दिवस मनाने तथा जुलूस निकाले जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

महोदय, पिछले सप्ताह गोरखपुर के पत्रकारों ने 'काला दिवस' मनाया, जुलूस निकाला और सड़कों पर प्रदर्शन किया । पत्रकार अपने उत्पीड़न, जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें अपमानित किये जाने तथा असुरक्षा के विरुद्ध यह कदम उठाने के लिये बाध्य हुए । सरकार द्वारा पत्रकारिता को निष्पक्ष एवं निर्भीक बनाने के सम्बन्ध म यदि शीघ्र समुचित कदम उठाने का प्रयास न हुआ तो वे पत्रकार लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष करने पर बाध्य होंगे । पत्रकारों के इस प्रदर्शन से बुद्धिजीवियों, शिक्षकों में प्रशासन के प्रति रोष है । जनता सरकार पत्रकारों की आजादी के लिए जहां वचनवद्ध है वहां पत्रकारों का उत्पीड़न व अपमान अत्यन्त ही खेद का विषय है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट कर पत्रकारों की मांगों पर शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग करता हूं ।

कानपुर में खाद्यान्न योजनान्तर्गत बनने वाले सम्पर्क मार्गों में अनियमितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जनपद कानपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे सम्पर्क मार्गों में घोर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मैं उसकी (व्यवधान) ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्पर्क मार्गों के निर्माण म रुपये के बदले खाद्यान्न देने की व्यवस्था है परन्तु तत्कालीन जिला विकास अधिकारी श्री एस० पी० सिंह विसेन द्वारा ब्लाक पतारा, मलासा, घाटमपुर राजपुर, इतरगांव तथा संदलपुर के खण्ड विकास अधिकारियों से मिलकर सारा खाद्यान्न सीधे बाजार में बेच लिया गया । मजदूरों के प्रतिदिन 3 रु० के हिसाब से मजदूरी दी गई और ठेकेदार द्वारा काम कराया गया । ब्लाक पतारा के खण्ड विकास अधिकारी श्री लक्ष्मीशंकर बाजपेयी ने बिडी, शियढारी सम्पर्क मार्ग के निमाण में अभी तक 160 मजदूरों को रुपया भुगतात नहीं किया है, अधिकांश मजदूर मिलकर मा० जिलाधिकारी

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मौजी लाल कुरील—]

कानपुर के बंगले पर प्रदर्शन किया और दो दिन की भूख हड़ताल भी की, परन्तु अभी तक उन मजदूरों को न पैसा मिला और न खाद्यान्न ही दिया गया है। क्षेत्र के हरिजन मजदूरों में इस पैसे के भुगतान न होने के कारण मजदूरों में बेचैनी है।

इसी प्रकार उन्हीं सम्पर्क मार्गों में खड़न्जा लगाने के लिये ग्राम भोगनीपुर के एक ईंट भट्ठा मालिक को पूरे जिले का खडंन्जा लगाने का 10 लाख रु0 का ठेका दिया गया है। यह ठेका पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियर ने दिया है। ठेकेदार सम्पर्क मार्गों पर पक्की अव्वल ईंट के बदले कच्ची कमजोर ईंट बिछाकर सम्पर्क मार्गों को खराब कर कमीशन पर काम कराया जा रहा है। मैंने दो सम्पर्क मार्गों को देखा। मुगलरोड से शेखपुर तथा देवीपुर से कैलई जहां पर कच्ची ईट लगाकर पक्की ईट का दाम काट कर सड़कों को खराब किया गया है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के बिषय पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि पूरी जांच करवा कर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करवायें और मजदूरों का पैसा दिलाया जाय तथा 10 लाख रु0 की ईंट भट्ठे के ठेकेदार का ठेका कैंन्सिल करवाया जाय।

राजकीय गेस्ट हाउस में ठहरे संसद सदस्य द्वारा शराब पीकर एक हरिजन महिला टेलीफोन आपरेटर के साथ दुर्व्यवहार के विषय को नियम 301 के अन्तगर्त सदन के संज्ञान में लाना

श्री उपाध्यक्ष—

अब श्रीमती पुष्पा तलवार का है। देव बहादुर सिंह ने एक आपति उठायी थी, तो उन्होंनें नियम 51 में दिया नहीं। नियम 56 में श्री मन्जूर अहमद और कृष्णवीर सिंह कौशल ने दिया है। इसको मैंने अस्वीकार किया।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। कार्य स्थगन प्रस्ताव आया नहीं। जब तक वह आइटम नहीं आयेगा आपका निर्णय नहीं हो सकता है इसलिये मेरा निवेदन है कि कोई घटना घटी हो तो उसके विरोध के लिये नियम 56 है जसी यह घटना है, आप स्वीकार करें या न करें यह तो आपकी कृपा पर निर्भर है, लेकिन इस घटना का उल्लेख नियम 56 के अन्तर्गत कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

हम इस पर वक्तव्य दिला देंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

आप हमारी बात सुन लें उसके बाद वक्तव्य दिला दें तो एतराज नहीं है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, यह बड़े महत्व का है। इस पर आप सुन लें तभी निर्णय दें वह शिरोधार्य होगा। जहां पर नशाबन्दी हो चुकी है और वहीं पर महिलाओं के साथ शराब पीकर दुर्व्यवहार किया गया। उस की थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी लेकिन उस संसद सदस्य को अभी तक गिरफतारी नहीं हुई है। आप इसको हल्के तरीके से ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर नियम 51 में होता तो मैं इसको स्वीकार कर लेता ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है । 30 तारीख को रात्रि के 10 बजे एक संसद सदस्य श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह अपने 4–5 गुन्डों के साथ राज्य अतिथि गृह में शराब पीकर घुसते हैं और हरिजन महिला जो टेलीफोन आपरेंटर है उस के साथ दुर्व्यवहार किया ।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजीयाबाद)—

मान्यवर, राम आसरे वर्मा किस दल के नेता हैं यह सदन तो चलने नहीं देते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणासी)—

मान्यवर, तोमर जी बिना आज्ञा के बोल रहे हैं और वर्मा जी तो आपकी आज्ञा से बोल रहें हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मैं उनसे पढ़वाता हूं । उन्होंने इसमें आपत्ति उठायीं थी । नियम 51 में यह प्राप्त नहीं हुई और नियम 56 में मैंने इसको अस्वीकार किया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय तोमर साहेब को कुछ भी कहने की आजादी है । उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा । माननीय रवीन्द्र प्रताप सिंह संसद सदस्य एक जन प्रतिनिधि गुन्डों को लेकर, शराब पीकर हरिजन महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। इस कांड की हजरतगंज कोतवाली में रिपोर्ट लिखायी गयी लेकिन अभी तक कोई गिरफतारी नहीं हुयी है । टेलीफोन आपरेटर्स ने हड़ताल की नोटिस दे दी है और कल से वह हड़ताल करने जा रहे हैं । आज रवीन्द्र प्रताप सिंह दूसरे संजय बन रहे हैं । किसी दूसरे व्यक्ति को संजय गांधी बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है । (व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, असली बात नहीं आयी है । आप मुझे बोलने की इजाजत दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल ने सुना तो दिया ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

दुबारा थोड़े ही बात आयेगी ?

एक सदस्य—

श्रीमन्, हकीकत क्या है आप सुन तो लें

(श्री मधुकर दिघे के खड़े होने पर)

श्री मन्जूर अहकद—

मान्यवर, पहले हमें सुन लें, फिर सरकार से उत्तर दिला दें। मैंने नियम 56 में एक सूचना दी है, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

*श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपको स्मरण होगा कि पिछली बार जिसका जिक्र माननीय देव बहादुर सिंह ने दूसरे ढंग से किया, आपने आज्ञा दी हालांकि वह स्पष्ट नहीं थी कि किसी विषय पर नियम 301, 51, 52 या 56 में आपसे निवेदन करें तो आपकी व्यवस्था है कि आप उनको एक जगह रखदें या सबों को मिला कर वक्तव्य के लिए रख दें। हो सकता है कि आपने दूसरे ढंग से कहा हो। आज स्थित करीब करीब वही है। एक ही बात नियम 51 में आये, 52 में आये, 56 में आय या 301 में आये। 56 का तो अभी समय दूर है। वह अभी आयेगा।

मेरी समझ में जो आता है कि आपको निर्णय करने का तत्काल अधिकार है। अभी आप कर दें कि नियम 301 में यह वक्तव्य दिला रहे हैं या 56 में इन सबको मिला रहे हैं। और तब सुनना चाहते हैं। माननीय देव बहादुर सिंह ने कहा कि 56 का समय आने पर ही आप नियम 56 की सूचनायें ले सकते हैं लेकिन आपको अधिकार है कि आप आगे की चीज अभी ले सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी सूरत में आप क्या करने जा रहे हैं? नियम 301 में ले रहे हैं या 56 में ले रहे हैं या वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। श्री तोमर जी तो हर चीज के संबंध में खड़े हो जाते हैं। और कहते हैं कि राम आसरे वर्मा कौन हैं खड़े होन वाले ? तो मेरी प्रार्थना है कि आप स्पष्ट आदेश दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्यामधर जी ने जो इस सिलसिले में आपत्ति उठाई, जब श्री देव बहादुर सिंह जी बोल रहे थे तो मैंने बता दिया था कि मैंने इसको नियम 301 में स्वीकार किया है। इसको मैं नियम 56 में स्वीकार नहीं कर सकता था। नियम 51 में यह आया नहीं था। अगर नियम 51 में आता तो मैं इसको नियम 301 में न लेता। वक्तव्य की जो बात कही है वह मैं दिलवा दूंगा। जो सूचना माननीय सदस्या ने दी हे उसको वे पढ़ेंगी

(व्यवधान शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह--

आप ने ठीक कहा कि नियम 51 में नहीं दिया, श्रीमन्, जब कहीं हड़ताल होने वाली हो, इस तरह की घटना हो जाये तो उस पर तो नियम 56 में ही देना चाहिये ताकि उसका समाधान कुछ निकल सके तुरन्त, जहां तक नियम 51 की बात है उसमें तो आप 3-4 दिन बाद वक्तव्य दिलवा देते, नियम 56 में तो तुरन्त चर्चा होती है इसलिये हमने नियम 56 में दिया ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री मन्जूर अहमद--

आप हमें नहीं सुनेंगे ? सरकार पक्ष को बिठाइये, आप पहले हमें सुन लें फिर सरकार की सुनें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है, पहले आपको नहीं सुना सकता, आप कृपया बैठें ।

श्री मन्जूर अहमद--

यह भी अजीब बात है, आप हमारी हिफाजत तहीं करेंगे तो कौन करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप उनकी सुन लें हो सकता है वे कोई ऐसा मार्ग बतायें जिससे मामला सुलझ जाये ।

*वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं माननीय मन्जूर साहब तथा दूसरे माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों की बात समझ नहीं पा रहा हूं । 301 में आपने अगर स्वीकार किया है तो जब उसका नम्बर आयेगा यहां वह रखा जायेगा । वैसे आपको यह पूर्ण अधिकार है कि आप उसे किस क्रम से लें या क्रम में परिवर्तन कर दें । जो प्रश्न नियम 56 में उठाया गया है उसके लिये भी आपको अधिकार है कि आप उसे पहले लें या बाद को । शासन को इसमें आपति नहीं है कि आप उसे कब लें, या किस नियम में लें, मन्जूर साहब तो हर समय अपनी बात को पहले कहना चाहते हैं, मगर नियमों के अन्तर्गत ही तो कोई प्रश्न उठाया जा सकता है । (शोर-व्यवधान) पहले यह तो यह हो जाये कि किसी नियम में आप उसे ले रहे हैं, उसके बाद माननीय सदस्य कुछ कहें । (व्यवधान)

(श्री मन्जूर अहमद के खड़े होने पर)

श्री राजद्र कुमार गुप्ता (जिला सीतापुर)--

आप बैठिये मुझे बुलाया है ।

मान्यवर, अभी जैस माननीय श्यामधर जी ने कहा, अगर आपके पास सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पहले एक ही विषय नियम 52, 51, कार्य-स्थगन, 301 में आता है, तो आप अपने विवेक से निर्णय करेंगे कि कहां उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

स्वीकार करना है । आप अपने उस विवेक का इस्तेमाल करके नियम 301 में तलवार जी को आपने बुलाया । क्या आपके उस निर्णय के बाद भी उस पर चर्चा की जायगी ? क्या मान्यवर, किसी नियम का बहाना लेकर अनर्गल, असत्य बातों को उठाकर सदन में लाया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और निर्णय दे दिया था । यह मेरे विवेक की बात है । उसके ऊपर किसी को आक्षेप नहीं करना चाहिये । मैंने इसको नियम 301 में स्वीकार किया । यह जब देव बहादुर सिंह जी का देखा तब इस पर पुनर्विचार किया । वह नियम 51 में अगर आया होता, तो मैंने इसे नियम 51 में लिया होता । लेकिन चूंकि 51 में आया नहीं नियम 301 में आया और उसे मैं स्वीकार कर चुका हूं इसलिए मैं उनको पढ़ने की इजाजत दूंगा । लेकिन नियम 56 की बात भी आ गयी, तो मैंने उनसे कहा कि आप वह बात कह सकते हैं लेकिन वक्तव्य के लिए नियम 301 में तुरन्त वक्तव्य देने की बात नहीं होती है ।

तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर वक्तव्य जितना जल्दी हो सकें, आज अगर दे सकें तो आज दे दें और आज अगर न दे सके, तो अन्य किसी दिन जल्दी ही वक्तव्य दे दें । तो उसने आपकी स्थिति साफ कर दी । अब इसमें आपको टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहिए ।

(श्री राज मंगल पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर यह नहीं हो सकता । मैं सदन नहीं चलने दूंगा । मेरी बात तो सुन लें ।

(श्रीमती पुष्पा तलवार का खड़े होने पर)

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने तो कुछ कहा नहीं, इसलिए मैं खामोश हो गया । श्रीमती पुष्पा तलवार कृपया आप बैठ जाइये ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

आप तो कह चुके हैं राम आसरे वर्मा जी ।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मुझे नहीं सुनेंगे । मुझसे पहले आपने सबको सुना लिया ।

श्री राज मंगल पाण्डे—

मान्यवर, कोई भी मसला कितना ही गम्भीर क्यों न हो, वह किसी नियम और प्रक्रिया नियमावली के अन्दर आयगा । प्रक्रिया नियमावली के नियम

301 में आपने स्वीकार कर दिया और 51 में दिया ही नहीं गया और आपने यह भी कहा कि स्टेटमेंट जो है, मैं सरकार से दिलवा दूंगा। हमारे श्याम धर जी ने उचित बात कही। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इन्सान जब कुछ ज्यादा जोर से और ज्यादा तादाद में बोलना शुरू कर देता है, तो आप ससपेंस में पड़ जाते ह कि हम क्या निर्णय करें।

मान्यवर, जब आपने निर्णय दे दिया कि 301 में बयान दिलवाना है, तो फिर इतनी बड़ी चर्चा क्यों और किस कारण है ? मन्यवर, क्या हम सदन को इसलिए परिवर्तित कर दगे कि इस सदन में कोई आपकी व्यवस्था के विपरीत राजनैतिक दलों के ऊपर कीचड़ उछाले। मान्यवर, मैं तो कहूंगा कि आपने अपना निर्णय दिया है वह शिरोधार्य है। सरकार की तरफ से एक बयान दिलवा दें, वह काफी ह।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

(व्यवधान)

(शोर)

(श्री मन्जूर अहमद शोर में बोलते रहे)

श्रीमती पुष्पा तलवार (जिला कानपुर)—

मैं आपके माध्यम से सदन और शासन का ध्यान एक अबलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। 30 मई की रात्रि को राजकीय निवास में ठहरे एक लोक सभा के सदस्य ने शराब पी कर एक महिला कर्मचारी के साथ दुव्यर्वहार किया तथा गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो उनके साथ मारपीट की। यह घटना रात्रि के दो बजे घटित हुई। यह महोदय गेस्ट पी0 बी0 एस्स कमरे में घुस गये और जबरन आपरेटर महिला को उसके पति की उपस्थिति में अत्यन्त निन्दनीय व्यवहार करने लगे इस घटना से गेस्ट हाउस और विधायक निवास पांच के कर्मचारियों में रोष पैदा हो गया है और वह हड़ताल पर चले गये। आल इंडिया टेलीफोन आपरेटर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल की धमकी दी। महिला जगत म दफतरों में काम करने वाली महिलाओं में भय, आतंक व असुरक्षा की भावना और भी बड़ गई है।

मान्यवर, अपराध करने वाला चाहे जितना भी बड़ा हो उसे उतना ही अधिक दण्ड मिलना चाहिए। मैं आप के द्वारा मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि इस मामले को जांच करके कार्यवाही की जाये तथा शासन इस संबंध में सदन में वक्तव्य दे।

श्री देव बहादुर सिंह—

2 मिनट इनको बुलवा दें।

(शोर)

*श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---

जो व्यवस्था आपने इस संबंध में दी वह शिरोधार्य है लेकिन 301 में माननीय तलवार साहिबा का जो था वही मन्जूर साहब का। उसकी ग्राह्यता के संबंध में माननीय सदस्यों को सुनकर आपने उसकी गम्भीरता को देखा तथा सरकार का ध्यान दिलवाने का निर्देश दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने नियम 56 में दिया उसको स्वीकार नहीं किया। आपने एक मिनट का भी समय नहीं दिया। मेरा आग्रह है मंजूर साहब को अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं व्यवस्था दे चुका हूं। दुबारा नहीं लेने जा रहा।

श्री मन्जूर अहमद---

मुझे मौका दें, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कार्यवाही में मौजूद है। यह जरूरी नहीं है, पूरा विवरण है।

श्री मन्जूर अहमद---

व्यवस्था दें, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था मैं दे चुका हूं।

श्री मन्जूर अहमद---

मुझे एक मिनट सुन लें, बस एक मिनट, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मन्जूर अहमद---

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

यह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा।

श्री मन्जूर अहमद---

[× × ×]

(कई माननीय सदस्यों ने श्री मंजूर अहमद को बैठाया)

श्री उपाध्यक्ष---

आप स्थान ग्रहण करें। मैं जो फैसला दे चुका हूं उससे हटने वाला नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट---[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बस्ती जिले के इटवा बाजार में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्ती जिला के अन्तर्गत इटावा बाजार में दिनांक 24 मई को दिन के 2 बजे अचानक आग लग गई। दुर्भाग्य से उस समय हवा आंधी की तरह चल रही थी। पानी का कोई भी प्रबन्ध विशष नहीं था परिणाम-स्वरूप करीब दस लाख रुपये का सामान व दूकानें जलकर भस्म हो गई। लाखों की कीमती लकड़ी जली। इस अग्निकांड की विशेष बात यह रही कि इससे वह लोग विशेष प्रभावित हुये जो कि सड़क के पटरी पर झोपड़ी टंकी बनाकर पान चाय फल एवं साइकिल की मरम्मत की दुकाने करके अपने गरीबी के दिन बिता रहे थे। इस अग्निकांड से वह लोग असहाय हो गये हैं। उनकी सहायता उनके जीवन यापन के लिए अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस अग्निकांड से ऐसे प्रभावित लोगों की सरकार उचित सहायाता करने की कृपा करे जो असहाय एवं बेकार हो चुके हैं और भूखों मर रहे हैं।

बस्ती के थाना वाल्टरगंज के दरोगा द्वारा श्री हीरालाल सर्राफ की पिटाई की घटना तथा स्थानान्तरण की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लोक महत्व का है, इसलिए विधान सभा के माध्यम से मैं इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह कि हीरा लाल पुत्र लडडू वाल्टरगंज थाना वाल्टरगंज सर्राफ की दुकान करता है। और एक सम्भ्रान्त नागरिक है। दो नाली बन्दूक का 5 साल से लाइसेन्सी है। स्थानीय पुलिस उससे किसी न किसी तरीके से पैसा ऐंठना चाहती है। पहले वाल्टरगंज बाजार के कुछ लोगों को उकसाकर 133 जा० फो० का मुकदमा कायम कराया, जिससे एस० डी० ओ० बस्ती महोदय ने खारिज कर दिया, इसके बाद उसे 107/116 के मुकदमें में फंसाया और तत्पश्चात अयोध्या सुनार पुत्र राम लखन सोनार से 457/380 आई० पी० सी० का फर्जी मुकदमा उक्त व्यक्ति के ऊपर दिनांक 23-3-79 को कायम कराया। इसके बाद करीब 10-11 बजे दिन में उक्त दरोगा जी एस० आई० राम अधार मिश्र कांस्टेबिल सुभाष सिंह, मो० अब्बास कांस्टेबिल गौरी शंकर तिवारी श्रीकान्त साहनी तथा उदयराज मिश्र को उसके घर भेजा कि थाने पर चलो दरोगा जी बुला रहे हैं। और बन्दूक अपनी निकालो उसने कहा बन्दूक तिजोरी में बन्द है। इस पर उक्त सिपाही तथा दरोगा थाने पर उसे मारते हुये तथा गाली देते हुये ले गये। थाने पर पहुंचने पर इंचार्ज दरोगा राजदेव सिंह यादव ने भी रूल से उसे बुरी तरह से मारा और कहा साले को मारो उसे पैसे की गर्मी है। इस वाकिये को सैकड़ों लोगों ने देखा है। इसके बाद रात भर थाने में रखकर 13-5-79 को फर्जी 151/107 जा० फौ० का मुकदमा कायम करके बस्ती चालान भेजा, वहां जाकर हीरा लाल की जमानत हुई। इसके बाद उक्त हीरालाल ने अपने चोटों का इलाज तथा मुवाइना सदर अस्पताल बस्ती जाकर करवाया। उक्त दरोगा जी विभिन्न राजनीतिज्ञों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह---]

का संरक्षण प्राप्त होने का दावा करते हैं। और कहते हैं कोई हमारा कुछ नहीं कर पायेगा। इसलिए शिष्ट व्यक्तियों की बेइज्जती करना मानहानि करना अपना परम कर्त्तव्य समझते हैं। उक्त दरोगा के स्थानान्तरण और उनके खिलाफ जांच की मांग करता हूं।

हरिद्वार में मकानों को गिराये जाने की नोटिस सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)---

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान अविलंबनीय और लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

प्रदेश का सार्वजनिक निर्माण विभाग हरद्वार जिला सहारनपुर के लगभग 1 दर्जन मकानों को गिराकर सड़क को चौड़ा करना चाहता है। 29-2-79 को मकानों के मालिकों एवं किरायेदारों को तहसीलदार रुड़की जिला सहारनपुर का नोटिस मिला कि 2-6-79 तक मकान व दुकानें खाली कर दें अन्यथा बल प्रयोग द्वारा यह कार्य किया जायेगा।

मान्यवर, मकान मालिक तथा किरायेदार राज्य की निर्माण योजना से सहमत होते हुये भी यह चाहते हैं कि 20-6-79 तक उक्त अवधि खाली करने के लिये बढ़ाई जाय ताकि लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। ज्ञातव्य है कि उक्त किरायेदार लगभग 70 वर्षों से इन मकानों दूकानों में रहते आये हैं। और सभी लोग निम्न एवं मध्य वित्त वर्ग के हैं। इस संदर्भ में यह कहना भी जनहित में होगा कि जुलाई, 79 तक उत्तर प्रदेश बिहार एवं देश के विभिन्न प्रदेशों के हरिद्वार तथा बद्री केदार जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ रहती है। 5 तथा 6 जून, 1979 को गंगा दशहरा तथा निर्जला एकादशी के महान पर्व हैं जिनमें 5 लाख से अधिक यात्री आयेंगे। ऐसे में हर की तौड़ी के निकटवर्ती मकानों को तोड़ने से प्राणहानि हो सकती है। स्थानीय जनता में असंतोष एवं रोष है।

खेद है कि सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 31-5-79 को एक डढ़ मास की अवधि बढ़ाये जाने की मुख्य मंत्री की 31-5-79 की बात को ठुकराकर स्थिति को बिगाड़ने में सहयोग दिया है।

मैं सरकार से मानवता, न्याय एवं जनहित के नाम पर पुरजोर अपील करता हूं कि आज ही और अभी रेडियोग्राम द्वारा उक्त अवधि को 20-6-79 तक बढ़ाने का संदेश प्रेषित किया जाय अन्यथा यदि कोई अप्रिय घटना हो गयी तो उसका दायित्व अधिकारियों एवं सरकार पर होगा।

[× × ×]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें, यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री राजकुमार शर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री राजकुमार शर्मा---

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपका लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)---

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

इसको मैं इजाजत नहीं देता यह नहीं लिखा जायेगा । यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

एक सदस्य-- [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने उसको इजाजत नहीं दी ।

श्री मन्जूर अहमद---

[× × ×]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा---

माननीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को मैं सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की नियम समिति (1979-80) का प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के स्थगन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

मद संख्या 4 पर नियम समिति का प्रतिवेदन आज सदन के पटल पर रखना था । लेकिन साढ़े 9 बजे नियम समिति की बैठक हुयी । उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठायी, तो जो प्रतिवेदन था, जो पुरानी कमेटी ने निश्चय लिया था उसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा । इसलिए मैंने आज आइटम नं० 4 को स्थगित किया है ।

नोट---[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वित्त मंत्री, श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्री सोहनवीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने 29 मई, 1979 को माननीय वित्त एवं संस्थागत वित्त मंत्री, श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने अपने वर्ष 1979-80 के बजट भाषण के पृष्ठ 38 के दूसरे पैराग्राफ में प्रदेश में सिनेमा टिकटों पर लगाये जाने वाले अधिभार में संशोधन करके पूरे वर्ष में चार करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुमानित आय का प्रस्ताव किया था। अभी तक बजट के विभिन्न अनुदानों पर विधान सभा विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में विनियोग विधेयक भी पारित नहीं हुआ है, किन्तु सरकार ने एक आदेश द्वारा प्रदेश के सिनेमा टिकटों पर बजट भाषण में प्रस्तावित अधिभार आगामी 1 जून से लागू कर दिया है।

मैंने इस सम्बन्ध में 29 मई, 1979 को सदन में माननीय श्री तोमर और अन्य सदस्यों तथा माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुना। माननीय श्री तोमर ने मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ 777 तथा पृष्ठ 676 तथा संविधान के अनुच्छेद 202 से 204 और 194 का उल्लेख किया, जिन्हें मैंने ध्यान से पढ़ा।

जहां तक मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के उक्त उद्धरणों तथा संविधान के अनुच्छेद 202 से 204 तक का सम्बन्ध है, यह सदन द्वारा सेवाओं में व्यय के लिए प्रस्तुत आय व्ययक अनुदानों तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक से सम्बन्धित है न कि किसी करारोपण के प्रस्ताव से या कानून से। संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित और न संग्रहीत किया जायेगा। तदनुसार इसके लिए विधान मंडल का कानून आवश्यक है, जिसे यू० पी० आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा इस विधान मंडल ने अधिनियमित किया था और उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित यू० पी० आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (1) और (1-क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने दिनांक 10 मई, 1979 की विज्ञप्ति संख्या 30 ई बी-6 (4)/1978 बित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग के अन्तर्गत प्रश्नगत अधिभार आरोपित किया है। इस तथ्य को माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने अपने सदन में दिये गये स्पष्टीकरण में तथा बाद में दिये गये लिखित स्पष्टीकरण में भी स्पष्ट किया। इस प्रकार, विधान मंडल द्वारा पारित विधि के अनुसार लगाये गये कर के सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इस सम्बन्ध में यह औचित्य का प्रश्न भी उठाया गया था कि माननीय मंत्री जी को सदन के अधिवेशन के दौरान इस प्रकार की घोषणा सदन में ही करनी चाहिये थी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है उक्त अधिसूचना एक अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी की गयी थी और अधिभार में वृद्धि करने की घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसी सदन में पहले ही कर दी थी। इस प्रकार, इसमें औचित्य का भी कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अतः मैं इस विशेषाधिकार की अवहेलना के [illegible] प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान अनुदान संख्या 80-पर्यटन विभाग संख्या 53-विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, अनुदान संख्या 90-विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजोगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 118-विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र-ऋण और अग्रिम

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री आबिद अली)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक, धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77, 59, 88,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 38,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में नुदान संख्या 90-विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,09,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 118-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,26,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश के ऐसे पिछड़े हुये हैं कि जिनके विकास के लिये प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार धन देती रही है और इसके लिए खासतौर से काम होता रहा है। 1974-75 में प्लान परिव्यय 21 करोड़ 1 लाख का था। उसमें केन्द्रीय सरकार ने 12 करोड़ दिया था। उसके बाद मान्यवर, 1975-76 में यह 23 करोड़ का हुआ और इसमें केन्द्रीय सरकार का अंश 12 करोड़ था। 1976-77 में प्लान परिव्यय 37 करोड़ 75 लाख था जिसमें केन्द्रीय सरकार ने 22 करोड़ दिया। 1977-78 में यह रकम 56 करोड़ हुयी और केन्द्रीय सरकार ने 27 करोड़ दिया। इसी तरह से, मान्यवर, 1978-79 में यह प्लान परिव्यय 66 करोड़ का था और इसमें केन्द्रीय सरकार ने 31 करोड़ दिया। इस साल कुल प्लान परिव्यय 70 करोड़ का था और इसमें यहां जो प्रपोजल बनकर गया था, वह 127 करोड़ 48 लाख था और यह उस वक्त था जबकि पूरे सूबे का प्लान था 2268 करोड़ 49 लाख। लेकिन प्लानिंग कमीशन के सामने जाने के

[श्री आबिद अली:--

बाद उन्होंने 2268 करोड़ को काटकर 810 करोड़ किया। इसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्र का परिव्यय भी कम होकर 70 करोड़ रह गया। इसमें केन्द्रीय सरकार ने 32 1/2 करोड़ दिया है।

हमारी कोशिश है कि इसको और बढ़ाया जाय। लेकिन हमें जितना केन्द्रीय सरकार से पर्वतीय क्षेत्र के लिये मिलना चाहिये था, उतना नहीं मिला। मान्यवर, हमारा और हिमांचल प्रदेश का जो इलाका है, दोनों पहाड़ी इलाके हैं। दोनों हिमालय में हैं। दोनों की आबादी करीब-करीब मिलती है बल्कि हमारे यहां की आबादी 43 लाख की है और उनके यहां केवल 35 लाख की है। रकबा भी उनका हमसे ज्यादा नहीं है तो उस तरह से जो सहायता होनी चाहिये थी वह बराबर होनी चाहिये थी लेकिन जैसा कि अभी बताऊंगा, हर साल सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने हिमांचल प्रदेश को हमारे सूबे से ज्यादा दिया है जबकि हमारे सूबे को रकम कम मिली। नतीजा यह हुआ कि हमारा प्लान हिमांचल प्रदेश से कम हुआ, सड़के कब बनीं, हार्टीकलचर में जितना होना चाहिये था, नहीं हुआ। इस साल हम कौशिश कर रहे हैं और अपनी बात हमने, मान्यवर, प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाई है कि हमें हिमांचल प्रदेश के बराबर सेन्ट्रल असिस्टेन्ट मिलनी चाहिये ताकि हमारी जो स्कीमें हैं, पूरी हो सकें और पैसा न होने से जो हम नहीं कर पाते हैं, वह बात न रहे और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। सन् 1974/75 में उत्तर प्रदेश को सेन्ट्रल शेयर 12 करोड़ मिला था जब कि इसके मुकाबले में हिमांचल प्रदेश को २२ करोड़ 35 लाख मिला। 75/76 में हमारे सूबे को 12 करोड़ ही मिला और हिमांलय प्रदेश को 23 करोड़ 95 लाख मिला। 76/77 में हमारे सूबे को 22 करोड़ मिला और हिमांचल प्रदेश को 25 करोड़ 4 लाख मिला। 77/78 में हमारे सूबे को 27 करोड़ मिला और हिमांचल प्रदेश को 45 करोड़ 74 लाख मिला। 1978-79 में हमारे सूबे को 31 करोड़ मिला। जब कि हिमांचल प्रदेश को 41 करोड़ 45 लाख मिला। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे सूबे को हिमाचल प्रदेश के मुकाबले में कम पैसा मिलता रहा है जिसकी वजह से हम जितना रुपया अपनी स्कीम पर खर्च करना चाहते थे वह नहीं कर सके। मैं यह मानता हूं कि वहां के लोगों में कुछ बेचैनी है और अगर उनके आक्रोश को दूर करना है तो हमें सेन्ट्रल असिसटेन्स ज्यादा मिलनी चाहिये तभी हम अपने पर्वतीय क्षेत्र का विकास कर सकेंगे।

हमारे जो साधन हैं प्लान बजट में, हमने सबसे ज्यादा प्रायरिटी सड़कों को दी है क्योंकि अगर किसी जगह पर, किसी क्षेत्र में सड़कें न हों तो न तो वहां से माल बाहर जा सकता है और न ही बाहर से माल अन्दर आ सकता है। इसलिए हमने सड़कों के मद में पैसा बढ़ाया है। 18 करोड़ रुपया गुजिस्ता साल में था और इस साल हमने बढ़ा कर 20 करोड़ रखा है। मगर इसके बाद भी जितनी जरूरत थी वह पूरी नहीं हो पा रही है और बहुत सी सड़कें और पुल जिनको बनाना चाहते थे वह नहीं ले पा रहे हैं। पहाड़ में पहले कच्ची सड़क बनती है और पहाड़ का कटान होता है। उसके कुछ दिन बाद उस पर डामर डाला जाता है।

पिछले साल पहाड़ के कटान 710 किलो मीटर सड़क बनाई गयी थी। इस साल हमने इसका लक्ष्य 900 किलोमीटर रखा है। डामर की सड़क गुजिस्ता साल में 270 किलोमीटर बनी थी और इस साल 303 किलोमीटर बनाने का प्राविधान किया ह। साल गुजिस्ता में 14 पुल का प्राविधान था लेकिन 17 बने और इस साल हम 25 पुल और बनाना चाहते है। हमारे पर्वतीय इलाके में

रहने की जगह की कमी है । पहाड़ी इलाके में मदानी इलाके से कोई जाना नहीं चाहता । एक तो वजह है वहां मकानों की किल्लत का होना । मजबूरन कोई चला भी जाता है तो उसके बाद वह वहां से तबादला कराने की कोशिश करता है या फिर मन लगाकर काम नहीं करता । हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां भवन बनावे जिससे यहां से लोग जायं तो उनको जगह मिलने की किल्लत न हो । लेकिन यह इतना बड़ा काम है कि दो चार साल नहीं ज्यादा वक्त लग सकता है । साल गुजिस्ता में 3 करोड़ 70 लाख रुपया भवनों के लिए रखा गया था । इस साल 4 करोड़ 32 लाख रखा गया है । साल गुजिस्ता में ८८ भवन मुकम्मल हो गये थे । इस साल हम उस संख्या को बढ़ा कर 99 पर ला रहे हैं । हमारी कोशिश होगी कि यह तादाद कम न होने पावे । इसके बाद एक चीज और है जिससे मैं समझता हूं बड़ी दयनीय दशा होती है और वह है पीने के पानी के मामले में पेय जल । बाजीवक्त ऐसा होता है कि नीचे से पानी बहता रहता है और वह पानी यहां पर मैदानों में आकर के खेतों को उससे लाभ होता है और आदमियों को फायदा पहुंचता है । मगर वहां पीने का पानी नहीं मिलता है । बच्चे, औरतें, एक एक किलो मीटर तक पानी लेने के लिए जाती हैं । अगर सीधा मैदान हो तब तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन नीची जगह हो, ऊपर नीच जाना पड़े, उससे परेशानी होती होगी । मैं समझता हूं कि वे आदी हो गये हैं वरना मैदानी इलाके में हो तो परेशानी हो जाय ।

इसलिए सरकार ने यह तय किया है कि हम कुल गांवों में तीन साल के अन्दर सब जगह पानी पहुंचा देंगे ताकि लोगों को पानी के लिये दिक्कत न पड़े । इसके पहले एक सेन्सेस कराया गया था और उस सेन्सेस से यह पता लगा था कि 7771 गांव ऐसे हैं कि जहां पर पेय जल नहीं है और वहां पानी का इन्तजाम करना है । इनमें से 3617 गांवों में पानी पहुंच चुका है और 4154 गांवों में हमें पानी पहुंचाना है । इस साल 1200 गांव लिए गये हैं । साल गुजिस्ता में 800 गांवों में पानी पहुंचाया गया था और उस वक्त, 9 करोड़ रुपये का प्राविजन इस मद में था । उस प्राविजन को बढ़ा कर के 14 करोड़ 75 लाख किया गया है डेढ़ गुने से भी ज्यादा हो गया ।

मैं समझता था कि शायद यह प्राविजन काफी है लेकिन तफशील देखी तो यह पता लगा कि यह प्राविजन नाकाफी है और हमको इसमें कम से कम बीस करोड़ रुपये और रखने चाहिये थे । लेकिन मजबूरी थी । सभी को पैसा चाहिए, काम चाहिये । मजबूरी में इतना पैसा रखा गया । अगले साल और ज्यादा पैसा बढ़ाना मुमकिन हो सकेगा ।

उसके बाद वहां पर स्कूलों की समस्या है । यहां तो बच्चे दूर दराज के स्कूलों में भी जा सकते हैं लेकिन वहां पर नीचा ऊंचा होने की वजह से बाजवकात नदी नाले होने के वजह से बच्चे दूर नहीं जा सकते । स्कूलों की बहुत बड़ी मांग है । उस मांग को पूरा करने के लिए यह होता है कि एक किलोमीटर से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को न जाना पड़े इस साल 305 नए प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे है । साल गुजिस्ता में 297 प्राइमरी स्कूल खोले गये । वह सब खुल गये हैं ।

[श्री आबिद अली—]

इसी तरीके से जूनियर हाई स्कूल साल गुजिस्ता में 38 खोले गये थे इस साल 100 खोले जा रहे हैं । जूनियर हाई स्कूल ग्रान्ट इन ऐड लिस्ट में इस साल 20 जूनियर हाई स्कूल लेना चाहते हैं । जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल करने के लिए 10 स्कूल रखे गये हैं । साल गुजिस्ता में ऐसे 8 स्कूल थे । नये हाई स्कूल 25 रखे गये हैं साल गुजिस्ता में 11 थे । हाई स्कूल से इन्टरमीडिएट के लिये इस साल 19 रखे गये हैं । पार साल पांच थे । ग्रान्ट इन ऐड लिस्ट में हाई स्कूल जो साल गुजिस्ता में 10 थे अब ज्यादा नहीं हैं । इस साल दस रखे गये हैं ।

दो डिग्री कालेजों में एक को इन्टरमीडिएट से आगे बढ़ाया जायेगा और एक को प्रोविन्सेलाइज किया जायगा । इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में दो युनिवर्सिटीज हैं एक श्रीनगर में है और एक नैनीताल में है । दोनों यूनिवर्सिटीज अभी तक यू० पी० सी० से रिकगनाइज नहीं हो पाई हैं । वहां की मदद उनको नहीं मिल रही है । उनकी शर्त यह है कि प्रान्तीय सरकार का शेयर दो करोड़ उन पर खर्च हो जाय तब वह मदद देंगे । इस साल हमने 50 लाख रुपया बजट में रखा है । इस साल दोनों को इतना पैसा दे देंगे जिससे 2 करोड़ की उनकी शर्त पूरा हो जायगी ताकि ग्रान्ट कमीशन से उनको रिकगनीशन भी मिले और सहायता भी मिले । साल गुजिश्ता में एजूकेशन पर 24 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च किया गया प्लान तथा नान प्लान मिलाकर । इस साल उसको 30 करोड़ 58 लाख किया गया है । प्राइमरी में 53 परसेंट, उच्च शिक्षा में 34 परसेंट तथा ऊपर की शिक्षा में 12 परसेंट बच्चे पढ़ रहे हैं ।

इस तरह से जहां–जहां में गया डिग्री कालेज तथा इन्टर कालेज की बहुत ज्यादा मांग की गयी है । मांग सही है लेकिन पैसे की लिमिटेशन है । उसके बाद मेडिकल साइड आती है । उसकी स्थिति बहुत दयनीय है । मैदानी इलाके में अगर दूर–दूर भी अस्पताल हैं तो वहां मरीज जा सकता है लेकिन पहाड़ी इलाके में अगर कोई बीमार हो गया और अस्पताल नहीं है तो बस ऊपर वाला ही मेहरबान हो, वही कुछ कर सकता है । इस वास्ते इसमें भी जहां तक प्राविजन हो सका करने की कोशिश की गयी है । साल गुजिश्ता में एलोपैथिक में 38 डिस्पेन्सरीज रखी गयी थीं । इस साल उनको बढ़ाकर 55 किया गया है । 5 फीमेल्स की हैं । लेडिज के लिये यहां वाकई परेशानी है ।

आयुर्वेद में 19 साल गुजिश्ता में थी, 19 इस साल रखी गयी हैं । होम्यो–पैथिक में भी शुरूवात की गयी है और इस साल 5 होम्योपैथी डिस्पेन्सरीज भी पहाड़ी इलाके में खोली जायेगी । पहले खर्चा 1 करोड़ 30 लाख का था इस मद में । इस साल बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख कर दिया गयी है । हार्टिकल्चर की तरफ भी तवज्जह है लेकिन केवल बागात लगाने से काम नहीं चलेगा जब तक मार्केटिंग का इन्तजाम न हो । वह तब हो सकता है जब कोई अन्दर से ले आने की सड़कों की व्यवस्था हो । सड़कों पर लिहाजा जोर दे रहे हैं और यह भी चाहते हैं कि हार्टिकल्चर का रकबा कुछ और बढ़े । साल गुजिश्ता में 5630 हेक्टेयर में बाग लगाये गये । इस साल हमारा लक्ष्य 6 हजार हेक्टेयर है और उम्मीद है कि हम शायद उसे पा ले । पहाड़ों में माइनर एरीगेसन ही होता है, बड़ी योजनायें नहीं हो सकती । खेतों तक पानी पहुंचाने के लिये साल गुजिस्ता में 8650 हेक्टेयर में माइनर इरीगेशन का इन्तजाम किया गया, इस साल उसे बढ़ाकर 8740 हेक्टेयर किया जा रहा है । एक और स्कीम पहाड़ी इलाके में है । शायद मैदानी इलाके

के लिये वह नई हो । वह स्कीम हाई डेम स्कीम है । बिना किसी शक्ति के, बिना किसी मशीन के पानी नीचे से ऊपर उठा दिया जाता है....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)––

अच्छा हो माननीय मंत्री माननीय सदस्यों को सुनने के बाद जवाब दें जैसे कल खाद्य मंत्री ने किया तो समय की बचत होगी ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह अच्छा रहेगा ।

आप दो–चार मिनट बोलकर बाद में ही उत्तर दें ।

श्री आबिद अली––

मान्यवर, हाईड्रम की स्कीम साले गुजिस्तां में ६८ थीं और इस साल वे ८० कर दी गई हैं ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं टूरिज्म के बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें भी मुझे पैसे की शिकायत है । अपन सूबे में टूरिज्म की इतना क्षमता है कि इसमें बढ़ावा दिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में हमारा सूबा किसी सूबे से कम नहीं है । इस वास्ते कि यह सूबा हिमालय में है और वह दूर–दूर तक फैला हुआ है जहां कि हम किसी टूरिस्ट को किसी दूसरे सूबे से ज्यादा अच्छे–अच्छे मुकामात दिखला सकते हैं कि कोई टूरिस्ट कुछ देर के लिये इन जगहों पर जाकर अपनी उलझनों और परेशानियों को भुला सकता है ।

हमारे यहां दूसरे सूबों से धार्मिक मुकामात भी ज्यादा हैं । जितनी लड़ाइयां हुई हैं उनकी शुरुवात यहीं से हुई है । हिस्टोरिकल प्लेसेज भी यहां पर सब से ज्यादा हैं । पूरे देश में हमारा यू० पी० ही धार्मिक और हिस्टोरिकल मुकामत में सब से आगे है । लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है । मैदानी इलाकों के लिये सिर्फ १ करोड़ की व्यवस्था है और इसमें प्लान में ७९ लाख है । पर्वतीय इलाके के लिये डेढ़ करोड़ प्लान का है और ७ लाख ९६ हजार नाम–प्लान का है । टोटल २६३ लाख का है । साले गुजिस्तां में टोटल २५३ लाख ही था । इस साल १० लाख रुपया ज्यादा है । इसके अलावा भी कई जगह हैं । जब हम वहां जाते हैं और साथियों से मिलते हैं तो वे शिकायत करते हैं कि हमारे जिले में ये मंदिर हैं दरगाह हैं, अच्छी जगह हैं, वहां पर कुछ न कुछ बनाना चाहिये । मैं उनकी इन भावनाओं से इत्तिफाक करता हूं ।

पूर्वी जिलों में श्रावस्ती और कुशी नगर में कुछ टूरिस्ट लाजेज खोलने का विचार है । यह एक इन्टर नेशनल चीज है । ताकि जो बुद्धिस्ट बाहर से आते हैं उनकी वहां पर ठहरने की व्यवस्था की जा सके । और उन्हें कोई दिक्कत न हो । इसके अलावा श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, झांसी, देवगढ़, दुधवा और नेमसार में नई योजनायें चालू की गई हैं साथ ही कुछ धर्मशाला टाइप के टूरिस्ट बंगले भी बनाने का विचार है । पीरान कलियान देवा सरीफ, इलाहाबाद,

[श्री आबिद अली—]

और बनारस में धर्मशाला टाइप के टूरिस्ट बंगले बना रहे हैं और गोरखपुर, लखनऊ तथा सुनोली में मार्डन रिसैप्सन सेन्टर हैं इससे हमारा प्रयास ह कि अधिक से अधिक लोगों को इनफारमेशन मिले और हम चाहते हैं कि पहाड़ों में जो मुख्यालय हैं जैसे यमुनोत्री, मुक्तेश्वर, चकराता, गौचर, बेरीनाग जोशीमठ, रामगढ़, मनाली, मल्ली ताल, रानीखेत, गंगरिया, पीपलकोटी, रामवाढ़ा, ज्वालाधाम, हनुमान चट्टी खिरसू, लैन्सडाऊन, देहरादून, जानकी चट्टी, चौपाटा, केदारनाथ गौरी कुण्ड और ग्वालदम में हम टूरिस्ट लाज बनाना चाहते हैं। इस समय हमारे पास कुल 1905 संख्यायें हैं जिनमें से 1434 पर्वतीय क्षेत्र में है और शेष 471 मैदान में और कुछ में काम हो रहा है। इस प्रकार हमारे पास जो पैसा है वह हम भवनों के लिए उनका विकास करने के लिए लगा रहे हैं। हालांकि पैसा कम है पर हमारी मजबूरी है।

अब मैं अपने माननीय सदस्यों के सुझाव सुनना चाहूंगा और उनसे फायदा उठाऊंगा। मैं समझता हूं जसे पहले से कीमती सुझाव हम मिलते रहे हैं। हमारे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य हैं वही शायद अपना कट मोशन पेश करेंगे। मुश्किल यह है कि कटमोशन में एक रुपया करन की बात कहते हैं उसम क्या होता है। बजाय इसके कि यह कहें कि जितना पैसा हम मांग रहे हैं उससे दुगुना रकम मांगते लेकिन कायदा यही रहा है। तो उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि एक रुपये में क्या हो सकता है लेकिन ऐसी परम्परा रही है कि कटौती प्रस्ताव एक रुपये का ही होता है। उस परम्परा का निर्वाह करते हुए मैं एक रुपये में इनको काफी सुझाव दूंगा और अगले साल यह स्थिति में सुधार करेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८०—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रास्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 118—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की अलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

सान्यवर, मैं एक बात जानना चाहती हूं । माननीय मंत्री जी ने पहाड़ों के बाबत बताया मगर मैदान में जो ट्रिस्ट का मुहकमा है उनके बारे में क्या कुछ बताया या नहीं ?

श्री देव बहादुर सिह--

बताया है । पहाड़ों के बारे में माननीय मंत्री जी आपके विभाग से किताब मिली है । उसको मैंने पढ़ा । मैं बताना चाहता हूं कि यह पर्वतीय विकास विभाग अलग से बनाने की क्यों आवश्यकता हुई । यह इसलिये हुई कि जो पहाड़ के ८ जिले हैं वह प्रदेश में सबसे पिछड़े हैं । उसका कारण वहां की भौगोलिक स्थिति है । यह सच है कि प्रकृति ने भरपूर सम्पदा वहां दी है लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि वहां के निवासी इतने गरीब हैं वह उसका उपयोग नहीं कर पाये । हमारे प्रदेश में इतनी गरीबी कहीं नहीं मिलेगी जितनी कि वहां पर हे । उसका कारण यह है कि हमारी नीति ऐसी रही चाहे वह हमारी रही हो चाहे वह अब आपकी हो उससे उस क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हुआ । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस क्षेत्र का आर्थिक आधार कृषि है यह नहीं है । मैं उससे सहमत नहीं हूं । वहां के लोगों का आर्थिक आधार मनीआर्डर है । उनको छोटे से छोटा काम दूर दराज के स्थानों पर जाकर करना पड़ता है और उसमें जो कमाते हैं, वह मनीआर्डर द्वारा अपने परिवार को भेजते हैं । यह उनकी दयनीय दशा है । आप सर्वेक्षण करायें कि कितना प्रतिशत वहां के लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं । म चाहता हूं कि वहां की अर्थ व्यवस्था का आधार कृषि, फलोद्यान, उद्योग, पर्यटन बनें, लेकिन वह आज तक बन नहीं पाए । आज भी मनीआर्डर के भरोसे वहां के लोग जीवित हैं । इसलिए अगली बार से आप इसमें सुधार करें । पर्वतीय क्षेत्र के 5 विकास खण्ड ऐसे हैं, जहां पर लोगों की आर्थिक दशा सबसे कमजोर है जौनसार भावर और तराई में जहां जनजाति के लोग रहते ह । इसके अलावा पिथौरागढ़ और नैनीताल में दो ब्लाक ऐसे हैं, जिसमें थारू जाति के लोग रहते हैं ।

बंधुआ मजदूरी प्रथा प्रदेश में सब जगहों से समाप्त हो गयी है, लेकिन यह वहां का दुर्भाग्य है कि यह कुप्रथा अभी वहां लागू है । वहां के पिछड़पन का इससे ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है । इसलिए वहां का आर्थिक विकास इतना अवश्य किया जाय कि यह कुप्रथा वहां से समाप्त हो सके । पांचवी योजना में कांग्रेस सरकार का ध्यान उस ओर गया और इस अवधि में (74-78) इस योजना में केन्द्रीय सरकार ने 73 करोड़ रुपया उसके लिये दिया और 156 करोड़ रुपया कुल व्यय किया गया । इसमें राज्य का व्यय लगभग 4·6 प्रतिशत शामिल है ।

तो राज्य सरकार का योगदान उसमें बहुत कम रहा है । वहां की योजनाएं मुख्य रूप से केन्द्रीय सहायता पर आधारित हैं, उसे राज्य की सहायता दाल में नमक के बराबर मिलती है । छठवीं योजना (78-83) (781 करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन अब तक संकेत नहीं मिला है कि इसमें केन्द्र सरकार का योगदान कितना होगा । मैं चाहूंगा कि

[श्री देवबहादुर सिंह---]

(इस समय 1 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए ।)

मंत्री जी इस बात का प्रयास करें कि केन्द्रीय सहायता की जानकारी हमें समय पर हो जाए, जिससे हम योजना की रूपरेखा सही प्रकार से बना सकें। वहां के लोगों की मांग है कि चूंकि हमारी आबादी हिमांचल प्रदेश से आगे है, इसलिए जितना वहां विकास पर व्यय किया जाता है, कम से कम उतनी ही धनराशि हमारे जिलों पर खर्च की जाए । यह मांग कांग्रेस के जमाने में भी उठती थी । हमारे मन्त्री जी इस दिशा में प्रयास अवश्य करें । ऐसा लगता है कि हमारे पवतीय क्षेत्र के विकास के प्रति केन्द्रीय सरकार उदासीन है, वह उत्साह के साथ अपना योगदान नहीं कर रही है, जिस उत्साह के साथ अब तक केन्द्र सरकार उसके लिए योगदान करती रही है । हमारे मन्त्री जी इस पर अवश्य जोर डालें । मान्यवर, मंत्री जी ने ठीक बताया कि कितना-कितना रुपया मिला । पर्वतीय क्षेत्र का विकास नामक पुस्तक आप ने बांटी । मान्यवर, उसी के पृष्ठ 10 पर आप देखें कि एक तालिका दी हुई है । इन्हीं की है मान्यवर, आइटम नं० 4 पर उद्योग एवं खनिज पर 1978-79 में अनुमानित व्यय है 2·57 करोड़ और अब आपने 79-80 में प्रस्तावित परिव्यय रखा है 1·56 करोड़ रुपये का । ऐसा क्यों । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उद्योग एवं खनिज में कटौती करने का क्या कारण है । आप को वहां पर उद्योग लगाने चाहिए तो इस पैसे को बढ़ाना चाहिए था । इससे आप मान्यवर, इसको आप देखें कि घटने का क्या कारण है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, कृषि का कार्य हमारे यहां पर होता है और पहाड़ों पर कृषि के लायक भूमि इतनी है कि वह मुट्ठी और नाली में नापी जाती है । आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि वहां पर आत्म निर्भर नहीं बन सकती है इसीलिए उसकी उपेक्षा होती है । पहले आप कृषि को इस योग्य बना दें कि जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें विकसित ढंग से खेती कर सकें । माननीय मन्त्री जी ने इसी पुस्तिका में लिखा है कि रानी चौरा में कृषि फार्म खोला जा रहा है, जिसमें उन्नत किस्म का बीज वगैरह तैयार होगा । यह तो कांग्रेस सरकार के समय में प्रारम्भ हो गया था, इस में यह नहीं बताया गया है कि यह कब तक पूरा हो जावेगा ।

पंत नगर का बीज हमारे प्रदेश में कृषि क्रान्ति में अभूतपूर्व सहयोग दिया है । और उसका उपयोग किया जाये तो जो लाभ अन्य अंचलों में उपलब्ध हो रहा है वही लाभ पर्वतीय अंचलों में भी उपलब्ध हो सकता है । यह जरूर हो कि पंत नगर के लोग अधिक ऊंचाई पर जाकर इसकी उपयोगिता की जांच करें तो निश्चित है कि पर्वतीय अंचलों को लाभ हो सकता है । मान्यवर, हमारे यहां पर उर्वरकों का प्रयोग नही हो पाता है जितना दूसरी जगहों पर हो रहा है । वहां पर ग्राम सेवक के लिए कोई क्वाटर्स नहीं हैं । जो गोदाम हैं वह ग्रामों से बहुत दूर हैं, वहां से आप खाद ले ही नहीं जा सकते हैं । अगर खाद के गोदाम निकट बनाये जायें तो उसका प्रयोग हो सकता है ।

अब मैं भूमि संरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं । भूमि संरक्षण विभाग और वन विभाग हैं वहां पर । यह कार्य कौन करे और कैसे करें । कुछ लोग कहते हैं कि वन विभाग अच्छा काम करता है और कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि भूमि संरक्षण विभाग अच्छा काम करता है । वहां पर स्वायल इरोजन बहुत हो रहा

है । भूमि संरक्षण का काम प्रभावी रूप से न करने का भी स्वायल इरोजन का एक कारण है । मैंने सुना है कि आप मास्टर प्लान बनायेंगे । स्वायल इरोजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है । हमारे यहां पर खेत ही साफ हो जाते है जब कि प्लेन्स में ऐसा नहीं है । इसलिए आप एक मास्टर प्लान अगर न बनवाई हो तो तुरन्त बनवायें । और कुछ वर्षों में ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे स्वायल इरोजन की आवश्यकता न पड़े ।

फलोद्योग में आपने मान्यवर, वर्ष 1978-79 में 79·6 दीर्घकालीन के लिए धनराशि रखी थी लेकिन वर्ष 1979-80 में यह 60 लाख रुपया कर दी । इसका अर्थ यह हुआ कि गत वर्ष से 19-20 लाख रुपया कम कर दिया । अगर आपने और जगह रुपया बढ़ाया है तो दीर्घकालिक ऋण के लिए भी बढ़ाइये जिसकी बहुत आवश्यकता है । और अगर आप इस धनराशि को बढ़ायेंगे तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आप पर्वतीय अंचल के विकास में दिलचस्पी रखते हैं ।

कई साल से सुनते आ रहे हैं कि बम्बई में सेबों को प्रिजर्व करने के लिए आप कोई शीत गृह बनाने जा रहे हैं । लेकिन वह बीरबल की खिचड़ी की तरह से हो गया है तो पकने में ही नहीं आई । पता नहीं उसका निर्माण कब तक हो जायेगा । चार शीतगृह आपने इस क्षेत्र म अवश्य रखे हैं । फल एक ऐसी चीज है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि वह वहां के निवासियों के लिए आर्थिक विकास में सहयोग करेगा । लेकिन कभी-कभी सेब आलू से भी सस्ता मिल जाता है । हमारे यहां पर कोई भी प्रिजर्वेटरी नहीं है जिससे सेबों को रख कर उस समय हम उसको बेच सकें जब कि बाजार में मांग हो और अच्छे दामों पर बिक सके । अगर आप प्रेरणा लेना चाहते हैं तो हिमांचल प्रदेश से लें । जहां के सेब उत्तर प्रदेश की बनिस्बत बहुत महंगे बिकते हैं । कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिमाचल प्रदेश वाले हमारे सेबों को अपने यहां के सेब बता कर बेचते हैं और अच्छे पैसे पैदा करते हैं तो ये सब मार्केटिंग की बात है । आप भी अपने फलों को इस प्रकार लुभावने और आकर्षक बनावे जिससे बाहर के लोग उनको खरीद सके । और जितने बचे उनकी आप जैम जेली बनवायें । इस कार्य के लिए वहां पर दो एक उद्योगशालायें भी हैं लेकिन उनसे काम नहीं चल पाता है । बाग तो आप दीर्घकालीन ऋण दे कर लगवाते चले जा रहे हैं लेकिन जो बाग है उनके बारे में पता नहीं हो पाता कि कितने फलों का उत्पादन होगा और आप उनके विपणन को, मार्केटिंग की, कोई व्यवस्था करेंगे । वहां के उत्पादकों को यह भी पता नहीं हो पाता कि सरकार हमारे फलों की क्या कीमत देगी । मैं चाहूंगा कि फलों के लगने से पहले अगर सरकार उनको बता दे तो इससे उनका आर्थिक ढांचा ठीक हो सकता है । वहां पर कभी-कभी ओले पड़ते ह, बीमारी लगने के कारण सेब खराब हो जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि सरकार उन फलों के बीमा करने की कोई योजना बनाये ।

हमारे यहां पर फल पट्टी बनी । उनके बनाने की पृष्ठ-भूमि में यह सोचा गया था कि जो लोग गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, उनको उनमें खेती करने के लिए कहा जायेगा लेकिन उनको बड़े-बड़े लोगों ने और हथिया लिया उनमें

[श्री देवबहादुर सिंह--]

उद्यान लगाये जा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि जिनके पास कोई सहारा नहीं है अगर उनके लिए कोई व्यवस्था करा सकें तो मैं सोचूंगा कि आपका यह कुमायूं गढ़वाल डेवलपमेंट कार्पोरेशन भी फलों की खरीद का काम करता है । चाहे इसके माध्यम से चाहे अन्य किसी माध्यम से फलों की बिक्री का काम आप करावें ।

पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई की भी जो आपकी योजनायें थीं वे अधूरी पड़ी हैं । पता नहीं आप उनके बारे में क्या करना चाहते हैं । उनको पूरा करना चाहते हैं या उनको खत्म करना चाहते हैं ? इन योजनाओं के लिये जितना रुपया आवंटित किया गया था उसका आधा भी उन योजनाओं पर खर्च नहीं किया गया । उसको जांच करके माननीय मन्त्री जी आवश्यक कार्यवाही करें ।

बनीकरण के बारे में जगह-जगह लिखा है कि पेड़ न काटें । आन्दोलन भी उसके लिये चला था । यह अच्छा है, पर पेड़ लगाने का भी काम आप करें । ऐसा न हो कि यह पर्वत नंगे हो जायें ।

आपको वित्तीय अधिकार कुछ नहीं है । अगर आपको वित्तीय अधिकार मिल जायें तो थोड़ा बहुत काम आप अपनी योजनाओं में कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप पर्यटन पर भी आ जाइयें, समय खत्म हो रहा है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

कुछ समय दे दें मान्यवर ।

पशुपालन में भी भेंड़ आदि की व्यवस्था आप इस तरह करें कि लोगों को ऊन उपलब्ध हो सके और वे उसमें आत्मनिर्भर बन जायें । ऊन वगैरह का काम बहुत पहले से होता रहा है और तिब्बत से ऊन आती रही है, अब आपने उसे ठप्प कर दिया है । इस ओर भी ध्यान दें ।

सघन योजना जो हल्द्वानी में चलायी गयी है उसे भी पूरा किया जाय । जो डायरेक्टर वहां जाने वाले थे वे नहीं भेजे जा रहे हैं, उनको भेजा जाय और उस कार्य को भी तेजी से किया जाये । इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ।

सहकारिता के अन्दर जो पंचायती स्तर पर सहकारी समितियां पहाड़ों पर बनायी गयी हैं में वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण वैसी सेवा का कार्य नहीं कर पा रही हूं जिसकी कि कल्पना की गयी थी ।

उद्योगों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जो भी वहां उद्योग लगाया जाये वह ऐसा हो कि वहां के निवासियों को रोजगार मिल सके । लकड़ी और जड़ी-बूटी आदि जो चीज वहां उपलब्ध है उसी पर आधारित उद्योग वहां लगने चाहिये और वह उद्योग वहीं के ही निवासियों को दिये जाने चाहिये । लाल कुंवा में एक कागज का कारखाना लगने वाला था और उसका लाइसेन्स भी

बिड़ला साहब को दे दिया गया था पर पता नहीं आज क्यों वह उद्योग वहां से दूसरे जगह जा रहा है। आपको इसे देखना चाहिये वह उद्योग दूसरी जगह न जाने पाये।

शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में आप स्कूल खोल रहे हैं। लड़के अपने स्कूल में कितनी देर में पहुंचते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है इस कारण लाल बत्ती मुझे जलाना पड़ा।

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, स्कूल का जो मानक है, वह मानक इस से काम नहीं चलने वाला है। पेय जल के बारे में हमारी जितनी योजनाएं हैं, आप उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से भी योजनाएं बना रहे हैं, तो उससे काम नहीं चल सकता है। वहां पर कोई नलकूप, नहीं लग सकता, हैंड पम्प भी नहीं लग सकता। इलेक्ट्रिफिकेशन में भी वह जो मानक मैदानी क्षेत्र में है, वह वहां पर नहीं चलने वाला है। एक गांव में तीन टेप लगे हैं और लिख दिया कि पूरे गांव में लगा है। हमारे यहां कोई निजी व्यवस्था नहीं कर सकते? मैं तो उसके लिए यह कहता हूं कि एक धौरा योजना है, 55 घरों में पानी पहुंचा और लिखा दिया कि सारे घर में पानी पहुंच गया। हमारे लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह—

परियोजना के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। 78-79 में 26 लाख, 86 हजार 600 रु० का अनुदान माननीय मन्त्री जी ने लिखा, पूंजी परिव्यय में 6 लाख, 97,000 रु० अबंटित था, 76-77 में 18 लाख, 35 हजार, 400 रु० था, उसके अतिरिक्त पूंजीगत परिव्यय में 6 लाख, 16,000 रु० इस वर्ष जो आपने अनुदान प्रस्तुत किया है, उसमें पूंजीगत परिव्यय की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, पूंजीगत परिव्यय कुछ आपने रखा नहीं, इसका कारण मैं नहीं समझ पाया। मान्यवर, यह राम, कृष्ण बुद्ध का जन्म स्थान है। यहां पर हजारों ऐतिहासिक स्थान भी बहुत से हैं। वे स्थल पर्यटन के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन आपके जो पर्यटक केन्द्र हैं, उसमें पर्यटक लोग आराम से नहीं रह सकते, जब तक उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न हो और उन्हें हर प्रकार के आराम उपलब्ध हों। पर्यटकों से इस देश को करोड़ों रुपये फारेन इक्सचेंज से मिलता है। पर्यटन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो उचित कार्यक्रम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। हमारे

[श्री देव बहादुर सिंह]

यहां खुरपा ताल है और सात ताल हैं। यहां भी पर्यटक केन्द्र बनाया जाय। वहां पर सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। वह पर्यटकों की दृष्टि के आकर्षक नहीं बन पाया है। आप उसे देखें।

यह भारत पर्यटन निगम जो है, यह फाइव स्टार, थ्री स्टार के होटल बनवा रहा है। इसमें सस्ता होटल भी बनवाइये। वह पैसा लाते हैं खर्च करने के लिए। जो कम आय के पर्यटक होते हैं, उनको रहने के लिए स्थान उपलब्ध हो और ज्यादा खर्च न करना पड़े। पोर्टेबुल टेंट भी बहुत से लोग लाते हैं। लेकिन वह कहां रखें जिससे कि वह लूट न लिय जायं। इसलिए पर्यटकों के लिए आप उचित व्यवस्था करें। हमारे यहां जो और भी पर्वतीय अंचल में जो जगहें हैं, वहां जो पर्यटक केन्द्र बनायें, उसके लिए इतनी आर्थिक सहायता या अनुदान दें कि जिससे कि वह पर्यटक लोग उसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें और चले जायं तो वहां के लोग इस्तेमाल करें।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज ऐसे बजट पर बोलने का मौका दिया जो बजट वहां का है। जो देश हिमालय की चोटी पर स्थित है, जहां गिरिगौहर उपत्यका और ऊंची चोटी सुशोभित हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह बात मैं बतला दूं कि 3 बजे इन दोनों विवादों पर समय समाप्त हो जायेगा और बाद में श्रम पर विवाद होगा। कृपया 5 मिनट में समाप्त कर लें। 4 मिनट बाद मेरी लाल बत्ती जलेगी।

श्री भगवती चरण निर्मोही--

मैं बधाई देता हूं पर्वतीय विकास मंत्री को जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्र का दौरा कर लिया है और वहां की सारी समस्यायें सुन चुके हैं और देख चुके हैं। गत वर्ष के बजाय इस वर्ष उन्होंने निर्माण कार्यों में कुछ वृद्धि की है। इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। हमारा अध्यात्मिक देश है, यहां से वेद चले हैं, पुराणों की रचना हुई है लेकिन भौतिकवाद में जब सभी लोग होड़ लगाकर चल रहे हैं तो हमारा भी जी ललचाता है कि हम भी चलें। कार्य हमारे यहां जो कुछ हुआ शनैः शनैः हुआ, उसे चींटी की चाल कहा जाये तो गलत नहीं होगा। आपने समय कम दिया है, 2-2 बातें संक्षिप्त रूप में कहूंगा। सबसे मुख्य समस्या यातायात की है। इसके अभाव में उद्योग-धंधे पनप नहीं सकते। जबतक यातायात के साधन नहीं मिलेंगे तबतक जनजीवन की समस्याओं का कामना करना पड़ेगा। न स्कूटर, न साइकिल, न फिटफिटी है। हमारा आर्थिक सुधार भी तब त नहीं हो सकता। जबतक यातायात के साधन न हों।

दूसरी चीज हमारे यहां नदियां हैं, झरने, सोते हैं, अगाध जल-भंडार है लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग उसका उपयोग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे, 2-2 मील जाती हैं हमारी महिलायें, माताएं बहनें पानी लेने और वहां 3/4 घंटे बाद उनकी बारी आती है। यह भी हमारी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने में एक कारण है। मैं कहूंगा सबसे पहले यातायात और पानी की समस्या सुलझाई जाये।

स्कूलों के सम्बन्ध में क्या कहे, बिल्डिंग ध्वस्त, अस्त-व्यस्त हो गयी हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए स्थान नहीं है। आगे दौड़ और पीछे चट्टी चौड़, एक वैज्ञानिक तरीके से काम हो तो अच्छा होगा। हमारे यहां औषधि भण्डार भरा पड़ा है। क-एक जिले में औषधि निर्माणशाला खोल दें। अष्टवर्ग की जितनी चीजें हैं, वह हिमालय में पदा होती है। लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर इस पर ध्यन दिया जाये तो वहां को आर्थिक स्थिति काफी सुधर सकती है और देश का भी काफी हित उससे हो सकता है। जहां तक पर्यटन विभाग का सम्बन्ध है में पर्यटन पर भी दो शब्द कह दूं। पर्यटन विभाग आज बना है बड़े लोगों के लिए। 20 रुपये 25 रुपये की बेडिंग 10 रुपये को बेडिंग मिलती हैं। वह जो साधारण आदमी है उसके लिए पर्यटन विभाग क्या करता है। वहां कुछ ऐसे डीन शेड या ऐसे भवन बनाये जायें जिस पर एक रुपये में या 8 आने में रात भर पर्यटक निवास कर सके। जिससे गरीब पर्यटकों को राहत मिल सके।

जहां तक अधिकारियों का प्रश्न है आज हम लोगों में यह मनोवृत्ति भर गयी है कि सब अधिकारी भ्रष्ट है। में कहता हूं कि अगर सब अधिकारी भ्रष्ट होते तो देश रसातल में चला जाता। कुछ जरूर है अभी कल को में बात बताऊं। पूरन जी एक हमारे सदस्य हैं, वह हमको सुना रहे थे। किसी के यहां कोई अधिकारी खराब रहा होगा, वहां वे लोग कह रहे थे कि इसको यहां से हटा कर पौड़ी भेज दो। मुझे हंसी आई। पौड़ी क्या हुआ अन्डमान निकोबार हो गया, काला पानी हो गया। यह मनोवृति नहीं होना चाहिए कि जो अधिकारी खराब है उसे पहाड़ पर भेज दें। हमारी मांग है कि हिमांचल प्रदेश के बराबर हमारा बजट होना चाहिए। में मुख्य मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से और अपने मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी व्यवस्था करें।

इसके साथ-साथ बहुत से लड़के वहां एम० ए०, बी० ए० किए हुए बेकार हैं। वहां कुछ ऐसे उद्योग लगाये जाएं। जिससे इन्हें रोजगार मिले। नये उद्योग न लगाये जायें तो कम से कम पुराने उद्योगों को ही पनपाया जाए तो वहां की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

श्री गोविंद सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने अभी तक बताया कि आज से पांच साल पहले 27 करोड़ फिर 35 करोड़ फिर 55 करोड़ फिर 66 करोड़ और इस वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपये का बजट पर्वतीय विकास विभाग का हुआ परन्तु इस पर भी पहाड़ों पर असन्तोष है। आज भी इतना असन्तोष है कि उत्तराखंड राज्य की मांग वहां दिनों दिन जोर पकड़ रही है। हम विकास को किस दिशा में लिए जा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम जो वहां की है हम उसे नहीं बढ़ा पा रहे है। यही असन्तोष का मुख्य कारण है। यहां पर जितने भी अनुदान प्रस्तुत हुए उनमें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है मैदानी हिस्सों के लिए।

पर्वतीय अन्चल की जो बात कही गई है वह भिन्न है मैदानी हिस्सों से। पर्वतीय अन्चलों पर सड़कों के यातायात पर गौर करना पड़ेगा। यहां पर सड़कों के अतिरिक्त यातायात का कोई साधन नहीं है, जल मार्ग नहीं, आकाश मार्ग

[श्री गोविन्द सिंह मेहरा]

नहीं, सड़कें हो एक यातायात का साधन हैं । यही एक मुख्य साधन है जो यहां के निवासियों को पर कैपिटा इनकम एवं वहां की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है । सब लोग इस बात को मानते हैं कि पहाड़ों पर कृषि से हम उन्नति नहीं कर सकते । वहां पर जो हार्टीकल्चर, बागवानी होती है और उसका जो उत्पादन होता है चाहे वह सेब हो, चाहे आम हो, चाहे खुबानी हो या चाहे प्लम हो तो जो बागवानी होती है और जो उसके उत्पादन हैं उनके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है, मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है । बाजार में फल जितने दामों में बिकते हैं उससे अधिक मजदूरी हो जाती है । तो जब तक वहां मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होती है तब तक बागवानी का फायदा नहीं हो सकता और बागबानी पनप नहीं सकती है । मैं बताना चाहता हूं कि लोगों की भावना क्या है । प्रेस गैलरी की ओर देखिए एक भी दर्शक नहीं मिलेगा । कोरम सदन में नहीं है, मंत्री जो बैठे हैं । आज से चार पांच दिन पहले रमाशंकर कौशिक जी ने कहा था, एक नीतिगत प्रश्न उठाया था, घोषणा की थी कि पहाड़ पर वहां हिल कैडर बना दिया है, स्वास्थ्य विभाग में । वहां के लड़कों को एम० बी० बी० एस० में प्राथमिकता देंगे और अन्य विभागों के लिए सुझाव दिया था कि उनको भी यही करना पड़ेगा । तो हेल्थ मिनिस्टर की घोषणा किसी अखबार में देखने को नहीं मिली, यह घोषणा केवल सदन में हुई ।

एक सदस्य—

अखबार वाले दामों को छापते हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

जनता पार्टी की नीतियों को लड़ाई को छापते हैं ।

श्री गोविंद सिंह मेहरा—

अब मैं पार्टीसिपेशन के बारे में पर्वतीय विकास विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । पर्वतीय विकास विभाग में एम० एल० ए०, संसद सदस्य कोई भागीदार नहीं है । आज से दो साल पहले वहां पर 5, 6 सब कमेटियां बनीं थीं । कोई एल० एस० जी० ई० डी० की थी, कोई पी० डब्लू० डी० की थी, कोई एजूकेशन की थी तो इस प्रकार की 5, 6 सब कमेटीज थीं । उनको भंग कर दिया गया । उच्च शिक्षा मंत्री बता रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में यह भंग हुयी थी ।

श्री देव बहादुर सिंह—

आप उस समय उसी में थे ।

श्री अधिष्ठाता—

समय न नष्ट कीजिए उनको बोलने दीजिए ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा—

अधिष्ठाता महोदय, आज की सरकार विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखती है इसका मुझे विश्वास इसलिए नहीं होता है कि 2 साल हो गए हैं, अगर कांग्रेस सरकार ने मांग किया था तो इस सरकार ने भी रिवाइव नहीं किया । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह कमेटियां बनें और भागीदारी हो । एक बात मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहूंगा । वहां सरस्वती ऊन मिल है । इस बात को

में इसलिए कहूंगा कि पी० डब्लू० डी० विभाग ने 16 लाख रुपये से वाहित विशेष के लिए एप्रोच रोड बनाई गई है । दूसरी तरफ जो चक्कियां हमारे यहां हैं बिजली विभाग पांच हजार रुपये मिनिमम फीडर लाइन के लिए लेता है लेकिन बिजली विभाग ने इसके लिए एक फीडर लाइन बनाई है जिसके लिए 75 हजार रुपया पर्वतीय विकास विभाग ने फीडर लाइन के लिए सब्सिडाइज किया है । तो यह जो दुरुपयोग हो रहा है यह देखने की बात है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री गोविंद सिंह मेहरा—

इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर लिफ्ट इरीगेशन की आवश्यकता है, मंत्री जी इधर ध्यान देंगे । मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, पर्यटन का आज महत्व बढ़ता जा रहा है । पिछले 30 सालों से लेकर आज तक यात्रियों के आवागमन म काफी बढ़ोतरी हुई है । इसकी पुष्टि इससे होती है कि 1938 में हरिद्वार में जो कुम्भ मेला हुआ था उहम साढ़े चार लाख यात्री आये थे जबकि 1974 के कुम्भ मेले म 60 लाख यात्री आये हैं जिसमें 5 हजार विदेशी और 1100 साउथ एशिया के यात्री उपस्थित थे । इसलिए मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हरिद्वार में जो पर्यटन केन्द्र ह उसको कार्य क्षमता बढ़ायी जाय । चूंकि वहां 5 जून से गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के मेले होने जा रहे हैं जिसमें 5-6 लाख यात्री इकट्ठा हो जायेंगे । इसलिए इस पर्यटन केन्द्र को सक्षम बनाया जाय और वहां स्टाफ बढ़ाया जाय इसके साथ ही साथ पर्यटन केन्द्र का समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे रखा जाय ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन पर्यटन विभाग के संबंध में यह है कि पर्यटन विभाग का कार्य जानकारी देना, सूचना संग्रह करना या यात्रियों को कुछ बताना है, लेकिन इसके साथ-साथ चूंकि गढ़वाल से गाजीपुर तक हमारा प्रदेश फैला हुआ है और इधर हिमालय से विंध्याचल तक हमारा प्रदेश फला है, इसलिए तीर्थ स्थानों में विभिन्न क्षेत्रों के यात्री आते हैं जो विभिन्न भाषा, विभिन्न वेश-भूषा, विभिन्न खान-पान और विभिन्न संस्कृति के मानने वाले होते हैं, तो पर्यटन केन्द्र योजना बनाये कि उनमें राष्ट्रीय भावनात्मक एकता का प्रतिपादन करने के लिए साहित्य, फिल्म, मेले, उत्सव आदि की योजना बनाकर कार्यान्वित करें । मान्यवर, मंत्री जी ने अपनी पुस्तिका में प्रदर्शित किया है कि "बसुधैव कुटुम्बकम्" यह भावना अच्छी है और खुशी होगी कि माननीय मंत्री जी अपने इस बजट कार्यकाल से इस भावना का श्रीगणेश करें जिससे प्रदेश के और देश की विभिन्न भावनाओं का विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों में राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतिपादन हो ।

मान्यवर, यह तीर्थ स्थान आज से हजारों लाखों वर्षों से राष्ट्रीय एकता के मिलन के केन्द्र रहे हैं जहां ऋषियों और मुनियों ने तीर्थ स्थानों म यात्रियों के मिलन की परम्परा जारी की जबकि उस समय रेल और सड़कें तक नहीं थीं और

[श्री राजकुमार शर्मा]

लोग पैदल यात्रा करके तीर्थ स्थानों में एकत्र होकर मिलते थे । इसलिए प्रयाग, हरिद्वार, वाराणसी में जो यात्री जाते हैं वहां आप देखें तो वहां लघु भारत के दर्शन होते हैं । मान्यवर, कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक, डिबरूगढ़ से जूनागढ़ तक, केरल से कामाख्या तक 2 हजार मील लम्बे और 2 हजार मील चौड़े विशाल भारत के यात्री इन तीर्थ स्थानों पर आते हैं और अपनी श्रद्धा तथा भावना के फूल वहां अर्पित करते हैं । उस राष्ट्रीय एकता की पुष्टि पर्यटन विभाग द्वारा ही हो सकती है । इसलिए पर्यटन विभाग का कार्य केवल जानकारी देना, सूचना संग्रह करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का काम भी करना चाहिए ।

मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मैंने जो पुस्तिका पढ़ी है उसमें 8,34,000 रुपये से हरिद्वार के पर्यटक आवास में 20 कमरों का विस्तार किया जायेगा । यह खेद का विषय है कि साढ़े आठ लाख रुपये में 20 कमरे ही बनेंगे । पता नहीं यह कमरे एयर कंडीशन होंगे या वर्ग लोक, इन्द्र लोक की तरह होंगे या अमरावती, अशोक होटल, ताज होटल, ल्यीरियल होटल अमेरिका की तरह होंगे । तो मैं कहना चाहता हूं कि इस गरीब और प्रदेश की जनता का पैसा अनाप अनाप सनाप जो खर्च किया जा रहा है, यह खेद की बात है । मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार के जो कमरे बना रहे हैं 20/25 बेड्स के हिसाब से, यहां तो केवल टाटा बिड़ला और सिंघानिया क डायरेक्टर ही ठहर सकते हैं इन पर्यटन आवास भवनों में । गरीब आदमी इन आवासों में नहीं ठहर सकता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि 2, 4, 5, 7 क धर्मशाला टाइप कमरे बनाये–भले ही उनमें सुविधायें कम हों लेकिन 90 प्रतिशत जनता को रहने का मौका मिल सके ।

मान्यवर, इसी तरह से हरिद्वार पौराणिक क्षेत्र है । स्कन्दपुराण के केदार खंड में इसका वर्णन है । यहां पर पौराणिक मन्दिर हैं । बाण गंगा के किनारे पचेलों महादेव का मंदिर है । चामुन्डा देवी का मन्दिर है जहां पर भगवती ने मुंड राक्षस का वध किया । जहां पर चंड राक्षस को मारकर विश्राम किया था, वह चंडी देवी का स्थान है । विचकेश्वर महादेव के पीछे पांडवों का कुंआ है । अन्नपूर्णा का स्थान भी यहीं पर है । मेरा निवेदन है, मान्यवर, कि इन स्थानों का विकास किया जाय जहां पर कि यात्री आराम से बैठ सके और जा सकें ।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बुन्देलखंड और बांदा क्षेत्र में पर्यटन की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, चित्रकूट सारे देश का पवित्र स्थल है और इसमें न केवल वर्ष में एक–दो बार, बल्कि हर महीने अमावस्या को लाखों की तादाद में देश और विदेश से भी यात्री आते हैं । इस सम्बन्ध में भारत सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया गया है । उत्तर प्रदेश शासन ने भी चित्रकूट के विकास के सम्बन्ध में कुछ योजनाएं बनायी हैं । इस देश और प्रदेश की जनता को आशा थी कि सरकार द्वारा चित्रकूट क्षेत्र का समुचित विकास किया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह कभी चित्रकूट तशरीफ ले जायं और वहां की समस्याओं के सम्बन्ध में अवलोकन करें । इतनी भीड़ होती है कि कहीं न कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं । सड़कें बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कम चौड़ी है और टूटी–फूटी हैं। इतनी भीड़ होने के कारण कपड़े फट सकते हैं, बहू बेटियों को ले जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं माननीय जी मंत्री से आग्रह करूंगा कि चित्रकूट के विकास के लिए युद्ध स्तर पर योजनायें बनायें और उनको लागू करने की कृपा करें। मान्यवर, वहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मंत्रीगण या सदस्यगण वहीं जायं तो पायेंगे कि हर पर्व के समय दुर्गन्ध और महामारी का क्षेत्र वह बन जाता है। शौचालय और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं ह। टिकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक टूरिस्ट बंगला सरकार की तरफ से बना दिया गया है जिसमें इतना ऊंचा किराया लिया जाता है कि वहां पर गरीब आदमी ठहर ही नहीं सकता है। केवल बड़े बड़े अधिकारी ही ठहर सकते हैं। अतः वहां पब्लिक धर्मशालों का इंतजाम किया जाय ताकि लोग आसानी से ठहर सकें। साथ ही सफाई का अच्छा इंतजाम कराया जाय।

इसी सिलसिले में एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब श्री जे0 डी0 शुक्ला, राजस्व परिषद् के अध्यक्ष थ, तो उन्होंने वहां मानस चतुर्शती संस्था पंजीकृत कराया था और रामायण गोष्ठी आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन 73 से कुछ लोगों ने जिनमें कर्वी के भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका भी शामिल थे, कुछ पत्रकार शामिल थे, उन्होंने रामायण मेला शुरू किया। यह सिलसिला सन् 1978 तक चलता रहा लेकिन जनता पार्टी का शासन बनने के के बाद मैं बताना चाहता हूं कि बांदा में उस स्वयंभू व्यक्ति की क्या ख्याति है। वह दूसरा संजय माना जाता है। वह फर्जी अध्यक्ष बन गये। माननीय प्रधान मंत्री जी को भी पिछले साल ले गये और अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कुछ यहां के मंत्रियों को भी बुलाया। मैं, मान्यवर, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उसने लाखों रुपया न केवल उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार से लिया बल्कि तमाम अन्य प्रदेशों से भी वह रुपया लाये जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इस व्यक्ति ने रामायण जसे पवित्र नाम को बदनाम करना शुरू कर दिया है। और पर्यटन विभाग को जब यह मालूम हुआ तो उसने कहा कि हम इस व्यक्ति के साथ कोई आयोजन नहीं करेंगे।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)--

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं हैं उसका नाम यह ले रहे हैं। यह रामायण मेले पर बोल रहे हैं या बजट पर। पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में सुझाव देने चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

व्यवस्था यह है कि रामायण के स्थान और अधिक धार्मिक स्थान भी पर्यटन के स्थान ह। यह उनको मिलाकर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आप उनकी बात सुनें। जब आप बोलें तो आप सुझाव दें।

श्री देव कुमार--

मैं इसलिए कह रहा हूं कि पर्यटन विभाग से उनको अनुदान मिला। एक मेला मार्च में हुआ जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री ने किया। दूसरा रामायण मेला अप्रैल में हुआ जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। जिसमें

[श्री देव कुमार]

विदेश मंत्री जो ने उद्घाटन किया उसमें पहले की समिति ने उत्तर प्रदेश शासन से अनुदान की मांग की लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला । जिसमें मुख्य मंत्री गये और जिसका आयोजन इस स्वयंभू नेता ने किया था उसके लिए 40 हजार रुपया दिया गया । पर्यटन विभाग उसमें शामिल था । रामायण मेले में ऐसे आयोजन किये गये जिनसे वहां की जनता में बहुत असंतोष था । उसमें नर्तकियां बुलायी गयीं । लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची । टेंट वाले और बिजली वालों का पैसा आज तक बकाया है । वह घूम रहे हैं, उनका पेमेन्ट नहीं हो रहा है । मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इसकी जांच करावें तथा उनसे हिसाब-किताब लेना चाहिये और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकना चाहिये ।

बांदा में नवबांदा तालाब है जो बहुत खूबसूरत तालाब है । मैं माननीय मंत्री जी से कहा था कि इसे पर्यटन के अंदर ले लें वहीं पर करनी गनेशगंज में एक स्थान है जहां खजुराहो के समानमूर्तियां हैं । उसे भी पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय और उस स्थान का उपयोग किया जाय ।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर गौर करेंगे ।

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पर्वतीय विकास के संबंध में पर्वतीय विकास मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए जो धनराशि निश्चित की गयी है उसके सम्बन्ध में हमारे माननीय मैदानी इलाकों के सदस्यों में तथा पूरे प्रान्त के अंदर कुछ लोगों को भ्रम है और मैं सबसे पहले इस भ्रम को दूर करना आवश्यक समझता हूं । मान्यवर, हमारा पूरे प्रदेश का जो बजट है उसके हिसाब से यदि आठ जिले जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के हैं उनका महत्व यदि पूरे देश और प्रदेश को दृष्टि में रख कर देखा जाय तो मैं समझता हूं कि यह बजट बहुत कम है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र तिब्बत, नेपाल और उधर हिमाचल की सीमा के साथ मिला हुआ है जिसकी लंबाई लगभग एक ओर से 1100 किलोमीटर है, दूसरी ओर से साढ़े आठ सौ किलोमीटर है और साढ़ सात सौ किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ।

इस क्षेत्र का महत्व सीमान्त क्षेत्र होने के नाते और देश की सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा भारी है । इसके साथ ही इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक सम्पदा है उसी सम्पदा के कारण पूरे प्रदेश और देश का विकास होता है । उदाहरण के तौर पर हमारे यहां से गंगा, भागीरथी, अलखनन्दा, पींडर नदियां निकलती हैं जिनके स्रोतों से जिनके जल से हमारा पूरा प्रदेश सरसब्ज होता है। आज सरकार को करोड़ों की योजनायें खाद की बनती हैं लेकिन उन नदियों के पानी से हमारी खेती उपजाऊ बनती रहती है और हमें खाद की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती । इस तरह से वन सम्पदा हो, खाद्य पदार्थ हों, हमारे क्षेत्र में हैं ।

कुछ सदस्यों ने कहा कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है । यह सही है कि हमारा क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है क्योंकि सम्पदा के होने के बावजूद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे क्षेत्र में योजनायें नहीं बनायी गयी हैं । इस देश का सीमान्त क्षेत्र का प्रहरी होने के नाते, प्राकृतिक सम्पदा के द्वारा देश और प्रदेश को सबल बनाने म समर्थ होने के नाते और इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देन के नाते, म समझता हूं कि जो ७० करोड़ का बजट इस क्षेत्र के लिय रखा गया है वह बहुत कम है । इसे बढ़ाया जाना चाहिये ।

आज हम जानते हैं पूरे प्रदेश में नई सड़कें बन रही हैं । रेलवे लाइनों का विस्तार भी हो रहा है । मैं सदन के माध्यम से, प्रान्तीय सरकार के माध्यम से पर्वतीय विकास मंत्री और मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमें आगे बढ़ना होगा । 1927 में जो अंग्रेजों ने ऋषिकेश से चमोली, ऋषिकेश से उत्तरकाशी और देहरादून से डाकपत्थर और रामपुर से हल्द्वानी तक रेलवे लाइन की सर्वे की थी उसको क्रियान्वित किया जाय और केन्द्र सरकार को इसके लिए मजबूर किया जाय । सीमान्त क्षेत्र में देश का प्रहरी होने के नाते और उस क्षत्र के विकास के के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वहां के नागरिकों के विकास के लिये, इन रेलवे लाइनों को बनवा कर यहां रेल पहुंचानी बहुत आवश्यक है । मान्यवर, मैं यह भी जानता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में करोड़ों रुपये का बजट जाता है । वहां जो स्कूल, कालेज तथा अस्पताल खोले जा रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं वहां पर सभी विभागों के कर्मचारी हैं उनके लिये एक अलग से कैडर बनाने की जरूरत है जिससे हमारे यहां के बच्चे जो एम०एस०सी० प्रथम श्रेणी में पास होने के बावजूद धक्के खाते फिरते हैं उनको इम्प्लायमेंट मिल सके । यह बात उस क्षेत्र के लिये बहुत आवश्यक है सारे विभागों का अलग से कैडर बने । हमारा पवर्तीय क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है । अगर सबसे अधिक यात्री किसी क्षत्र में जाते हैं तो बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देवप्रयाग रुद्रप्रयाग आदि स्थान है । कल 301 में यह सूचना दी थी कि ऋषिकेष में 21 अप्रैल से कई हजार आदमी पड़े हुए हैं, वहां बस की व्यवस्था नहीं है, बीमारी की आशंका है । उस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर मोटरों की व्यवस्था की जाय ताकि यातायात सुलभ हो सके क्योंकि यह वहां के लिये बहुत जरूरी है । इससे पर्यटन बढ़ सकेगा । पर्यटन विभाग के बंगले भी बने हुए हैं । बहुत सी सुविधायें वहां उपलब्ध हैं लेकिन वहां की प्राकृतिक सम्पदा को देखते हुए अगर योजनाबद्ध समयबद्ध कार्यक्रम बने तो स्विटजरलैन्ड से अधिक आकर्षक तथा महत्वपूर्ण स्थल हमारा यह पर्वतीय क्षेत्र है । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि पर्यटन विकास मंत्री पर्वतीय क्षेत्र में दो नगरियों देहरादून तथा मंसूरी का विकास करेंगे । मंसूरी आज वीरान होती जा रही है । देहरादून तथा मंसूरी की योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जाय । इन शब्दों के साथ मैं पर्यटन विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री मुख्तार अनीस--

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं पर्वतीय विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । पिछले वर्ष देहरादून तथा मंसूरी गया था । मंसूरी ऐसी खूबसूरत पहाड़ी है जिसको सभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुख्तार अनीस]

पहाड़ियों की रानी कहा जाता है लेकिन वह गंजी होती जा रही है। धीरे-धीरे उसके सारे पेड़ कटते जा रहे हैं और वहां पर पत्थरों की खुदाई हो रही है।

श्री अधिष्ठाता--

बूढ़ी तो नहीं हो रही है ?

श्री मुख्तार अनीस--

उसके बाल झड़ रहे हैं। उसकी खूबसूरती के लिये बालों का होना जरूरी है। वहां पर वर्ष में एक बार फसल पैदा होती है। लिहाजा वहां जीविकोपार्जन के लिये जो समस्यायें हैं उनको हल करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये जायें। वहां पर फल तथा बड़े-बड़े बाग लगाये जा सकते हैं और वहां के लोगों की गरीबी को मिटाया जाय। जो वहां पर छोटे उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय ताकि वहां की गरीबी मिट सके। पहाड़ों के अन्दर शिक्षा के मामले में आगे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको काम दिलाने के लिये छोटे-मोटे उद्योगों में लगाया जाय ताकि वहां की गरीबी मिट सके। यह एक बुनियादी बात है। पर्वतीय विकास मंत्री इस ओर तवज्जह देंगे। लखनऊ शहर को देखिये यहां दुनिया के लोग आते हैं। हमारे प्रदेश की यह राजधानी है। यह पर्यटन के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ? यहां दो बड़े इमामबाड़ हैं, जो बड़े ऐतिहासिक महत्व के हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें हैं। मान्यवर, आप देखें, बेगम हजरत जहां रहती थीं, हजरत महल, जोकि आज छतर मंजिल है और वहां दवाइयां बन रही हैं। वे स्वतंत्रता संग्राम की रानी रही हैं उनका जो महल था वहां आज ड्रग इंस्टीट्यूट का दफ्तर है। वह महल आज तबाह हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस तरफ तवज्जह दें। जो किताबें इस सम्बन्ध में छापी गई हैं वे बड़ी घटिया किस्म की ह। उनसे कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसमें सिर्फ यही लिखा है कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया है लेकिन जो पौरुष इन लोगों में था, जो भारतीय संस्कृत थी, हिन्दू और मुसलमानों में जो एकता थी उसके सम्बन्ध में बातें नहीं कही गई हैं। इसलिये मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि लखनऊ के अन्दर, शहर के अन्दर अखबार में और अन्य जगहों पर योगेश चन्द्र आदि के जो लेख निकलते हैं और लोगों के निकलते हैं वह एक ऐतिहासिक चीज है।

इन लेखकों की एक कमेटी बनायी जाय जो मंत्री जी को जानकारी दें। इसी तरह से नवाबगंज है जहां पर कि पर्यटन की एक अच्छी झील बन सकती है जो कि एक अच्छा आकर्षण का केन्द्र बन सकता है। हम देखते हैं कि जो तीर्थ-स्थल हैं वहां पर बहुत गन्दगी रहती है। वहां पर सफाई का कोई व्यवस्था नहीं होती जिससे वहां कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता है। इसलिये वहां पर सफाई आदि की सुविधा होनी चाहिए और हम लोगों को उसकी जानकारी मिले।

एक बात मैं अन्त में यह कह देना चाहता हूं कि हमारे एक माननीय सदस्य ने यहां पर रामायण मेले की चर्चा की। वे बांदा के रहने वाले हैं। उन्हें मेले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहां पर जो रामलीला समिति है वह एक ही समिति उत्तर प्रदेश सरकार में वैध है उसको भी सीधे पैसा नहीं दिया जाता है। झांसी मंडल का जो कमिश्नर है उसके माध्यम से दिया जाता है। जो २० हजार रुपया दिया गया था वह झांसी मंडल के कमिश्नर को दिया गया और उनकी राय से वह खर्च किया गया था

वह किसी दूसरे माध्यम से खर्च नहीं किया गया । मैं चाहता हूं कि इसी तरह से मेलों को योजना दूसरी जगहों पर भी की जाय जिससे लोगों को जानकारी मिले और भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े । इन शब्दों के साथ म माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

एक सदस्य—

आप मुझे समय नहीं दे रहें हैं क्या आपने तय किया है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने यह तय किया है कि एक समय में एक ही आदमी को बुलाऊंगा । आपको मौका मिलेगा । आप कृपया बैठें ।

*श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया है इसके लिये धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । उन्होंने कुछ आंकड़े भी रखे हैं और कहा है कि हमने इस वर्ष गत वर्ष से अधिक बजट रखा है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारी वकालत उस तरह से करें जिस तरह से हिमालय है । हिमालय के बराबर ही बजट भी हम मिलना चाहिये । ५ मिनट का समय है । मान्यवर, अरुणाचल और मेघालय को देखिय । वहां की ४ लाख की जनसंख्या है और इस वर्ष उन्हें ज्यादा बजट मिला है । उत्तर प्रदेश में ८ पर्वतीय जिले हैं वे सफर न करें, इतना ध्यान मंत्री जी रखें । उन्ह ज्यादा पैसा मिलना चाहिये । माननीय देव बहादुर जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनसे भी मेरा निवेदन है कि पर्वतीय जिलों में उत्तरकाशी और टेहरी की प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे कम है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में आमदनी सब से कम है । मेरा निवेदन है कि जिस तरह से माननीय नारायण दत्त जी सारा पैसा तराई में ले गये उस तरह से वे न करें । इसलिये मेरा पर्वतीय विकास मंत्री से और कटौती के प्रस्ताव को जिन साहब ने रखा है उनसे भी निवेदन है जो लोग पिछड़े हुए हैं चाहे वह अल्मोड़ा के हों चाहे पिथौरागढ़ के हों चाहे जो टेहरी के हों उनका ध्यान अवश्य रखा जाय । यह पैसा तराई भावर में न खर्च किया जाय ।

इसके साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि जो पैसा आप देते हैं उसका सही उपयोग होना चाहिय । आपने कहा कि इतने हास्पिटल और इतने स्कूल हमने खोले हैं । यह बात सही है कि गत दो वर्षों में कुछ खुले हैं लेकिन खाली स्कूल और हास्पिटल खोलन से काम नहीं हो जाता है । वहां अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और स्कूलों में अध्यापक नहीं है । हमारे कमरों में फस्टक्लास एम0ए0 बी0एड0 और डाक्टर लड़के पड़े हुये ह जो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं । जब हम गांवों में जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं कि डाक्टर नहीं हैं । या साल भर से मास्टर नहीं है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें । मैं उनका अभारी हूं कि उन्होंने इस बात को महसूस

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री इन्द्रमणी बड़ौनी--]

किया कि हमारे यहां "श्री पीजवाले" लोग पनिशमेंट, प्रमोशन और प्रोहिविटेड जो होते हैं वह भेजे जाते हैं । उनको आप न भेज कर अच्छे लोगों को भेजिए और पहाड़ के लिये अलग कैडर बनाइये । हमारी प्रार्थना है कि वहां हास्पिटल में डाक्टर और स्कूलों में अध्यापक भजने की व्यवस्था करें ।

हमारे यहां सबसे प्राथमिकता सड़कों को मिलनी चाहिये क्योंकि मैदानों के लिए नागपुर प्लान और बम्बई प्लान बना हुआ है लेकिन पहाड़ों के लिए कोई प्लान नहीं बना । आप जानते हैं कि एक एम0एल0ए0 को आज भी 20 कि0मी0 पैदल चलना पड़ता है । मैं 20 कि0 मी0 पैदल अपने घर से चल कर आता हूं । इसलिए सड़कों का विशेष ध्यान दें । (लाल बत्ती जलने पर) ।

मुझे एक मिनट और दे दें । यह जो आठ जिलों का प्लान है यह खाली पहाड़ों का नहीं है इससे मैदानी क्षेत्र को भी फायदा होगा । अगर वहां का प्लान गलत होगा तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयेगी या यहां सूखा पड़ जायेगा जिससे सारा उत्तर प्रदेश समाप्त हो जायेगा । इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, कि आपसे भी अधिष्ठाता महोदय, निवेदन है आप अच्छी वकालत करते हैं हमारी भी वकालत आप करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और इन आठ जिलों का विकास सही ढंग से हो । इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा) --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं ।

श्री लक्खी सिंह--

मान्यवर, हमको भी समय दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय लक्खी सिंह जी आप बैठें । निश्चित ही बोलने का समय मिलेगा । आप देख रहे हैं बहुत कम माननीय सदस्य बोलने वाले हैं ।

*श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मेरा निर्वाचन क्षेत्र सोरों है । उसका यह दुर्भाग्य रहा है कि सन् 1957 से लेकर लगातार वहां से कोई सदस्य सत्ता पक्ष का नहीं चुना गया । लिहाजा कभी भी शासन का ध्यान उसकी प्रगति के लिए नहीं गया इसलिए पर्यटन विभाग ने भी कोई ध्यान नहीं दिया जिसका मुझे खेद है ।

मान्यवर, सोरों भारत वर्ष के महान तीर्थस्थलों में एक है और प्रति माह हजारों लाखों की संख्या में यात्री न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि सारे भारत से आते हैं । मान्यवर, सोरों के बारे में कई विशेष महत्व की चीजें हैं जिनकी ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन् सोरों में बराह भगवान का एक मंदिर है । यहीं पर भगवान ने सूकर का अवतार लिया था । यह बराह भगवान का प्रसिद्ध मन्दिर है जिसमें अगहन मास में देश के विभिन्न अंचलों से लोग दर्शन के लिए आते है ।

बराह भगवान ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का यहां बध किया था । इस मन्दिर के अलावा भी अनक प्राचीन मंदिर हैं, जैसे सीताराम जी का मन्दिर गंगा जी मंदिर आदि। दूसरी चीज सोरों के बारे में विशष महत्व की यह है कि यहां पर भागीरथी गुफा है । इस संबंध में जनश्रुति यह है कि पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा सगर के 60 हजार पुत्रों के मोक्ष हेतु उन्होंनें वहां पर तपस्या की थी और वह प्राचीन स्थान आज भी वहां मौजूद हैं । वहां पर लोग प्रति दिन आकर गुफा के दर्शन करते हैं । उक्त गुफा के नीचे एक सुरंग है, जो दो किलोमीटर की दूर तक जाती है और इसका बड़ा महत्व है । सोरो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी है, इसलिए भी इस का विशेष महत्व है । प्रसिद्ध तीर्थस्थल हर की पौड़ी भी सोरों में है, जिकेके दर्शनार्थ और जिसमें स्नानाथ यात्री बाहर से हर महीने आते हैं और लोगों की धारणा है कि पौड़ी में स्नान करने के बाद मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है ।

पिछले साल निदेशक, पर्यटन से मैंने समपर्क किया था और यह प्रार्थना की थी कि सोंरो में एक पर्यटन केन्द्र की स्थापना की जाए, क्योंकि वहां पर लाखों की तादाद में तीर्थ यात्री आते हैं, लेकिन वहां पर कोई तरक्की नहीं हुई है । इसपर उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि सोरों में 100 कमरों का एक आवास स्थल हम बनाएगे और उसके लिए उन्होंने रीजनल टूरिस्ट आफिसर, श्री रावत को पत्र भी लिखा था कि क्षेत्रीय विधयक को साथ लेकर वह इस हेतु स्थान का चयन करने जाएं । पत्र उनका भी मेरे पास आया, लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे कोई सम्पर्क नहीं किया । मैंने स्थानीय लोगों को बता दिया था कि वहां पर शीघ्र ही पर्यटन केन्द्र की स्थापना होगी।

पिछली बार तिवारी जी इसके राज्य मंत्री या उप मंत्री थे, उन्होंने भी वहां एक चुनाव सभा को सम्बोधित करते हुए यह ऐलान किया था कि बहुत जल्दी यहां पर एक पर्यटन-केन्द्र की स्थापना कर दी जाएगी और सोरा का समुचित विकास किया जायगा । लेकिन पता नहीं वह सारे कागज क्या हुए । वहां तरूआ-घाट भी एक प्रसिद्ध स्थान है, जो गंगा की पुरानी धारा है, जिसका बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वहां पर पानी की दो-तीन झीलें बड़ी रमणीक हैं । वहां पर एक मेला लगता है, नवजात शिशुओं के मुंडन संस्कार वहां कराये जाते हैं । मैं शासन से मांग करता हूं कि वह अविलम्ब सोरों की ओर ध्यान दे और उसके समुचित विकास और वहां पर एक पर्यटन केन्द्र खोलने की तुरन्त व्यवस्था की जाय ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पर्वतीय विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जष्टब का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं...

[श्री रामदत जोशी--]

उत्तर प्रदेश का वह पर्वतीय अंचल जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है वह शैलानियों की नजर में स्वर्ग है, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों का जीवन गरीबी और बेरोजगारी से अभिशाप है । अलकनंदा, भागीरथी मंदाकिनी, जमुना आदि पचासों नदियां बहती हैं लेकिन वहां की धरती प्यासी है और इन्सान प्यासा है । पिछली कांग्रेस की सरकार ने पर्वतीय विकास के लिए ढिंढोरा तो बहुत पीटा लेकिन जनता सरकार को ही इस बात का श्रेय है कि पर्वतीय विकास मंत्रालय अलग बना और पर्वतीय विकास मंत्री अलग बने । कांग्रस के शासन काल में एक आश्चर्य और हुआ कि ततकालीन मुख्य मंत्री श्री तिवारी ने पर्वतीय विकास के नाम पर 10 करोड़ रुपये अपने क्षेत्र काशीपुर में केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से लगा दिए, केवल वोट बटोरने के लिए यह रुपया जो पर्वतीय विकास का था तराई में झोंक दिया गया और तराई क्षेत्र को अति विकसित करने की कोशिश की गयी । अल्मोड़ा जिले में रानीखेत और नैनीताल जिले के दुर्गम क्षेत्रों म में पर्वतीय विकास मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं, कितनी सड़के बनी हैं, कितने सम्पर्क मार्ग बने हैं, पेय जल की योजनायें बनी हैं और कितने स्कूल बने हैं । यह सब काम इन दो वर्षों में हमारी जनता सरकार ने किए हैं, इतना काम पिछले 30 साल में नहीं हुआ । इसीलिए मैं पर्वतीय विकास मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

माननीय, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र का अभिशाप है बेरोजगारी और गरीबी । बेरोजगारी और भूख वहां का अभिशाप है, जो शैलानियों की नजर से नहीं देखा जा सकता है । उसका निराकरण करने के लिए कोई दिशा वाली योजना नहीं बनायी गयी है । वहां पर लाखों पुरुषों के हाथ कलाहीन पड़े हुए हैं । पर्वतीय क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार देने वाला प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर दिया जाना चाहिये । आप काष्ठ कला को ही ले लीजिए । बरेली से करीब डेढ़ करोड़ रुपये का फर्नीचर साज-सज्जा का सामान प्रति वर्ष पहाड़ो पर जाता है । सेब पहाड़ों पर होता है परन्तु उसकी पैकिंग का सामान मैदानी भाग से जाता है । अगर आप वहां के लोगों को दस्तकारी देना चाहते हैं तो आप मैदानी भाग की तरह यह भी पोलीटेक्निक और आई० टी० आई० खोले जो स्वरोजगार देने वाली संस्थायें हो, नौकरी की तलाश वाली नहीं (श्री भारत सिंह का नाम पुकारे जाने पर) माननीय मुझे पूरा समय नहीं मिला है । मेरा दो मिनट का समय तो माननीय लक्खी सिंह ने ले लिया । 2 मिनट का समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जल्दी से समाप्त कर दें ।

श्री राम दत्त जोशी--

माननीय, इन चीजों पर आप ध्यान दें जिससे पर्वतीय अंचलों का विकास हो सके और वहां के लोगों का जीवन सुधर सके । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि कांग्रेस के शासन न अपने 30 साल के शासन में कुछ नहीं किया पर्वतों के लिए जो जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल में किया । जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका कोई आधार नहीं है ।

*श्री भारत सिंह (जिला गढ़वाल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, में माननीय पर्वतीय विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं लेकिन मुझे खेद है कि बजट को आद्योपान्त देखने के उपरान्त ऐसा लगा कि जितना रुपया इसमें दिया जाना चाहिये था, उतना नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश का बजट 810 करोड़ रुपये का है और अगर आठ जिलों का हम लगाते हैं तो हमें इस धनराशि का एक/सात मिलना चाहिये था अर्थात् 127-130 करोड़ रुपया हमको मिलना चाहिये था। लेकिन मिला केवल 70 करोड़ काश्मीर से लेकर आसाम तक जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन्होंने अपने राज्य अलग स्थापित किये हैं लेकिन उतर प्रदेश में आठ जिले ऐसे हैं जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ इस प्रदेश के शासन द्वारा सौतेला व्यवहार होता है। हिमांचल प्रदेश का बजट 90 करोड़ या एक अरब के लगभग है जब कि हम को केवल 70 करोड़ रुपया ही आपने दिया है जिसका मतलब ह कि आपका पहाड़ के जन-जीवन से और वहां के रहन वालों से कोई संबंध नहीं है। वन विभाग से आपको रेवेन्यू मिलता है लेकिन खर्चा हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सी योजनायें ऐसी हैं जो कि स्टेट की हैं लेकिन उनका खर्चा हम पर लगा दिया जाता है जिससे पर्वतीय विकास नहीं हो पाता। सड़कों के निर्माण के लिए भी जितना रुपया हम को मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला। आपने छठी पंचवर्षीय योजना में अर्थात् 1978 से 1983 तक हमारे यहां 3000 किलोमीटर का प्राविधान किया। लेकिन इस वर्ष के बजट में किसी नई सड़क योजना का प्राविधान नहीं है। आप कहते हैं कि अगर रुपया मिलेगा तो सड़क ली जायेंगी। पुरानी सड़क जो 2-3 साल पहले ली गई थीं उन पर भी काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है। बल्कि ठप सा ही है। जो रुपये का आपने प्राविधान किया है वह आपके अधिकारियों की तनख्वाहों और कर्मचारियों के रख-रखाव में ही सबसे अधिक खर्च होता है। आम आदमी, जो पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं या जिनको आप रुपया देने की बात करते हैं उनके लिए कोई प्राविधान नहीं है।

शिक्षा के बारे में भी आपने इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया। पेयजल की भी वहां पर बड़ी कठोर समस्या है। आपने कहा कि पेयजल योजना बनाई जायेगी 1200 गांवों के लिए लेकिन वहां पर 7000 गांव ऐसे हैं जिनमें पेय जल की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये।

श्री भारत सिंह--

मान्यवर, कोटद्वार और कोटद्वार भाबर में पेयजल की योजनायें बहुत दिनों से चल रही हैं। लेकिन का बहुत धीमी गति से हो रहा है जिससे वहां के निवासियों को पानी नहीं मिल रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भारत सिंह]

सिंचाई के बारे में भी कोटद्वार और कोटद्वार भवर में एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है लेकिन उसका काम रूका हुआ है । इसके अलावा वहां पर माल खोह और सुकरौल नदियां हैं जिनसे गतवर्ष बाढ़ में हजारों बीघा जमीन नष्ट हो गई है । भावर क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है और अगर बाढ़ रोकने का कोई प्रबन्ध न किया गया तो वह सारा क्षेत्र बरबाद हो जायेगा अतः मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से आप इसके लिए कोई व्यवस्था कीजिये ।

विद्युतीकरण के लिए आपने लक्ष्य रखा था कि आप 517 गांवों में बिजली देंगे और 500 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करेंगे लेकिन पहले जो 400 गांव लिये गये हैं, उनमें आज तक बिजली नहीं दी गई है । पर्वतीय क्षेत्र में रोड्स नहीं हैं, सामान नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए विद्युतीकरण का कार्य नही हो रहा है और यही कारण है कि वहां का विकास रुका पड़ा है । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्यटन एवं पर्वतीय विकास मंत्री जी ने जो बजट अनुदान प्रस्तुत की है मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बड़ ध्यान पूर्वक सुना जब कि वे आवासगृहों के निर्माण के बारे में एक-एक जगह का नाम ले रहे थे । पर उनको जबान से आगरा का कहीं नाम नहीं निकला । आगरा मान्यवर, वह स्थान है जिसकी मिट्टी से भारत का इतिहास बना है और इस भारत वर्ष की धरती पर जो भी पर्यटक आते हैं वे यहां अवश्य पधारते हैं : गत वर्ष करीब 7-8 लाख विदेशी पर्यटक भारत में आये और वे सभी आगरा जरूर गये होंगे इससे चौगुनी पचगुनी संख्या भारतीय पर्यटकों की वहां जाती है । अगर आगरा की इसी प्रकार उपेक्षा होती रही तो विदेशी मुद्रा पर भारी असर इसका पड़ेगा और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति जो आज मिली हुई है उसको भी भारी क्षति पहुंचेगी । (व्यवधान)

आगरा से यदि फतेहपुर सीकरी को निकाल दिया जाये तो कुछ शेष नहीं रह जाता । मेरा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी ही है । गत वर्ष भी आप वहां पधारे थे और मैंने प्रार्थना की थी कि वहां पर चूंकि कोई आवास गृह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पयर्टक थककर 5 मिनट के लिये आराम कर सके, इसलिये कोई आकर्षक आवासगृह बनवा दिया जाय । इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें ।

हमारे यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो महाकवि सूर की सूरकुटी के नाम से प्रख्यात है । वह स्थान साहित्य और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्व का है । वहां पर आप भी तशरीफ ले गये थे । उस स्थान को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, यदि वहां पर रंगीले फव्वारे, कुंज, कृष्ण रास लीला के पट आदि लगवा दिये जाये तथा 2 आवास गृह बनवा दिये जायं तो वह स्थान बड़ा आकर्षक हो सकेगा और काफी पर्यटक वहां आ सकेंगे ।

हमारे यहां एक कीटम झील है जहां लगभग 100 पर्यटक प्रतिदिन आते हैं । उस स्थान को भी सुन्दर बनाने की जरूरत है ।

आपने राजामंडी में कुछ आवास गृह बनवाये हैं पर वे ठीक नहीं बने उन आवासों को भी सुन्दर और ठीक करवाया जायें । ऐसे बनाया जाये कि पर्यटक उसमें रह सकें ।

आगरा में जो पर्यटक स्थान बनाये हैं उनको और अधिक धनराशि देकर उनको और अधिक सुन्दर बनाया जाये ।

सड़कों की दशा हमारे यहां बहुत खराब है । कभी-कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती हैं कि पयर्टकों को काफी देर सड़कों पर रुक जाना पड़ता है । अतः सड़कों को ऐसा बनाया जाये कि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो ।

फतेहपुर सीकरी में जो गाइड रखे गये हैं वे अशिक्षित हैं । उनको कोई ट्रेनिंग दी जानी चाहिये और प्रशिक्षित गार्ड रखे जाने चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

*श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी के द्वारा बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, विगत 30 वर्ष के कांग्रेस शासन काल में जो प्लानिंग का ढर्रा अपनाया गया, जनता शासन में भी यद्यपि कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या बढ़ गयी लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं को वहां के भौगोलिक दृष्टि से नहीं हल किया गया । इसी कारण वहां पर आज बेरोजगारी, गरीबी, असंतोष बढ़ता जा रहा है । इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो प्लानिंग किया जा रहा है उस प्लानिंग में वहां की समस्याओं को हल करने लिए तबदीलियां की जायं । जब वहां शिशु पैदा होता है, उसके बाद 17 वर्ष की उम्र तक वहां पर भार के रूप में रहता है । वहां पर बड़ी मुश्किल से मनी आर्डर का जो पैसा आता हैं, उससे खरीद कर बच्चों को पालते हैं । उसके बाद बालक ज्यों ही कुछ काम करने की स्थिति में होता है, तो वह प्रदेश के कुछ भागों में रोजी-रोटी के लिए चला जाता है यानि पहाड़ की प्लानिंग ऐसी नहीं की गयी है कि वहां पर जो पले बहां पर अपना कुछ योगदान दे सके ।

आज सैकड़ों की संख्या में पहाड़ के लोग इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं । आज उनको होटलों में काम करना पड़ता है । सेना में जाना पड़ता है । सबसे पहले वहां पर विशेषज्ञों के द्वारा सर्वेक्षण किया जाय, जो वहां पर सम्पतियां है, प्रकृति की देने हैं उनकी खोज की जाय । वहां पर ऐसे धंधे चलाये जायं जिससे कि वहां का आदमी बहां पर रोजगार पा सके । मान्यवर, इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । एक तो वहां पर जड़ी-बूटियों का शोषण होता है । इस लिए मैं चाहूंगा कि बड़ी बूटियों का काम चलाया जाय । उनकी कृषि की जाय और उन्हीं पर आधारित कृषि की जाय । वहां पर केवल 13 फीसदी जमीनों पर खेती होती है । 66 प्रतिशत बर्फ से आच्छादित हैं । वह वहां के लोगों के काम में नहीं आता है । 65 प्रतिशत राजस्व उत्तर प्रदेश के कोष में आता है । 13 प्रतिशत प्रकृति की जो सम्पति हैं, भूमि है, उस पर वहां के लोगों को निर्भर करना पड़ता ह । हम केवल केन्द्र पर आधारित हैं । इसलिए वहां पर पर्वतीय क्षेत्र के प्रति बजाक और पहाड़ में पर्वतीय राज्य की मांग है । 1791 से पूर्व भी पर्वतीय क्षेत्र का अपना अस्तित्व था । पर्वतीय राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, पर्वतीय

*वक्ता ने अपना भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण सिंह भैसोरा--]

राज्य को पृथक होना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभार प्रकट करूंगा जो उन्होंने वहां की बेरोजगारी को देखते हुए उन्हें रोजगार प्रदान करने की घोषणा की है ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, जब आपकी तरफ देखा, तो मुझे पुरानी याद आ गयी ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरे ऊपर कोई नुकता-चीनी आप न करें ।

श्री मन्जूर अहमद--

टंडन जी की याद आ गयी ।

श्री बाबू बदरे--

मान्यवर, इनको आप ज्यादा पसंद करते हैं ।

*श्री मन्जूर अहमद--

हमारे देश की और प्रदेश को बदकिस्मती है जो जिस विभाग को जानता है, समझता है, जब समझ कर थोड़ा-बहुत समझ लेता है, तब उससे विभाग छीन लिया जाता है और कोई विभाग दे दिया जाता है और हमारे माननीय सदस्य, सीतापुर को पहले बना रखा था ट्रान्सपोर्ट क , बहुत माहिर थे, वह छीन कर पहाड़ों का विभाग दे दिया और तफरीह का सारा कारोबार दे दिया, जिससे उनका वास्ता कभी रहा नहीं । उस अंदाज का बर्ताव हैं हरिजनों के साथ, अछूतों के साथ, पहाड़ों के साथ कच्चा माल जितना पहाड़ों पर पैदा होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि, समय चाहिए । माननीय सदस्य, सीतापुर लघु-उद्योग, बुनकरों के होते तो शायद सोचते । 5 वर्ष का मंत्री, अगर स्थायी मंत्री हो तो 5 बरस में 5 जिलों की समस्यायें समझ नहीं सकता । कुछ काम, कुछ तफरी, दावत, रिश्तेदारी, उद्घाटन, इसमें सब टाइम निकल जाता है ।

श्री अधिष्ठाता--

मंजूर साहब, सीधे इस प्रश्न पर आयें । समय बड़ा सीमित है ।

श्री मंजूर अहमद--

पहाड़ों की तरक्की के लिए बात तो बहुत की जाती हैं । वहां की जो हालत है, 2-1 बार मैं वहां गया और देखा । वहां की बेरोजगारी, सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, सोतों से भरकर महिलायें पानी लाती हैं ।

श्री रामदत्त जोशी--

जब आपको इतना अभ्यास है तो इनको क्यों नहीं होगा ?

श्री मन्जूर अहमद--

मैं तो पहाड़ों में रहता हूं । इसलिए इतना अनुभव है । आज के दौर में इन हालात में अगर पहाड़ों के साथ बराबरी का बरताव, जिनसे हमें कच्चा माल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिलता है जिससे प्रदेश और देश का विकास बढ़ता है, उनके साथ वहां के मानव समाज के साथ इतना बड़ा गैर बराबरी का बरताव होता है जिनका मंत्री जी को पता है ? मंत्री जी लखनऊ में, सचिव लखनऊ में बैठे हैं। कहां पहाड़, कहां चमोली, कहां पिथौरागढ़, उनको क्या पता। वह रुपया जाते-जाते बीच में समाप्त हो जाता है। पहाड़ के मानव समाज का विकास नहीं हो पाता। मेरा सुझाव है कि वहां की समस्याओं को समझने के लिए तफरीह छोड़ कर, माननीय बनारसी दास की खुशामद छोड़कर, दिल्ली के नेताओं की खुशामद छोड़कर वहां पहुंचे, पहाड़ों की समस्याओं को समझें।

श्री अधिष्ठाता—

मन्जूर साहब, आपका समय इसी में समाप्त हो जायेगा।

श्री मंजूर अहमद—

केवल 2 मिनट एक दूसरा सुझाव है.....

(व्यवधान)

हरियाना, चण्डीगढ़ की हालत देखें। गढ़मुक्तेश्वर एक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। वहां करोड़ों लोग आकर स्नान करते हैं। मगर आपने वहां का बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। हस्तिनापुर एक स्थान है, हजारों लोग वहां पर मेले में आते हैं, उनकी सुविधा का कोई ध्यान नहीं दिया। सरधना और ओखरा पर्यटन केन्द्र हैं, इन पर भी कोई सुधार इस सरकार ने नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, अगर मंत्री जी में जरा सी भी खुददारी होती तो उनको ऐसा मुहकमा नहीं लेना चाहिये था, उनको इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

मंजूर साहब बैठ जायें, समय समाप्त हो गया।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं खतम करता हूं। एक शेर पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इनका शेर सुन लीजिये। उसके बाद यह समाप्त कर देंगे।

श्री मन्जूर अहमद—

इसका उन्वान है जे० पी० और जिया।

हाय पाप क्या तेरा कानून सारी दुनिया से ही निराला है,
हमने मुर्दों को जिन्दगी बख्शी तूने जिन्दों को मार डाला है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं और माननीय देव बहादुर जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, जरा समय बढ़ा दें ।

*श्री जय शंकर पाण्डय (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, अयोध्या हिन्दू धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है । महात्मा गांधी के राम राज्य की कल्पना करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वह अयोध्या से लिया गया था लेकिन आज तक कांग्रेस की भी सरकार ने और जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या की दशा उपेक्षित रखा है । पर्यटन विभाग ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । अयोध्या के विकास के लिये मैंने अपने पर्यटन मंत्री को और केन्द्रीय पर्यटन मंत्री को लिखा था । मंत्री जी ने यह आश्वासन भी दिया था कि ब्रिज परियोजना के आधार पर राम परियोजना का निर्माण किया जायेगा । प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने बताया कि अयोध्या और चित्रकूट का निर्माण राम परियोजना के आधार पर किये जाने हेतु के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है । मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के मंदिरों के किनारे के घाटों के तीर्थ स्थान ही बनारस के घाटों के किनारों की तरह सरयू का घाट भी प्रसिद्ध रहा है परन्तु आज पूरा सरयू का घाट सूखा जा रहा है । इस ओर पर्यटन विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अयोध्या में 12 एकड़ जमीन पड़ी हुई है पर्यटन विभाग की ओर से उसे विकसित नहीं किया जा रहा है । जिलाधिकारी फैजाबाद ने लिखा है कि उसको अधिग्रहीत करना चाहिये अधिग्रहीत करने के लिये स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है । वहां पर प्रोफेसर लाल के समय में खुदाई की गयी थी लेकिन धन के अभाव में खुदाई का काम रोक दिया गया ।

राज्य सरकार का जो धन पर्यटन विभाग के लिये खर्च होना चाहिये अयोध्या में वह नहीं हुआ है । अयोध्या में रहने के लिये पर्यटकों को कोई विशेष सुविधा नहीं है । यह जानकर दुःख होगा कि फैजाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद से चलने वाले विदेशी पर्यटकों को यह मालूम भी नहीं हो पाता कि अयोध्या नक्शे में किस जगह पर है । उसका नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर भी उपलब्ध नहीं है । मंत्री जी को बताया गया परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जिस तरह से देश के बड़े-बड़े तीर्थ स्थानों का पर्यटन के दृष्टिकोण से सुधार किया जा रहा है अयोध्या को भी पर्यटन के दृष्टिकोण से बनाया जाये तो लोगों को और विदेशी पर्यटकों को भी सुविधा होगी....

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मण सिंह पीठासीन हुए ।)

अगर अयोध्या को पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित किया जाय तो सरकार को लाखों रुपयों की विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है । सन् 1977 में प्रदेश सरकार ने 88 लाख रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित किये हैं । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से अयोध्या का जैसा विकास होना चाहिये उसके लिये विधायकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों की एक कमेटी बनानी चाहिये जो अपने सुझाव दे कि पर्यटन के दृष्टिकोण से किस स्थान का कैसा विकास किया जाय । मैं सिर्फ इतना सुझाव देना चाहता हूं कि अयोध्या सिर्फ शंकर पत्थर की प्रतीक मात्र नहीं है, अयोध्या धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जिस पर मंत्री महोदय को विशेष ध्यान देना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से खुदाई का कार्य करना चाहिये । इतिहास के गवेषणात्मक रूप को देखने के लिये खुदाई जब की जायगी तो नये तथ्य सामने आयगें । तुलसी दास जी ने रामायण को वहां पर पूरा किया । लेकिन तुलसी दास जी द्वारा रचित रामायण की चोरी हो गयी । विधान सभा में मैंने यह प्रश्न उठाया लेकिन मान्यवर, आज तक तुलसी दास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की उपलब्धि पुलिस नहीं करा सकी है । मेरा सुझाव है कि अयोध्या के समुचित विकास के लिये मंत्री महोदय कमेटी बनाकर और केन्द्रीय पर्यटन मंत्री पर दबाव डालकर, अयोध्या का विकास करें ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, भाषण नहीं देना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें ।

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मैं माननीय पर्यटन मंत्री एवं मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि वह हमारे पर्वतीय अंचल के विकास के लिये अधिक धन उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्नशील हैं । मान्यवर, यह मानी हुयी बात है कि अगर हमारे विभागों में समन्वय हो जाय तो विकास की गति और भी तीव्रतर हो सकती है । समन्वय के सम्बन्ध में मैं एक दो उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी के सूचनार्थ । मान्यवर, पर्यटन के दृष्टिकोण से सहस्त्रधारा के विकास के लिये 43 लाख रुपये पर्यटन विभाग खर्च कर रहा है । लेकिन मान्यवर, दूसरी तरफ उद्योग विभाग सहस्त्रधारा से लगा हुआ जो पहाड़ है उससे चूना पत्थर का खनन करके एक समस्या पैदा कर रहा है ।

इसी प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मसूरी में एक बाई पास झड़ी पानी तक बनाने के लिये धन का प्राविधान किया गया है । दूसरी तरफ उद्योग विभाग चूना, पत्थर, मारबल के खनन यह स्वीकृत करके वहां खन्न करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कल्लू खेंत से मसूरी जाने वाली वर्षों पुरानी सड़क छूट जानी अवश्यम्भावी है । तो जब तक एक विभाग का दूसरे से समन्वय नहीं होगा तब तक इसी प्रकार की परेशानियां पैदा होंगी और जितना धन आवंटित हुआ है उससे हमारे पर्वतीय अंचल का विकास ठीक से नहीं हो पायेगा । पर्वतीय अंचल में कुटीर उद्योग धंधे स्थापित होनी चाहिये इसमें कोई संशय की बात नहीं है । हमारे सब पर्वतीय अंचलों में बहुमूल्य जड़ी बूटियां और बहुत अच्छी लकड़ी पैदा होती है । इसी प्रकार से भीमल से पैदा होने वाली सेलू आदि चीजें हैं ।

अभी जब खाद्य एवं आपूर्ति का बजट पेश हुआ था तो यहां पर यह बात आयी थी कि पटसन के बोरों की कमी है और हवाई जहाज से बंगला देश से बोरे लेने की व्यवस्था की जा रही है । भीमल के सेलू से बोरे बन सकते हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए । मान्यवर, समय कम है संकेत मात्र में मैं कहूंगा । मैं मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि हिल कैडर की स्थापना की जा रही है । इसी तरह मान्यवर, स्कूल के भवनों का निर्माण, चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं क्योंकि उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, फलोद्यान तो हैं, शीत गृह नहीं हैं

[श्री रणजीत सिंह]--

जिससे फल सड़ रहे हैं, विकास खंडों का पुनर्गठन न होने से वहां विकास कार्यों म तीव्रता नहीं आ रही है । देहरादून में सीमेन्ट फैक्टरी एवं मिनी सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित किये जाने चाहिये, हवाई पट्टी का निर्माण तो हो गया है लेकिन हवाई सर्विसेज चालू नहीं की गई हैं, इसलिये मंत्री जी से मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन है कि वह इन सब बातों की तरफ ध्यान दें । अब मान्यवर, समय कम है, इसलिये मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

अधिष्ठाता महोदय, पर्वतीय विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट इस वर्ष पर्वतीय क्षेत्र को दिया गया है वह जिस हिसाब से पर्वतीय क्षेत्र की आबादी में वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से यह बजट बहुत कम है । वास्तव में देखा जाय तो सारे उत्तर प्रदेश को आय के जो स्रोत हैं वह पर्वतीय क्षेत्र है । पर्वतीय क्षेत्र की जड़ी बूटी, लकड़ी, खनिज पदार्थ आदि चीजें जो बची जाती हैं उनसे उत्तर प्रदेश सरकार को आय होती है । वहां की नदियों का जल मैदानी भाग के लोग पीते हैं । उन नदियों पर जितनी विद्युत् योजनायें बनी हैं वह भी मैदानी भागों के लिये बनी हैं । कहने का तात्पर्य पहाड़ के लोग सब कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार को देते हैं लेकिन फिर भी उनकी प्रगति नहीं हो रही है । आज पहाड़ों में बेरोजगार की समस्या और पेयजल की समस्या बनी हुई है, यह एक गम्भीर बात है ।

मान्यवर, मैं जनता सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक पृथक पर्वतीय विकास मंत्रालय खोला । लेकिन वह अपने स्वविवेक से कोई काम नहीं कर सकता है । इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि सरकार के जो दूसरे विभाग हैं उनका पर्वतीय विकास विभाग से सामंजस्य होना चाहिये । यदि मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले वह सड़कों की ओर ध्यान दें । यदि वहां सड़कें सुलभ हो जायेंगी तो जो अन्य योजनायें हैं वह सफल होंगी । आज हमारी यह स्थिति है कि जल निगम या सिंचाई विभाग को हम दोष देते हैं लेकिन वास्तव में देखा जाय तो यातायात के अभाव में अन्य विभागों को भी कठिनाइयां होती हैं जिससे वह और दूसरे विभाग भी अपनी योजनायें ठीक से नहीं चला पाते हैं । इसलिये मंत्री जी से आग्रह है कि पर्वतीय क्षेत्र में मोटर मार्गों का निर्माण करने में अधिक योगदान दें ।

मान्यवर, पर्यटन के बारे में सब लोग नैनीताल का नाम लेते हैं । लोग मसूरी का नाम लेते हैं लेकिन उस जगह का नाम नहीं लेते जहां पर पांडवों ने तपस्या की थी उसको पांडुस्थल कहते हैं । यदि पांडुस्थल को देखा जाय और पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाय नैनीताल मसूरी से भी आगे बढ़ जायेगा । इसी तरह से धानुड़ी को भी पर्यटन की दृष्टि से देखा जाय तो वह भी बहुत अच्छा स्थान पर्यटन की दृष्टि से बन सकता है । इसी की साथ में बागेश्वर की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण तो हो रहा है, लेकिन मीटर की समस्या बनी है । लोगों ने बिजली की फिटिंग कर लिया लेकिन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । इसलिये आग्रह है कि अल्मोड़ा में गरुड़ विकास क्षेत्र और अन्य विकास क्षेत्रों में विद्युतीकरण के काम की ओर समुचित ध्यान दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं माननीय देव बहादुर सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मुझको मौका नहीं दे रहे । मैं बार–बार खड़ा हो रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है, इनके बाद आपको भी समय दे दूंगा ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल––

मान्यवर, पर्वतीय विकास पर काफी विस्तार से विचार माननीय सदस्यों ने रखे हैं । मैं पर्यटन के सम्बन्ध में कुछ विचार रखूंगा । यह दुर्भाग्य रहा है कि इस ओर विकास के लिये जो ध्यान देना चाहिये था नहीं दिया गया । मान्यवर, मैं आगरा के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है कि कोई भी विदेशी जब तक आगरा नहीं आता, उसकी यात्रा अधूरी रहती है । लेकिन आगरा के विकास की ओर पर्यटन के सम्बन्ध में जितना ध्यान जाना चाहिये था, नहीं दिया गया । मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो थोड़े से आवास गृह बनाये हैं, उनकी भी दशा शोचनीय है । उनके रखरखाव की व्यवस्था खराब है । इसलिये मेरा निवेदन है कि उनके रखरखाव और साज–सज्जा के लिय थोड़ी ज्यादा सी धनराशि निश्चित करें ।

मान्यवर, वहां दो तरह के पर्यटक आते हैं । एक तो विदेशी पर्यटक आते हैं दूसरे देश के पर्यटक आते हैं । तो कुछ यात्री ऐसे होते हैं तो सुबह आते हैं और शाम को चले आते हैं और कुछ ऐसे भी यात्री होते ह, जो एक दो रोज ठहरते हैं । अगर उनके लिये समुचित व्यवस्था की जाय तो आपको ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलेगी । उनके लिये हमारी तरकार ने कुछ कार्यक्रम चालू किया था । लेकिन आपकी सरकार ने अधूरा छोड़ दिया । मान्यवर, एक कार्यक्रम जमुना नदी के ऊपर बैराज बनाने का कार्यक्रम था जहां साल भर जमुना का पानी भरा रहे उसमें मोटर बोट या लांच डाले जावें और जो विदेशी आयें उसको देखें और सैर करें । सरकार उस तरह से एक म्यूजियम स्थापित हो सकती है । दिल्ली से आगरा मार्ग पर कीठम झील पड़ती है । उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकास करें तो वह बढ़ कर लेक की तरह से मुकाबिला कर सकती है । सुन्दरता में बहुत अच्छा पिकनिक स्पाट बन सकता है । श्रीमन् इसके अलावा हमारे जो भारतीय पर्यटक आते हैं उनके लिए कम कीमत के होटल बनवाने की व्यवस्था करें तो ज्यादा लाभदायक होगा । श्रीमन्, मैं जानता हूं कि मंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं, सीधे आदमी हैं और हमारे पुराने साथी भी रहे हैं लेकिन जो विभाग उनको सौंपा गया है उस विभाग की बड़ी खराब तस्वीर है । मान्यवर, परिवार का जो मुखिया होता है उसके कार्यकलापों से ही उसकी तस्वीर आंकी जाती है । आपके विभाग के निदेशक हैं । निगम के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल---]

वे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं । मेरे पास उसके काले कारनामों का चिट्ठा है 5/6 पृष्ठ का जिसको मैं आपको दे दूंगा, आप देख लें । दिनांक 4-11-78 के बुलेटिन में भी काफी लिखा गया है । उनके दो वर्ष के कार्यकाल में लाखों रुपये का घोटाला हो गया और भाई भतीजेवाद का इतना बोल बाला रहा जितना कभी नहीं रहा ।

सरकारी वाहनों का दुरुपयोग किया गया यह एक बड़ी मिसाल है । दिल्ली में जायं तो वहाँ वाहनों का दुरुपयोग किया । आजमगढ़ गये अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए जिसमें भी सरकारी वाहन का दुरुपयोग हुआ । 70 किलोमीटर का दुरुपयोग इसलिये हुआ कि वह आजमगढ़ गये अपना ट्रान्सफर रुकवाने । आगरे का जो हमारा पर्यटक आवास गृह है उसमें 50 हजार रुपये के इन्टरकाम लगाये जिसके लिए कोई कोटेशन नहीं मांगा । डेढ़ लाख रुपये की मरम्मत करायी गयी उसमें भी कोई कोटशन नहीं मांगा और एक ही आदमी से करवा दिया । इसके अलावा आप देखें इनके खिलाफ सतर्कता विभाग ने जांच शुरू की थी । मुझे पता लगा है कि उसने कोई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है लेकिन उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे टाइम काफी हो जाय और इस बीच या तो इनका ट्रान्सफर हो जाय या कहीं दूसरे स्थान पर चले जायं । और देखें मान्यवर, आठ नौ हजार रुपये का कैमरा, 70 हजार में खरीदा गया । कागज एक फर्म से पौने दो लाख रुपये का खरीदा गया लेकिन वह कागज आज तक स्टोर में नहीं आया ।

आप ताज्जुब करेंगे कि कोटेशन लिया गया जो 185 रुपये रिम का कोटेशन जाया । उसको कसिल कर दिया और फिर उसी फर्म से 210 रुपये रिम का कोटेशन आया और उसको मंजूर कर लिया और 464 रिम कागज खरीदा गया लेकिन वह स्टोर में नहीं आया और इस तरह 97 हजार 890 रुपये का नुकसान कर दिया । यह जांच का विषय है । मन्त्री जी आप जितने ईमानदार और सीधे हैं तो अपने अनुरूप सतर्कता विभाग को भी थोड़ा सतर्क कर दें । जब पार्टी का अधिवेशन हुआ तो दो हजार माडल ताज महल के खरीदे गये । 1,200 तो तक्सीम हो गये लेकिन 800 गायब हो गये उसी प्रकार कलेण्डर, डायरी, पोस्टर्स लाखों रुपये के खरीदे गये लेकिन उनका क्या उपयोग हुआ, इसको कोई जानकारी नहीं । विजीलैंस की रिपोर्ट किस स्तर पर है, उसमें क्यों ढील ढाल हो रही है तो थोड़ा सा सतर्क कर दें जिससे वह जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें । इसके अलावा कर्मचारियों के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है । जब से झांसी म फूड कन्ट्रोलर थे वहां से ऐसे भ्रष्ट आदमियों को ले आये जो सर्विस से टरमिनेट कर दिये गये थे और यहां पर जो ईमानदार थे बेजारों को हटा दिया गया और वहां से जो अपने साथ ले कर आये थे उनको रख दिया, भ्रष्ट लोगों को । कुछ ऐसी समस्यायें हैं श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि इन सर आप गौर करेंगे । मैं आप को दे दूंगा यह विवरण इसकी जांच करायेंगे ।

इन शब्दों के साथ जो देव बहादुर सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री लक्खी सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मन्त्री जी ने जो अनुदान मांगा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, सवेरे हमारे विधायकों की मीटिंग हुई थी जब मन्त्री जी ने अपने किसी कागज में से मथुरा का नाम लिया। अब इस कागज को जब मैं देखता हूं आय-व्ययक का ब्यौरा तो श्रीमन् कुछ समझ में नहीं आता। या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या मन्त्री जी झूठे हों, कोई न कोई हम में से झूठा है, मैं तो किताब (व्यवधान) बड़ी किताब है, आप की छोटी है। मेरा चश्मा श्रीमन्। दो चश्में हैं। यह पढ़ने वाला है जरा। पंचम पंच वर्षीय योजना में व्यय की बात कर रहा हूं। 3 करोड़ 78 लाख रुपये इसी विभाग ने खर्च किया है। चित्रकूट, सारनाथ और उसी में मथुरा घुसेड़ दिया। मथुरा, श्रीनगर, गंगनामी, नैनीताल, गिरसरोवर, गंगोत्री, काठगोदाम में पर्यटन आवास गृहों का निर्माण हुआ। इतनी जगहों पर 3 करोड़ 78 लाख रुपये तिवारी वाली सरकार ने या मिश्रा की सरकार ने अभी जो आप से पहले बैठे थे, खर्च किया।

अब मथुरा जैसी ऐतिहासिक नगरी का आप जानते हैं इतिहास में हर जगह वर्णन है। सात जगहें आती हैं मथुरा में, मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, बलदेव, गोवर-धना बरसाना और नन्दगांव। श्रीमन्, जहां वृजानन्द जैसे महार्षि पैदा हों जिनसे लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया हो कृष्ण जैसे महान पुरुष, भगवान पैदा हुये हों जिनहोंने काली नाग को नाथा और कंस जैसे राक्षस का हनन किया, यह नहीं जहां राधा का जन्म हुआ, नन्द बाबा, यशोदा जन्मी हो....

एक सदस्य––

जनता पार्टी जन्मी हो ...

श्री लक्खी सिंह––

जनता पार्टी का जन्म तो हुआ ही इसी लिए तो यहां बैठे हो। तो श्रीमन्, हमारें मथुरा में...श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय आप आ गये हैं और समय दे देंगे मुझे भरोसा है....

(इस समय 3 बज कर 29 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है मथुरा, बाहर के जो पर्यटक आते हैं तो ताज महल को देखते हैं बीच में मथुरा आता है और सबसे पहले मेरा क्षेत्र पड़ता है नन्दगांव। यह जो 3 करोड़ 78 लाख रुपये इतनी जगह पर खर्च किया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो इतनी ऐतिहासिक जगह है वहां पर भी आप विश्राम गृह पर्यटकों के लिए बनवायें वर्ना कैसे काम चलेगा और कैसे नाम बाहर पर्यटक मथुरा को जान सकेगा? वृन्दावन में विदेशियों का, अंग्रेजो का मन रम गया। वहां के ज्ञान का अर्जन कर रहे हों। ऋषि बन रहे हैं। ये अंग्रेज वहां भक्ती कर रहे हैं। हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहें हैं। ये 7 जगहें हैं मथुरा, वृन्दाबन, गोकुल, बलदेव, गोबर्द्धन, बरसाना तथा नन्दगांव ये पर्यटकों के लिये प्रमुख स्थान हैं और इन सब स्थानों पर पर्यटकों के लिए विश्राम गृह बनने चाहिये। सीढ़ियों पर राधा जी के मन्दिर के पास जाने के लिये वहां सड़क बननी चाहिये। वहां बुडढा आदमी चढ़ नहीं सकता और राधा जी के मन्दिर तक पहुंच नहीं सकता। बरसाना में आप नन्द बाबा के मन्दिर तक चढ़ गये, मैं थक गया था। वहां निर्माण होना चाहिए। मथुरा के सभी घाट दुबारा बनने चाहिए। मथुरा में जमुना का पानी साड़ियों के

[श्री लक्खी सिंह]

रंग से गन्दा तथा दूषित होता है उसको ठीक कराने की व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबू बदरे--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र की तरक्की के लिये बहुगुणा जी जब मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने एक अच्छी सी योजना बनाई थी। यदि आप मुनासिब समझें तो उस योजना को मंगा कर देखें और उसे अगर आप कार्यान्वित कर सकेंगे तो ज्यादा तरक्की के रास्ते पर आप इस क्षेत्र को ले जा सकेंगे। दूसरी बात मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि बाराबंकी जिले में देवा शरीफ हाजी वारिस अली साहब की मजार है जहां पर दसियों लाख लोगों का मेला लगता है और हर मजहब के लोग वहां पर जाते हैं। वहां पर काफी जगह ग्राम पंचायत की है लेकिन उस स्थान की तरक्की के लिये आज तक कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि वहां पर जाने वाले के लिये, बैठने वालों के लिये अगर आप कोई व्यवस्था कर देंगे तो हम समझेंगे कि आपने बहुत बड़ा काम उन लोगों के लिये कर दिया है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पर्वतीय इलाकों के लिए जितनी भी योजनायें हैं और बहुगुणा जी ने उनकी तरक्की के लिये जो कदम उठाये थे, योजनायें बनायीं थीं, उनको कारगर किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं एक शेर अन्त में कहना चाहता हूं--- ये चमन नहीं रहेगा और हजारों जानवर अपनी बोलियां बोल कर रह जायेंगे।

*श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश सन्तों, महात्माओं ऋषियों और मुनियों का है। यहां पर राम और कृष्ण पैदा हुये थे, सन्त महात्मा पैदा हुये थे और इसी वजह से इस प्रदेश में जगह-जगह पर तीर्थ स्थल भी बने हैं। मैं पर्यटन मन्त्री जी का ध्यान बाराबंकी जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर पर्यटन विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी माननीय बाबू बदरे ने देवा शरीफ मेले के बारे में मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया और वे केवल उसी की ओर ध्यान आकर्षित करके ही रह गये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत प्रमुख मेला है असंख्य लोग वहां पर आते हैं किन्तु कोई ध्यान पर्यटन विभाग की ओर से नहीं दिया गया है। वहां पर देश के ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी आते हैं। साथ ही लोधेश्वर का मेला लगता है। यह फाल्गुन में लगता है इसके बारे में पश्चिमी जिले के लोग तथा फर्रुखाबाद से भी लोग आते हैं।

यहां पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। यहां पर एक तालाब है जिसका पानी बहुत गन्दा है लोग उसी पानी को पीते हैं और यात्री उसी पानी से स्नान भी करते हैं। इस तरफ मन्त्री जी ध्यान दें। इसी तरह से एक कोटवा धाम है जहां पर कि वैशाख के महीने में मेला लगता है और तमाम तीर्थ यात्री वहां आते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम बरालियों में वहां पर एक पारिजात का वृक्ष है जो कि अर्जुन ने लगाया था इससे भावनात्मक लगाव था। इसको देखने के लिए देश के ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आते हैं। अतः इस स्थान को काफी उन्नत किया जाय। यहां पर एक बड़ोलिया गांव है जहां कि यात्रियों को ठहरने को कोई सुविधा नहीं है। ग्राम विन्तरपुर में एक कुन्तेश्वर मन्दिर है जो कि महा भारत काल से चला आ रहा है। बदोसराय में मलायत शाह की एक मजार है जहां मेला लगता ह। वह बड़ा सुन्दर स्थान है। लोग वहां जाते हैं लेकिन वहां पर भी तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिये कोई जगह नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अपने पर्यटन विभाग से इन मुकामों का सर्वक्षण करायें और अगर मुनासिब समझें तो कुछ न कुछ व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जो श्री देव बहादुर सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने नैमिसारण्य के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मैं कुछ सुझाव ही देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी उसे स्वीकार करेंगे। मन्त्री जी स्वयं जानते हैं कि नैमिसारण्य से मिश्रिख भी महत्व का स्थान है वहां पर महर्षि दधीच का मन्दिर है जहां पर हर साल जबरदस्त मेला लगता है। जिसमें करीब–करीब 5 से 7 लाख व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और स्नान करते हैं। उस तीर्थ की दशा बड़ी जीर्ण शीर्ण में है। इस लिए मेरा सुझाव है कि मन्त्री जी नैमिसारण्य के साथ मिश्रिख को भी जोड़ लें यह अति आवश्यक है क्योंकि महर्षि दधीच का नाम इससे जुड़ा है और वह पवित्र स्थान है।

श्री मिठाई लाल (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र भदोही की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मान्यवर, आप जानते हैं कि भदोही कालीन उद्योग के लिए दुनियां में प्रसिद्ध है जहां विदेशी लोग आते जाते हैं और तमाम प्रदेशों के कालीन उद्योग के लोग भी आया जाया करते हैं। वहां पर कोई भी पर्यटन विभाग की तरफ से आवासगृह अथवा होटल नहीं हैं जिससे वहां आने वाले लोगों को कठिनाई होती है। जो लोग वहां आते हैं उनको सैकड़ों किलो मीटर दूर रहने के लिए वापस जाना पड़ता है और खाना पीना खाते हैं फिर दूसरे दिन आते हैं। भदोही क्षेत्र जहां कालीन उद्योग का भारी मात्रा में आयात निर्यात है वहां आने वाले लोगों के लिए आवास तथा खान–पान की कठिनाई होती है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान प्रस्तुत समस्याओ के निदान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग द्वारा वहां पर एक होटल ओर एक आवास गृह खोलने की व्यवस्था करें तो बड़ी कृपा होगी। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)––

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा समय दिया। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। आज शेर का वक्त नहीं है इसलिए पहले ही रोक दिया गया

[श्री गौरी शंकर, एडवोकेट]

हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो लक्खी सिंह जी ने अपने मथुरा की बात उठाई और दूसरे लोगों ने भी अपने-अपने जनपद की बातें उठाई । मैं यह नहीं कहता हूं कि इटावा जनपद में क्या ऐसे कोई स्थान नहीं है जिसको कि पर्यटन विभाग द्वारा डेवलप न किया जाय वह रिवाइस का क्षेत्र है वहां 5-5 नदियां हैं उन रिवाइस में, छोटी-छोटी पहाड़ियां क्षेत्र जिनमें लाखन सिंह और मान सिंह रहते रहें हैं । मेरा निवेदन है कि पर्वतीय विकास मन्त्री उन रिवाइंस को जो सेमी पर्वतीय अंचल में आते हैं उनको किसी तरह से हेरा-फेरी करके नियमों में संशोधन करके उसे पर्वतीय क्षेत्र में ला कर विकसित करें तो मैं उनका आभारी रहूंगा ।

इस सदन में एक माननीय सदस्य ने एक बात उठाई मैं मजबूर हूं इस बात के कहने के लिए कि इस सदन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति के चरित्र हनन के लिए इस सदन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिये जो अधिकारी या कर्मचारी अपनी सफाई न दे सकता हो । मेरे जैसे बहुत से लोग जानते हैं, मैं पब्लिक अन्डरटेकिंग का सदस्य हूं जब हम बनारस गये थे, जिसके चेयरमैन माननीय मलखान सिंह थे जो अब मन्त्री हैं । हम लोगों ने स्वयं पाया कि जो वहां पर टूरिस्ट आफिसर था उसके खिलाफ बहुत से लोगों ने कहा और हमने बहुत सारी अनियमितताएं देखी । जब डायरेक्टर महोदय से कहा तो उन्होंने साफ साफ बताया कि ये-ये मजबूरियां हैं मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता हूं । डायरेक्टर टूरिजम उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते वहां उन्होंने लाखों रुपये का गोलमाल किया था । तो उनके विरुद्ध लोगों ने घेराबन्दी किया और उनके लिए कहा गया इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए । अब जो अधिकारी लाखों-करोड़ों रुपये कमा कर वहां कुंडली बना कर बैठा हो और उसके खिलाफ कोई ऐक्शन टेप अफसर लेना चाहता हो, तो इसके खिलाफ इस तरह की आलोचना कर, उसकी बदनामी की जाए, एक वितण्डा पैदा किया जाय, तो यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । इसकी निन्दा की जानी चाहिए । अब आगरा के बारे में मैं कहना चाहता हूं जिस चेयरमैन के खिलाफ डा० कौशल ने कहा है वहां एक ग्रान्ट होटल है, जिसके मालिक दूसरे तरीके से कन्टीन चलाते थे और एक डाइरेक्टर ने यह कहा कि इसे हटा दिया जाय, किन्तु जिसका इन्ट्रेस्ट था लाखों रुपये के गोल-माल में, वह उसके विरुद्ध हाई कोर्ट से स्टे ले आया । टूरिस्ट आफिसर हर मास उसका हिस्सा खाता है जिसने विभाग की इन्कम 8 लाख से बढ़ा कर 22 लाख पहुंचा दी हो, उस चेयरमैन उपलब्धियों को सही नजर से आंका जाना चाहिए न कि इस प्रकार से उसकी निन्दा की जानी चाहिये । मैं पी० यू० सी० का मेम्बर हूं इस लिए इन सारी चीजों को गहराई से जानता हूं । एक हरिजन अधिकारी जो हरिजन है, कोरपोरेशन का चेयरमैन है, उसके विरुद्ध केवल हरिजन होने के नाते इस तरह की साजिश करना निन्दनीय है । इस पर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो इस अधिकारी के खिलाफ साजिश को बढ़ावा देते हैं ।

*श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं कुशी नगर और देवरिया की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर लंका, चीन, जापान और बर्मा के लोग आते हैं । एक महीना तक बुद्ध भगवान का दर्शन करने आते हैं । एक महीना मेला भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगता है । फिर भी वहां पर कोई ठहरने रहने का स्थान नहीं है । इसलिए मै मन्त्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर रहने के लिये विश्रामगृह, धर्मशाला या अतिथिशाला बनवाई जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह––

श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया । मैं यह निश्चित कहूंगा कि कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए जितनी समस्याओं की ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उन सभी को माननीय सदस्यों ने उठाया है यह बात सभी ने मानी है कि पर्वतीय अंचल में रुचि लेने वाले अधिकारियो को ही वहां भेजा जाय । केवल प्रमोशन कराने के लिए जो लोग वहां जाते हैं, उनको न भेज कर रुचि रखने वालों को भेजा जाए । वहां जितनी सड़कें बनेंगी, उतना ही पर्वतीय विकास और साथ ही पर्यटन विकास होगा पर्वतों के कारण बहुत से स्थान वहां पर पर्यटन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं । हमारे मन्त्री जी वैसे बहुत अच्छी और संजीदा आदमी हैं, लेकिन उनके सामने सब से बड़ी कठिनाई यह है कि उनके पास ईट, सीमेन्ट और लोहा आदि निर्माण सामग्री की बड़ी कमी है । अतः इन सामानों की वहां व्यवस्था कराई जाए, जिससे समय पर काम हो जाय । वहां पर 10 साल पहले से पुल और सड़कें पास पड़ी हैं लेकिन इसके कारण काम नहीं हो रहा है । इसके कारण समय बीतने के साथ–साथ निर्माण कार्य का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है। इस लिए आप योजना के लिए समय की अवधि भी निश्चित कर दिया करें, जिससे काम सस्ता होगा । पर्वतीय अंचल में विद्युतीकरण की भी योजना है, लेकिन वहां पर मैदानी क्षेत्र का मानक नहीं चल सकता है ।

क्योंकि यहां पर गांव तो नजदीक हैं लेकिन वहां पर गांव दूर–दूर हैं । इसी लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का अलग माप दन्ड बनावें । वहां पर पैसा ज्यादा लगेगा । आप इसमें परिवर्तन करें ।

मान्यवर, स्कूल के भवनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आपने प्लान्ड मनी दिया है, हमारे यहां पर नान प्लान्ड मनी की भी जरूरत है । अगर आप पुराने स्कूलों के भवनों की मरम्मत नहीं करेंगे तो वह गिरते जायेंगे । इसलिए आप सुनिश्चित कर लें कि पुराने भवनों की मरम्मत आप को करानी है ।

मान्यवर, यातायात और विपणन व्यवस्था के बारे में कहा गया । कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मार्केटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक वहां पर जो फल उत्पादक हैं उनको पूरा फायदा नहीं मिल पावेगा । जहां पर सड़के नहीं हैं वहां पर फलों को उठाने का काम आप करें, तभी उनको लाभ होगा । कुमाऊं कारपोरेशन है, गढ़वाल विकास निगम है उसके माध्यम से यह चीजें करावे ।

श्रीमन्, पर्वतीय अंचल के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होती है । इस बारे में भी मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं । वहां की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी है और मान्यवर, वह तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप

[श्री देव बहादुर सिंह--]

वहां पर छोटे छोटे उद्योग धन्धों की स्थापना नहीं करेगे । इसके साथ-साथ उद्योग धन्धे जो आप खोले वह उनके हाथों में जावे तब वहां के लोगों का इनकम बढ़ेगी । पर्वतीय विकास के लिए पांच समितियां आपने गठित की थी, वह भंग कर दी गई हैं । उनके माध्यम से विकास की देखभाल होती थी । मान्यवर एक सरस्वती ऊल मिल अल्मोड़ा में है । उस मिल को 75 हजार रुपया सफसीडी दी गई है और साढे आठ लाख रुपया एप्रोच रोड बनाने के लिए दिया गया है, लेकिन अभी तक वह मिल नहीं लगी है । आपके धन का दुरूपयोग हो रहा है आप उसका सदुप्रयोग करें और दुरूपयोग को रोके । जब तक आप दुरुपयोग को नहीं रोकेगे वहां का विकास नहीं होगा ।

अब मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं । कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा, एक प्रतिवेदन हमको भी मिला है जो इसके डाइरेक्टर हैं उनके विरुद्ध आरोप हैं । मैं चाहूंगा कि स्थिति क्या है ? इतने उच्च अधिकारो के विरुद्ध इतने चार्जज हों तो उसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए । और सबको मालूम हो जाना चाहिए कि तथ्य क्या है ? यह विभाग के लिए अच्छा होगा और प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा । मान्यवर इस विभाग में 13 तदर्थ नियुक्तियां की गई थी उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है । इसका आप जांच करा लें । उप निदेशक मिश्रा जी है, वह सीनियर आदमी हैं । लखनऊ में पोस्टिंग की बात थी, उनकी पोस्टिंग होने वाली थी लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं की गई हैं इसमें क्या स्थिति है । एक वाराणसी में रिसेप्सनिस्ट है । उनका स्थानान्तरण शिकायत पर कर दिया गया था लेकिन वह स्टे कर दिया गया है जिससे बड़ा भारी असंतोष फैल रहा है ।

एक डिप्टी डाइरेक्टर श्री एन० डी० वर्मा को आपके स्टाफ के लोगों ने बहुत मार । अगर यही स्थिति पर्यटन विभाग की रही तो एक रुपया तो मैंने बहुत कहा, एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए । विभाग में अगर सामंजस्य नहीं होगा तो कैसे काम होगा ? आप बहुत शरीफ आदमी हैं । तो अगली बार जब आपके विभाग का बजट सदन में प्रस्तुत हो तो किसी प्रकार का आरोप पत्र जिसमें आपस में गुट बन्दी या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो या आपस में लड़ने वाली बात हो तो वे आपका काम नहीं करेंगे । इस लिए मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इसकी जांच करके इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर करें तो अच्छा होगा ।

हिमांचल प्रदेश के बराबर पर्वतीय अंचल में भी धनराशि दी जानी चाहिए । यह मांग बहुत पुरानी है । हिमांचल प्रदेश की जनसंख्या हमारे क्षेत्र की जनसंख्या से कम है तो क्या दिक्कत है कि आप हमको कम धन राशि देते है ? अगर ज्यादा पैसा खर्च करके विकास करेंगे तो ज्यादा विकास होगा और अगर थोड़ा-2 खर्च करेंगे तो उस दरमियान जन संख्या बढ़ती जाएगी और वह धनराशि किसी काम की नहीं होगी ।

इसके अलावा हमारे यहां अस्पताल भी खुल रहे हैं लेकिन उनमें से अधिकतर एसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं और जिनकी बिल्डिन्ग भी नहीं बनी है । मेरी प्रार्थना है कि आप निश्चित समय से वहां पर डाक्टरों को भेजें । इसके अलावा मेरा निवेदन है कि दवाओं के लिए जो प्रति व्यक्ति पर्वतीय अंचल में आप पैसा आवंटित करते हैं वह मैदानी क्षेत्रों से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि

वहां पर गरीबी बहुत है । इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक दवायें निःशुल्क और अच्छी से अच्छी जिन्हें आप लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं, उपलब्ध कराई जायें तभी जा कर वहां के लोग इन अस्पतालों से लाभ उठा सकते हैं ।

हमारे पर्वतीय अंचल में अध्यापकों की भी बहुत कमी है । नैनीताल जिले के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि 40 बच्चों पर एक अध्यापक रहेगा । तो आप देखें कि इस अनुपात के अनुसार अध्यापकों की कितनी कमी है ? ननौताल में 200 प्राइमरी टीचर्स कम हैं आठ जिलों में कितने अध्यापकों की कमी होगी ? अगर वहां पर अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी तो मेरी प्रार्थना है कि शिक्षा विभाग द्वारा 1.40 का अनुपात निर्धारित है, वह हमारे यहां पूरा किया जाये तभी वहां के लोगों को कुछ लाभ हो सकता है ।

अभी डाक्टर कौशल जी ने आगरे की बात कही कि वहां पर पागलखाना है तो अगर वहां भी पर्यटन की दृष्टि से विकास होगा तो उसे भी देखने जाएंगे जनता पार्टी में ऐसे बहुत कुछ मन्त्री हैं जो पागलखाना....

श्री बाबू बदरे--

पागलखाने की इमारत का विकास होगा या वहां के पागलों का ?

श्री देव बहादुर सिंह--

अगर आप मन्त्री हो जायेंगे तो आपकी बात करूंगा ।

इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव को पास करें ।

श्री आबिद अली अंसारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पा० देव बहादुर सिंह और सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने आज इस डिबेट में हिस्सा लिया । हर एक ने बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिए । वैसे बहस में कुछ गरमा गरमी भी हो जाती है और कुछ ऐसे ही सुझाव आ जाते हैं लेकिन आज जितना अच्छा माहौल रहा, जितने अच्छे कान्स्ट्रक्टिव सुझाव आये, शायद ही किसी दिन दिए गए हों। वे सब सुझाव हमारे डिपार्टमेन्ट वालों ने भी नोट कर लिए हैं और मैंने भी नोट कर लिए हैं । पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में हर जिले की बात बिल्कुल सही है क्यों कि कुछ न कुछ ऐसी जगहें जरूर हैं जहां पर लोग जाते हैं साल में एक दो मेले भी होते हैं वहां पर ठहरने की जगह बनाना जरूरी है। लेकिन पैसे की कमी को भी ध्यान में रखना है । छटी योजना में यह कोशिश है कि जितनी मुख्य-मुख्य जगह हैं उन सभी को हम ले ल । फिर जितना पैसा हमको हर साल मिलता जायेगा हम उसी हिसाब से काम करते जायेंगे । पहले जो ज्यादा अहम की जगह हैं उनको लेंगे, उसके बाद दूसरी अहम जगहों को लेंगे ।

[श्री आबिद अली]

हमारे भाई माननीय रामरतनसिंह जी ने एक सुझाव दिया कि नीमसार के साथ-साथ मिसरिख को भी जोड़ दें। (व्यवधान) में यह निवेदन करूंगा कि पहले जो काम शुरू किया है वह तो हो जाये उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।

माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे आगरा की याद नहीं आयी। (व्यवधान) में कहता हूं कि आगरा में ताजमहल एक ऐसी चीज है कि उसे कोई भुला नहीं सकता। हिन्दुस्तान में जितना विदेशी पर्यटक आता है उसका 40 प्रतिशत आगरा आता है। एक टूरिस्ट ग्राऊन्ड हम वहां 17 लाख की लागत से बना रहे हैं। फिर बड़े-बड़े आदमियों के लिए वहां 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स हैं। ट्रिस्ट लाज भी है। हां, गरीब आदमियों के लिए अलबत्ता हम जनता टाइप होटल बनाना चाहते हैं और वह बनायेंगे।

आगरा में एक बेराज बनाने की बात पहले आयी थी, मगर वह भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसको नहीं बनने दिया, उनका कहना था कि उसकी जरूरत नहीं है।

हमारे माननीय मंजूर साहब हमारे बड़े दोस्त हैं और मुझ पर मेहरबान भी रहते हैं, वैसे वे आशिकी टाइप के आदमी हैं और किसी को समय आता है तो बख्शते नहीं। उन्होंने पोर्टफोलियो की बात कही, अब यह चीफ मिनिस्टर के ऊपर है कि वह किसको क्या विभाग दे। पहले जब मुझे परिवहन बिभाग दिया गया उसमें भी मैंने लगन से काम किया, जब यह दिया गया तो इसमें भी मैंने लगन से काम किया और हर जगह मैंने 2-2, 3-3 बार जाकर हर चीज में घुसने की कोशिश की और समझा। हर जगह मैंने अपने आप को आइडेन्टीफाइ करने की कोशिश की।

जो ज्यादतियां वहां पर हो रही हैं, उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और इसमें क्या कुछ है, क्या नहीं है, यह तो मैं जानता नहीं हूं। अगर यह बात होती तो हिल एरिया के जो एम० एल० ए० साहबान हैं, वे इस सम्बन्ध म कुछ उठाते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं उठाया। वे बड़ी मदद हमारी करते हैं। हमें जो हिल एरियाज के लोगों के पास पहुंचना पड़ता है, तो हमें बहुत संतोष होता है। वहां के सम्बन्ध में मेरे पास ज्यादा काम है, लेकिन वह काम भी कर रहा हूं, वाकिफियत भी कर रहा हूं। इसलिए यह मसला यहीं तक ही रखा जाय। देव बहादुर सिंह जी कुछ सवालात उठाया। आपने कहा कि पहाड़ जो हैं, वहां पर खेती की जरूरत नहीं है, वनीकरण की जरूरत है। खेती की तराई में तो जरूरत हो सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जहां पर खेती नहीं हो सकती, वहां पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। मैं उनकी राय से सहमत हू।

पहाड़ों पर, जहां पर, जिस जगह पर आसानी से खेती हो सकती है, बाज जगह पर बहुत अच्छी होती है, देहरादून में जो है, वहां पर अदरख अच्छी होती है, बाज जगहों पर चावल अच्छा होता है, बाज जगहों पर गेहूं अच्छा होता है, तो जहां पर जो चीज अच्छी होती है, वहां पर वह पैदा करना चाहिए। हर्टिकल्चर की बात की गई। हमने 4 पुल बनाए। लेकिन उसका तजर्बा करना चाहता हूं कि आया वह कामयाब हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। इस वास्ते उस पर ज्यादा पैसा नहीं रखा जा रहा है। शीतगृह जो हैं, कोई आदमी अपना सेव वगैरह दिल्ली या बम्बई लेकर गया, तो वह महा मांगता था कि वह

ले आया है, तो वह बेचकर जायगा हो, तो गाजियाबाद में कुछ जमीन लेकर वहां पर शोरूम बनाने का इन्तजाम है। एक मार्केट का भी इन्तजाम है कि जिससे हमारे पहाड़ी इलाके का सामान जाय, तो वहां पर रख दिया जाय और जिस समय कीमत ज्यादा मिले, तो उस वक्त बेंचा जाय। बम्बई में भी ऐसी व्यवस्था की गई है, हालांकि वह ज्यादा उन्नतिशील नहीं हो सका। आपने जनजाति की बात कही। 5 ब्लाकस ऐसे हैं कि जिसमें जनजाति वाले रहते हैं, उसके लिए एक अलग प्रोजेक्ट एथारिटी बना दी गई है। जो वहां का काम देखता है। वहां पर जो वाउण्डेड लेबर है, 30 लाख रुपये उनके लिए रखा गया है, उनको आजाद करायें और उनको कुछ काम दें।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

माननीय, आपने कहा था टाइम के लिए 5 बजे दूसरा भी लेना चाहते हैं, तो जरा टाइम का भी ध्यान रखें।

श्री आबिद अली—

पंत नगर यूनिवर्सिटी की बात कही गई। मुझे उसके बारे में शिकायत है। पहाड़ी इलाके का यूनिवर्सिटी है। उसको चाहिए था कि अपने यहां रिसर्च के बारे में ऐसी सीड पैदा करती कि दो हजार किलो मीटर के ऊपर कौन सी सीड उगाना अच्छा हो सकता है। वहां मैदानी इलाके के सीड के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है।

जो यह रेवेल्यूशन हुआ है कलवर में, इसमें पंतनगर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है। किस ऊंचाई पर कौन सी पांध हो सकती है, किस क्लाइमेट में क्या बो सकते हैं, कौन सी पौध क्रास-ब्रीडिंग से बढ़ाई जा सकती है। पहाड़ी इलाके के लिए हमने कुछ ग्रान्ट दी थी, आपने कहा काम नहीं हुआ।

श्री देव बहादुर सिंह—

रानी चौरा के बारे में हमने कहा था।

श्री आबिद अली—

उसमें काम शुरु हो गया है, वह आगे चलेगा। एक चीज यह कही गई कि वहां जो जाते हैं, रहते नहीं और जगहें खाली पड़ी हैं। मेडिकल साइड में ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। दूसरे क्षेत्रों में हम देख रहे हैं। अगर यह हो जाता है तो मैं समझता हूं कि जो खाली जगहें हैं वे भर जायेंगी। हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं इसीलिए बजट भाषण में नहीं था और इसलिए मैं कमिट-मेन्ट नहीं करूंगा। जनता होटल की बात लोगों ने कही। मैं भी इसी राय का हूं कि जो लोग वहां जायें उन्हें कम किराया देना पड़े। बड़े लोग तो प्राइवेट होटलों में रह सकते हैं। गरीबों को जो इच्छा रहती है, धार्मिक स्थानों, पहाड़ों पर जाने को तो वे वहां रह सकें। समय कम है। अभी आपने रोडवेज की बात की.....

श्री बाबू बदरे—

माननीय मन्त्री जी, मैंने कुछ कहा था उस पर कुछ सुझाव दें।

श्री आविद अली--

कौन सी बात ?

श्री बाबू बदरे--

आपने उसकी अहमियत नहीं समझी । मैंने कहा था कि पर्वतीय इलाके के लिए, बहुगुणा जो जब मुख्य मन्त्री थे, योजना बनाई थी, क्या उस योजना को मंगाकर और दूसरे बाराबंकी जिले में देवा शरीफ के बारे में, आप उसे भूल गए ।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद--

वही बहुगुणा जो कांग्रेस में मन्त्री थे ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित करूंगा ।

श्री आविद अली--

मैं चाहता हूं कि श्री देव बहादुर सिंह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष --

देव कुमार जी, आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री देव कुमार--

अपने वक्तव्य के दौरान चित्रकूट के विकास के सम्बन्ध में और नवाब बांदा तालाब को पर्यटन केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में कहा था ।

श्री आविद अली--

मैं उसको करना चाहता हूं लेकिन पैसे वाली बात है । मैं समझता हूं कि नवाब बांदा वाली बात होगा, जरूर होगी ।

(श्री देव बहादुर सिंह से)

श्री उपाध्यक्ष --

आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

न तो माननीय मन्त्री जी अपना अनुदान वापस लेंगे, न मैं कटौती का प्रस्ताव वापस लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक, धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,59,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90 के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90-विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्ययों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,09,61,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--118 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 118-विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,26,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-46-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 47-श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिस से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--46 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,50,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,12,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, वह कब आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने पुछवाया है, वह थोड़ी देर बाद जब यह समाप्त हो जायेगा तब आयेगा ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, इसमें तो बहुत टाइम लग जायेगा । माननीय सदस्य बोलेंगे फिर प्रस्ताव आयेगा ।

श्री क्रान्ति कुमार--

श्रीमन्, मैंने यह दो मांगें प्रस्तुत किया है । एक का सम्बन्ध श्रम विभाग के उस कार्य से है जो श्रमिकों से सम्बन्ध रखता है.... ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, श्रम विभाग का अनुदान ठीक 4.20 पर शुरू हुआ है । समय बड़ा वैसा है ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष---

अभी 4.19 है ।

श्री क्रान्ति कुमार---

मान्यवर, प्रदेश में लगभग एक करोड़ श्रमिक हैं जिनमें 5 लाख श्रमिक उद्योगों में लगे हैं । औद्योगिक क्षेत्रों में शान्ति रहे, उत्पादन बढ़े और श्रमिकों का शोषण न हो इसका उत्तरदायित्व श्रम विभाग के ऊपर है । मान्यवर, पूरा प्रयास यह किया जाता है कि जहां पर श्रमिकों की समस्यायें हों उनका समाधान कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय । कन्सीलियेसन प्रोसीडिंग्स करायी जायं और समस्या का समाधान कराया जाय । इसके बावजूद भी मामलात तय नहीं हो पाते हैं तो प्रयास किया जाता है कि लेबर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल से उनके मामले तय हों और उनके माध्यम से फैसला हो और जो फैसला हो उसकी पूर्ति करायी जाय ताकि श्रमिकों को न्याय मिल सके । पिछले वर्ष जो श्रमिक न्यायालयों में फैसले हो जाते थे उसका सेवा योजक पालन नहीं करते थे ।

सन् 78 से ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो फैसले श्रमिक न्यायालयों से हों उनको मनवाया जाय और यदि सेवायोजक न माने तो उनके विरुद्ध मुकदमें दायर किये जायं । खासतौर से हिंडालकों म यह स्थिति आयी है तो वहां पर जो ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ उसको अमली जामा पहनाया गया । जब ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट्स के फैसले होते हैं तो कहीं कहीं मालिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे तो लेबर के लिए मुश्किल होता था उनकी पैरवी करना । अब ऐसा प्राविधान कर दिया गया है कि अगर लेबर ट्रिब्यूनल कोर्ट्स से जीत जाता है और सेवायोजक हाई कोर्ट या सुप्रीमकोर्ट जाते हैं तो लेबर डिपार्टमेंट उसकी पैरवी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में करता है । सन् 78 में ऐसी व्यवस्था की गयी है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरों का यथा समय संदाय) (अधिनियम) 1978 बनाया गया है । जिसके परिणाम स्वरूप बोनस और तनख्वाह का जो पैसा मालिक नहीं देते थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाने लगी है और भुगतान होने लगा है । इस वर्ष 46,151 श्रमिकों के बोनस और बकाया वेतन का भुगतान कराने की कोशिश की गई है । 68 प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में 195 लाख रुपये का वसूलियाबी प्रमाण-पत्र जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं । ऐसी कार्यवाही के कारण 120 लाख रुपये की वसूली हुयी और उसको श्रमिकों में बांटा गया । चीनी उद्योग में त्रिदलीय सम्मेलन होता है और उसकी सिफारिशों को लागू कराया जाता है । पिछले वर्ष सम्मेलन 20, 21 सितम्बर, को हुआ । अक्तूबर, 1978 से उनको न्यूनतम मजदूरी 348 रुपये हो गयी है । हमारे वस्त्र उद्योग में मांग है कि त्रिदलीय सम्मेलन हो । शासन ने निर्णय लिया है कि 9, 10 को त्रिदलीय सम्मेलन कराया जाय ताकि उनकी मांगों पर विचार विमर्श हो सके । उद्योगों में जो हमारे श्रमिक हैं उनकी मांगें बराबर शासन ने सुनी हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । मान्यवर, पत्रकार तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों को स्वीकृत अन्तिम राहत को प्रदेश के 40 प्रतिष्ठानों में से 30 प्रतिष्ठानों ने माना है । जिन 10 ने नहीं माना है उनमें से 8 के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । एक ने हाई कोर्ट से स्टे लिया है इसलिये कार्यवाही नहीं हो रही है।

[श्री क्रान्ति कुमार—]

मान्यवर, आपातकाल में उत्पीड़ित 1319 कर्मचारियों में से करीब-करीब सभी कर्मचारियों को आवश्यक राहत दिलायी जा चुकी है। मान्यवर, अब हम छोटे उद्योगों में भी यह कोशिश की जा रही है कि श्रमिकों का शोषण न हो और उनको उनकी मजदूरी मिले। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत वर्ष 78 के आखिर तक आवृत किये गये नियोजनों की संख्या 49 कर दी गयी है। वह ऐसी इकाइयां हैं जहां न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जा सकता है। मान्यवर, यह कुछ बातें मैंने अपने श्रम विभाग के सम्बन्ध में कहीं हैं। मान्यवर, श्रम बिभाग बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करता हैं। खासतौर से औद्योगिक क्षेत्रों में हमारे लगभग 78 श्रमिक हितकारी केन्द्र हैं जहां पर चिकित्सा, पुस्तकालय, वाचनालय, आदि की व्यवस्था है। यहां पर श्रमिक अपना मनोरंजन करते हैं। मान्यवर, श्रमिकों के लिये आवास व्यवस्था भी इस विभाग के जरिये से की जातीं है। मान्यवर, 1978 के अन्त तक 30,147 आवास गृहों की व्यवस्था की गई है और इस समय 264 गृह निर्माणाधीन है।

मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाती है। यह उनको जो 65 वर्ष की आयु से अधिक हैं और जिनके कोई आय के साधन नहीं हैं। सरकार उनको 40 रुपये प्रति मास पेंशन देती है। 31 मार्च, 1979 तक उत्तर प्रदेश में 28,199 पेंशनर्स थे जिनके लिये 1,22,00,000 रुपये का व्यय किया गया है।

मान्यवर, दूसरी बात सेवायोजन से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत 2 संस्थायें हैं—एक प्रशिक्षण और दूसरी सेवायोजन कार्यालय। सेवायोजन कार्यालय जो हैं वह उत्तर प्रदेश में 80 हैं। इनमें 13 क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, 43 जिला सेवायोजन कार्यालय, 12 नगर सेवा योजन कार्यालय, 10 विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मन्त्रणा केन्द्र, एक विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (विकलांग) और एक व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय हैं। इन सेवायोजन कार्यालयों को जिस हिसाब से मान्यवर, कार्य करना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है और काफी कोशिश करने के बावजूद भी पिछले वर्षों में 51 हजार व्यक्तियों को नौकरी सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मिल पायी है जो कि कम है। इसलिये कोशिश की जा रही है कि भविष्य में यह कार्यालय अच्छी तरीके से काम करें। इसलिये उनसे सम्बन्धित जो प्रशिक्षण के आई० टी० आई० हैं उनसे जो विद्यार्थी निकलें उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाय कि वह सेल्फ इम्प्लाई हों और यदि उनको नौकरी न मिले तो वह अपने काम में लग सकें। संक्षेप में मान्यवर, मैंने अपने विभाग के बारे में बताया और अब मैं चाहूंगा कि मान्यवर, सदस्य अपने इसमें कुछ सुझाव दें जिनका मैं उत्तर देना चाहूंगा।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46 और 47 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने के उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि यह बजट, श्रम विभाग का, मा० कान्ति कुमार जी को विभाग मिलने के पहले तैयार हो चुका था चूंकि मुझे यकीन नहीं होता कि वह व्यक्ति जिसने मजदूरों के लिए अभी तक राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया हो और मजदूर परस्त रहा हो, उसके बजट म मजदूरों के लिए कोई नई व्यवस्थायें न हों ।

मान्यवर, मन्त्री जी ने यह पुस्तिका वितरित किया है, जिसको देखने से मुझे बड़ी निराशा हुई । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की यह सरकार श्रमिकों के महत्व को और उनकी कठिनाइयों को महत्व नहीं दे रही है । मान्यवर, मैं तकलीफ के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्सान हर चीज का निर्माण करता हो, सड़क से लेकर सभ्यता तक लेकिन आज वह भूखा, प्यासा, नंगा हो, आजादी के 32 साल बाद भी उसके लिए रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था तक आप न कर सकें । मान्यवर, कानपुर जैसे शहर में हजारों श्रमिक जो दवाय बनाते हैं, वह बिना दवा के मरते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं वह ठंडक में फुटपाथों पर दम तोड़ देते ह और मकानों की जो स्थिति है उससे सभी लोग अवगत हैं । आज आजादी के बाद भी लाखों आदमियों को मान्यवर, फुटपाथों के हवाले कर रहे हैं । इस समस्या का समाधान क्या होगा ? कब होगा, इसके सम्बन्ध में कल्पना करना ही विषमता की स्थिति पैदा कर देता है । मान्यवर, जनता पार्टी को सरकार ने आने के पहले घोषणा-पत्रों में अपना एलान किया था कि रोटी और आजादी दोनों देंगे । यहां नवयुवकों के बीच में यह वायदा किया गया था कि या तो रोजगार देंगे या बेरोजगारों भत्ता देंगे और यही इस प्रदेश के लाखों और करोड़ों नवजवानों ने सम्पूर्ण क्रान्ति के नारे के पीछे अपनी आहुति दी, संघर्ष किये, जेल गये और जिसको जनता सरकार क्रान्ति कहती था, कि इस क्रान्ति के आने के बाद उनकी जिन्दगी में सुधार होगा, बेरोजगारी की समस्या हल होगी और गरीबों के ऊपर उठान के सम्बन्ध में कोई नीति बनायी जायेगी, मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अन्दर केवल केरल और बंगाल में बेरोजगारों का 50 रुपया भत्ता देने के अलावा, किसी भी राज्य में उन नवयुवकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जिनकी शक्ति के बल पर सत्ता परिवर्तन हुआ था । आज तक, मान्यवर, इस देश और प्रदेश के अन्दर यह उम्मीद की जाती थी कि यह सरकार कोई श्रम नीति बनायेगी, इस देश के अन्दर कोई वेतन और मजदूरी नीति बनेगी, लेकिन न तो केन्द्रीय सरकार और न प्रान्तीय सरकार न कोई वेज नीति बनायी और यही कारण है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों/मजदूरों, पब्लिक सेक्टर के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों का वेतन और प्रान्त में नीचे विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों/मजदूर के वेतन में बहुत फर्क है और कर्मचारियों में लगातार असन्तोष की भावना भरी हुई है ।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने 1948 के वेतन अधिनियम की चर्चा की । 1975 में, मान्यवर, इस अधिनियम को फिर से पुनरीक्षित किया गया और यह कोशिश की गयी थी कि उन मिनिमम वेजेज ऐक्ट के प्राविधानों को लागू किया जायेगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर किसी भी सेक्टर में इस नीति का पालन नहीं हुआ और सबसे ज्यादा दुर्गति इस देश के लाखों कृषि मजदूरों की है । हमारे प्रदेश में, मान्यवर, लगभग 2000 ट्रेड यूनियन

[श्री देव कुमार—]

काम करती हैं । लेकिन सबसे ज्यादा मजदूरों का प्रतिशत कृषि मजदूरों का है जिनमें अधिकांश आदिवासी जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति और हरिजन हैं । ये अधिकांश खेती में मजदूरी का काम करते हैं । लेकिन उनको संगठित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया । 1971 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से इस प्रदेश की आबादी 8,83,41,144 थी और अब लगभग 11/12 करोड़ है और उस आंकड़े में 30.94 श्रमिकों का प्रतिशत था । यह प्रतिशत निश्चित रूप से अब 40 से ऊपर हो गया होगा और उसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल लेबर हैं, कृषि मजदूरों का हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, उन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं और अब स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि पुलिस के लोग भी अपना संगठन बना रहे हैं और उसके लिए सारे देश में आन्दोलन हो रहा है । लेकिन कृषि मजदूर, जो छोटे-छोटे गांव से लेकर इस तरह बिखरा हुआ है, जिसका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, उसके बीच में किसी भी दल के लोग समर्पित होकर काम नहीं कर पाये हैं और न ही सरकार की ओर से इसके लिए कोई प्रयास हो पाया है । मैं जिस जिले से आता हूं बांदा से वहां 40 प्रतिशत हरिजन आबादी है जो भूमिहीन है और आज भी ऐसे लोग हैं जो 25 पैसा, 35 पैसा और 50 पैसा के नीचे रोज की मजदूरी पाते हैं । इस पुस्तिका में कुछ उल्लेख किया गया है कि मजदूरों को बन्धुआ मजदूरी से मुक्त कर दिया गया है । कुछ आंकड़े, उत्तर काशी, टिहरी-गढ़वाल और बांदा के दिये गये हैं लेकिन मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन आंकड़ों पर भरोसा करके आप महसूस करते हैं कि बन्धुआ मजदूर विमुक्त कर दिये गये हैं तो यह केवल आत्मवंचना ही होगी और केवल शुतुरमुर्ग पालिसी होगी । आप फिर से सर्वेक्षण करवायें और इस प्रदेश के लाखों मानव, जो शोषण, उत्पीड़न और बन्धुआ मजदूरी की जंजीरों में जकड़े कराह रहे हैं उनको उनके कष्टों से मुक्त करें और कोई ऐसी योजना बनायें जिससे इस प्रदेश की जनता आपको याद करे । मैं मन्त्री जी का ध्यान बाल श्रमिकों की ओर ले जाना चाहता हूं । माननीय वर्मा जी ने कल एक प्रश्न उपस्थित किया था इसे सदन में कि फिरोजाबाद के चूड़ी कारखानों में जिनमें इतना अधिक ताप होता है कम से कम 40 फीसदी बाल श्रमिक काम करते हैं । उनको उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती और उनका शोषण हो रहा है । यही स्थिति सारे प्रदेश के कारखानों की है । आपका श्रम कानून लागू है । लेकिन छोटी-छोटी एजेन्सीज में, उद्योगों में, दुकानों पर, होटलों में, गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वालों के छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं । ये चाय और नाश्ते पर काम करते हैं और नगदी के नाम पर उन्हें एक पैसा नहीं दिया जाता । इस वर्ष अन्तराष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया जा रहा है । केन्द्र में रेल मन्त्री ने बालकों को रेल में छूट दे दी है लेकिन इससे उनका क्या भला होने वाला है । यह तो तुष्टि नीति के अन्तगत सन्तोष करने की बात है उनकी शिक्षा और रहने की व्यवस्था करके एक उपयोगी नागरिक बनाना पड़ेगा । मन्त्री जी ने वृद्धा पेंशन की बात भी कही । यह सरकार की बहुत कल्याणकारी नीति है और आप ने इस बजट के तहत चालीस रुपये से पचास रुपये तक उनकी पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है । इसमें है । इस किताब को मैंने पढ़ा । घोषणा नहीं की है अगर यह सही है तो मैं मांग करता हूं । महंगाई बढ़ गई 65 वर्ष से ऊपर के वृद्धों के पास कोई धन्धा नहीं है, रोजगार नहीं है, प्रदेश में लाखों आदमी आप को ऐसे मिलेंगे । बहुत से लोगों का इसका ज्ञान भी नहीं है कि 65 वर्ष के निराश्रितों को पेंशन दे दी गयी है । आप के विभाग के अधिकारियों

का यह कर्तव्य है कि इस योजना के अन्तर्गत इसका प्रचार करायें और आपसे आग्रह है कि इस धन राशि में और इजाफा करें जिससे कुछ राहत गरीबों को, बूढ़ों को मिल सके ।

मान्यवर, मन्त्री जी से उम्मीद थी कि कुछ मजदूरों के लिए नये आवासों की बात करेंगे, नये स्कूलों की बात करेंगे, श्रमिक कल्यणकारी योजनाओं की बात करेंगे लेकिन उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया । मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है लेकिन कुछ दिक्कतें जिन्हें मैं कहना चाहूंगा । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप रोजी रोटी, रोजगार तो दे नहीं सकते, आप मजदूरों और श्रमिकों के लिये सुविधायें बढ़ा नहीं सकते लेकिन देश की जनता ने आपातकाल स्थिति के बाद, संघर्ष करने के बाद, एक चीज हासिल की थी कि अपनी बात कह सके और अपनी बात कहने के लिये हड़ताल कर सके, अपनी जायज मुद्दों को जनता के बीच और सरकार के बीच ले जा सके, इसकी छूट लोगों को हासिल थी लेकिन शुरुआत आपकी सरकार ने की मध्य प्रदेश में मिनी मीसा ला कर ।

मान्यवर, अगर वहां के बुद्धिजीवियों ने, श्रमिकों ने, वहां के इन्साफ पसन्द लोगों ने संघर्ष न किया होता तो वह मिनी मीसा निश्चित रूप से लागू हो गया होता । मैं उन संघर्ष करने वालों को बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उस काले कानून को पास होने से रोके रखा । आप एक तरफ मान्यवर, यह कहते हैं कि आप श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थायें कर रहे हैं उनके असंतोष को दूर कर रहे हैं । अभी माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया, लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य होता है । जब हम यह देख रहे हैं कि आपकी इन कोशिशों के बावजूद इस प्रदेश और देश के अंदर श्रमिक असंतोष बढ़ रहा है । मैं सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं । सन् 1978 में 247 हड़तालें इस प्रदेश में हुईं जिनमें 1 लाख 54 हजार 333 श्रमिकों ने हिस्सा लिया और 28 करोड़ 95 लाख 94 हजार 826 रुपये का नुकसान हुआ । 1977 में हड़तालें केवल 194 हुई थी ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप किधर जा रहे हैं । एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम मजदूर असंतोष दूर करेंगे, मजदूरों की आजीविका को बेहतर करेंगे लेकिन लगता तो यह है कि इस मजदूर असंतोष को दबाने के लिए हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट में इण्डस्ट्रियल रिलेसन्स बिल पेश किया गया है जिसमें यह सरकार जिसने वादा किया था कि हम आजादी वापस करेंगे, जो आजादी हासिल हुई थी, उसे वापस लेने जा रही है । यहां के कर्मचारियों के, बुद्धिजीवियों के, श्रमजीवियों के हकों को छीनने जा रही है जो हक उनको देश के संविधान के अंदर गारन्टेड है । मैं इस देश की और प्रदेश की संघर्षशील जनता को मुबारकबाद देता हूं कि अपने उग्र संघर्ष के इस इण्डस्ट्रियल रिलेसन्स बिल जिसके तहत सरकार हड़तालों को बैन करने जा रही है पार्लियामेंट द्वारा पास नहीं होने दिया और हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसा काला बिल किसी भी विधान सभा या पार्लियामेंट में पास नहीं होने दिया जायगा । इनका कहना है कि यह अपने शासन काल में इंसान की आजादी को महफूज करने के लिये काम करते हैं लेकिन इनके कारनामें दूसरे हैं । इन्होंने कितनी बेरहमी से कानपुर के मजदूरों पर गोली वर्षा करवाई, पंत नगर के श्रमिकों को किस अमानुषिक रूप से कुचला और कानून का जितना उल्लंघन किया उससे प्रदेश की जनता समझने लगी है कि आप उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं जो 75-76 तक इस देश में लागू था और जिसकी समाप्ति

[श्री देव कुमार]

पर आप तशरीफ लाये हैं । अपने विभाग में आप एक परिवर्तन करें, अपनी नीतियों को स्पष्ट करें । जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के दफ्तर हर जिले में आपने खोल रखे और उनके जरिये से आप 51 हजार लोगों को रोजगार दे सके हैं उनको देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई दफ्तर ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार का अड्डा न हो ।

किसी व्यक्ति को अर्हता, उम्र, रजिस्ट्रेशन की तिथि नाम को भेजने के सिलसिले में तय नहीं करती, बल्कि नाम भेजने के लिये लिस्ट नीलाम होती है । कौन ज्यादा दे सकता है उस आधार पर वहां से नाम भेजे जाते हैं । बहुत सी जगहों पर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के अधिकारी ठेका ले लेते हैं और कहते हैं कि वह नियुक्ति करा देंगे इतना पैसा मिलने पर। जहां तक रिकवरीज की बात है करोड़ों रुपया इस प्रदेश में मजदूरों का बकाया है लेकिन केवल 68 लोगों के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी किये गये हैं । कारण यह है कि श्रम विभाग के अधिकारी, इंस्पेक्टर बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स से मिले रहते हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते ।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली व्यवस्था करें । जिससे आपका विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिये, जिस मकसद से बना है उस लक्ष्य की पूर्ति कर सके ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं श्रम मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मैं कुछ बुनियादी मसलों पर अपनी राय रखना चाहूंगा । मुझे बड़ी आशा थी कि देव कुमार जो कुछ बुनियादी मसलों पर हमला करेंगे । मान्यवर, जिस कार्य को मंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है इसके द्वारा उनको शिक्षित श्रमिकों की बेरोजगारी को दूर करना है, शिक्षित युवक तथा युवतियों की बेरोजगारी को दूर करना है और अशिक्षित बेरोजगारों यानी श्रमिकों के लिये रोजगार के साधन जुटाने हैं । यह बहुत बड़ा मसला आपके सामने है । आपको बाल-श्रमिकों को शोषण से बचाना है और श्रमिकों के वेतन और महंगाई को तय करना है । माननीय देव कुमार जी सी० पी० आई० के हैं, मिश्र जी से कहूंगा कि वे ऐसे सुझाव दें कि मुल्क में इस तरह कानून बनें जो किसानों और श्रमिकों के हित में हो । इस देश में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और गरीब किसान के लिये कोई कानून नहीं है । मान्यवर, इस प्रदेश में मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाता है लेकिन जिसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है उसकी महंगाई की राशि सबसे ज्यादा होती है और जिसकी तनख्वाह सबसे कम होती है उसका महंगाई भत्ता सबसे कम होता है यह दोहरी नीति इस प्रदेश में चल रही है, जिससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है । मैं माननीय देव कुमार जी से यह चाहता था कि वे आज बुनियादी चीजों की तरफ हमला करते ।

आज सरकारी संस्थाओं से जो आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और फिर पी० सी० एस० के लोग किसी काम से नौकरी से अलग कर दिये जाते हैं रिट्रेन्च या सस्पेंड कर दिये जाते हैं तो उनको 2/3 निर्वहन भत्ता दिया जाता है लेकिन गैर सरकारी संस्थाओं से जो कर्मचारी बिना सूचना के उनकी सेवाओं को समाप्त किया जाता है और 10-10 साल तक वे मुकदमा लड़ते हैं उनको कोई निर्वहन भत्ता नहीं दिया जाता है । यह दोहरा कानून इस देश में चलने वाला नहीं है । यहां पर गरीब की सुनवाई नहीं होती । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा

कि कांग्रेस के लोग जो 30 वर्ष तक भी समानता का कानून यहां पर नहीं ला सके हैं उसके लिये जनता सरकार प्रयास कर रही है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के समान गैर सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को भी उसी तरह से निर्वहन भत्ता मिले। गैर सरकारी कर्मचारियों को रिट्रेन्चमेंट या सस्पेन्शन पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की तो आपने उन्हें सुविधा प्रदान कर दी है।

लेकिन जीवन निर्वाह भत्ता उनको मुकदमा लड़ने के लिये नहीं दिया है। इसलिये इस तरह जैसा आपका नाम है उसी तरह से आपको क्रांतिकारी कदम भी उठाने होंगे और इन लोगों को इस अवधि में 2/3 जीवन निर्वाह भत्ता दें जब तक भी उनका मुकदमा चले तब तक दिया जाना चाहिए। मुझे देव कुमार जी पर हमला करना है कि वे इस तरह के सुझाव क्यों नही दिये हैं। उनको मांग करनी चाहिये थी श्रम कानून में उनके लिये व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, मैंने श्रम कानून को पढ़ा उसमें मुझे बड़ी खामियां मिली हैं। उनकी चर्चा करने का इस वक्त समय नहीं है मजदूर जो कि प्रजातंत्र की रीढ़ है उसे इस कांग्रेस सरकार ने मसोस कर रख दिया है। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज स्कूल और कालेजों में लड़के और लड़कियां भागती फिरती हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। शिक्षा मंत्री और श्रम मन्त्री का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है कोई समन्वय नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि कालेजों में एम्प्लायमेंट ब्यूरो खोले जायं, यूनिवर्सिटी में खोले जायं ताकि वहां का लड़का यह देख सके कि फलां जगह रोजगार है।

इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है हमारे मंत्री जो क्रांति के पुत्र हैं वह निश्चित रूप से ऐसा काम करेंगे जिससे श्रम जगत में क्रांति पैदा हो। मैं मिश्रा जी का आदर करता हूं उन्होंने उनको साक्षात क्रांति माना है। मैंने कुछ बुनियादी मसले रखें। मैं दो-तीन बातें जो श्रमिक को किसी कारखाने में नहीं दी जाती हैं और वह बेचारे कानून की शरण लेते हैं। जो आपका कानून है उसके अंदर है कि आप सामूहिक बारगेनिंग करेंगे, बातों का आदान-प्रदान करेंगे। उसका नतीजा क्या होता है कि आपके ए० आर० सी० ओ० दफ्तर में समझौते की बात चलती है तो कोई समझौता सेवायोजक नहीं करते। ए० आर० सी० ओ० दफ्तर में पहले से ही चीज फिक्स रहती है। फिर मामला लखनऊ आता है महीनों तक यहां पड़ा रहा है। तीन, चार महीने तक मामला ऐसे ही पड़ा रहता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। (लाल बत्ती जलने पर) मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कुछ और समय दें मैं अभी कुछ कह नहीं पाया....

श्री उपाध्यक्ष—

तीन मिनट में समाप्त कर लें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मुझ 5 मिनट और दे दें। मैं कह रहा था कि यहां लखनऊ में कागज पड़ा रहता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि ए० आर० सी० ओ० दफ्तर से कोई संस्तुति यहां रेफर होती है तो उस पर निर्णय निश्चित रूप से 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिये और उसके बाद मजदूर के पास भी उसकी सूचना पहुंचनी चाहिये। आप यह काम निश्चित रूप से करें।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

आपको विवादों को तय करने के लिए तिथि निर्धारित करनी चाहिये। उन गरीब मजदूरों को आप जीवन निर्वाह का भत्ता नहीं देते हैं। इसलिए जो सारी पेचीदगियां ह उनको हल करके तीन महीने में मुकदमें का फैसला हो जाना चाहिये।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि हमारे फिरोजाबाद में बाल श्रमिकों की समस्या है, चूड़ियों के मजदूरों की समस्या है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं आपके यहां कानून बना है कि 58 साल में लोगों को रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगी लेकिन आपकी जो वृद्धावस्था पेंशन है या फैमिली पेंशन है वह 65 साल में मिलती इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसे आप 58 साल पर ले आयें और जो आप 40 रु० देते हैं उसे बढ़ाकर 60 रु० कर दीजिये तो बड़ा अच्छा होगा।

मैं आपके सामने कुछ और बुनियादी मसले रखना चाहता हूं। हमारे फिरोजाबाद में मोती का काम महिलायें करती हैं उनके लिए किसी प्रकार मजदूरी तय नहीं है। महिलायें ही झलाई, सदाई और झलाई का काम करती हैं उनके लिए भी मजदूरी तय नहीं है। इससे उनका शोषण होता है। आज ही मेरे पास एक चिट्ठी आई है उसमें लिखा है कि फिरोजाबाद के पक्के मजदूरों ने हड़ताल की नोटिस दे दी है। मुझे प्रसन्नता है माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि फिरोजाबाद के कांच के मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करने के लिए वह एक कमेटी बनायेंगे। उन्होंने फिरोजाबाद की हालत को महसूस किया है। आपके दुकान अधिष्ठान कानून के अन्तर्गत कई छोटी-छोटी उम्र के लड़के चूड़ी जोड़ने और तोड़ने का काम करते है। उनको सीखने के लिए 6 महीने तक कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार गर्म कारखानों में लड़के जब तक गुल्ली को उठाकर न आये और फिर उसे न तोड़ ले तब तक उसे कुछ नहीं दिया जाता है। इस सारे मसलें को देखने के बाद उनका वेतन निर्धारण किया जाए उस समिति द्वारा। फिरोजाबाद में मजदूरों का जो बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए श्रम कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता है, आप उस पर अवश्य ध्यान दें। आई० टी० आईज० को भलीभांति चलाने के लिए आप अच्छे-अच्छे इंस्ट्रक्टर्स और आदमी रखें और वहां पर कुछ प्रोडक्शन कार्य भी चलावें। आपकी मशीनें वहां बेकार खड़ी रहती हैं, लेकिन उन पर कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है, जिससे आपके आई० टी० आई० घाटे में जाते हैं। इसके अलावा श्रमिकों की समस्याओं को हल के लिए आप फिरोजाबाद में एक आई० टी० आई० टाईप स्कूल खोलें। जिसमें वह कांच का काम सीख सकें और वहां का यह उद्योग तरक्की कर सके। कांच का उद्योग हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे एशिया में बहुत ऊंचा उद्योग है, इससे बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा सरकार अर्जित करती है। जो मैंने आपको बहुत से सुझाव दिए हैं, उस पर आप क्रान्तिकारी अमल के लिए ध्यान दें और तदनुसार नियम बनावें और मैं देव बहादुर जी से निवेदन करूंगा कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर मेरे साथ मिलकर इस पर अमल कराने का पूरा प्रयास करें।

*श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं। मैं श्रम विभाग को अनुदानों का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। श्रीमन्, मुझे अवसर मिला है किसानों और मजदूरों के बीच काम करने का, लेकिन एक जो खाई है वर्गास-

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वन और टू को, वह कभी भी देश और प्रदेश को आगे नहीं बढ़ने देगी । लखनऊ में एक चयन समिति बनी है, तीन साल पहले जिन लोगों ने नाम लिखाया, उनका नाम नहीं आया, लेकिन वोट के चक्कर में पड़े जो लोग मंत्री पर दबाव डालते हैं और मंत्री कहते हैं, तो उन एक दो केस में वह एप्वाएन्ट कर लेते हैं । जो उनके कहने से एक-दो काम करते हैं, वह लोग फिर मंत्री पर चढ़कर सारा काम अपने मन का करना शुरू कर देते हैं । यही नहीं हिन्दुस्तान में जब फिरंगी थे और उनको हमने खेदा और हमारे जैसे लोगों ने 42 में रणभेरी बजाई तब से वह कानून चला आ रहा है । क्लास-वन और टू का आदमी अपने को परमात्मा से भी बड़ा आदमी समझता है और जब हम यहां पर चर्चा करते हैं तो वह यहां पर बठकर मुस्कराया करते हैं और कार्यवाही का एक शब्द भी वह अपनी कलम से नोट नहीं करना चाहते हैं ।

मंत्री जी जब उनको बुलाते हैं तो उनको भी ऐसी चाल पढ़ाते हैं कि कुछ कहने की नहीं····व्यवधान । बगैर बुलेट का इस्तेमाल किये हमने कांग्रेस को भगाया है । हमने प्रतिज्ञा-पत्र भरा है कि हमला चाहे जैसा हो, हाथ नहीं उठेगा, नहीं तो वह हमारी आजादी छीनें और हम उसे बरदाश्त कर लें । ऊधम सिंह जैसे बहादुर ने इंग्लैंड में जाकर जलियांवाले बाग के नरसंहार का बदला लिया तो यहीं पर हम अपनी आजादी छीनने वालों को कैसे बरदाश्त कर सकते हैं । हम भी वही हैं । जो तन्हाई में सजा काटकर और चक्की पीस कर आजादी प्राप्त किये हैं, मैंने न कभी माफी मांगी है न मांगूंगा । न मैंने तब माफी मांगी थी और न गांधी के टाइम में मांगी थी । क्लास 1 और क्लास 2 का जो भेद है उसको बन्द करो। जो श्रमिक है और सुबह से शाम तक काम करता है, चपरासी है जो क्लास 1 के घर पर लहंगा और धोती छांटता है, उसको बन्द करो । जो छोटा कर्मचारी है उसको पेंशन नहीं मिल पाती। 6 महीने से पहले उसके पेंशन के कागजात तैयार नहीं होते हैं जिससे उसको समय से पेंशन नहीं मिल पाती है । आप इसको करावें । मैं सारे विधान बनाने वाले लोगों से कहता हूं कि इनके खिलाफ आन्दोलन करना चाहिये, वोट का सिस्टम भूल जाओ। इतनी बात कहकर मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, जो एक रुपये की बात कही गयी है उससे कोई काम चलने वाला नहीं है । ऐसा लगता है कि श्रम के बारे में वही सारे पुराने गीत गाये जाते हैं । इसकी विरोध पक्ष के लोगों ने आलोचना की । लेकिन मुझे यह आशा बंधी थी कि जब आपने लेनिन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था कि मजदूरों का कल्याण होगा। वहां पर 1 रुपये से और 5 रुपये से ज्यादा फर्क नहीं है और एक और तीन से ज्यादा उसके पड़ोस में फर्क नहीं है, लेकिन एक रुपया और 3 लाख या एक रुपया और एक हजार का फर्क यहां पर है । आप कोशिश करें कि एक स्टेट वेज बोर्ड यहां पर बनाया जाये और एक रुपया और 10 रुपये से ज्यादा का फर्क न हो । जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में है कि एक रुपये और 20 रुपये से ज्यादा का फर्क नहीं होगा । आप स्टेट वेज बोर्ड बनावें । मान्यवर, यह काम केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये था कि वह नेशनल वेज बोर्ड बनाती ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी--]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं जब कोई काम कराना होता है तो वह वित्तीय कठिनाइयां लेकर सामने आ जाते हैं। आप स्टेट इन्स्टीट्यूट फार वर्कर्स एजूकेशन की स्थापना करें। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ह उनकी आप मदद करें। श्रम विभाग जो है वह सबसे बड़ा विभाग है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह सुखी नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रह सकेंगे और कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको मौलिक परिवर्तन करना है। मैं एक बात और करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में एक लेबर डिपार्टमेंट होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी में लेबर डिपार्टमेंट है चाहे वह अमेरिका हो चाहे कनाडा हो और चाहे कोई अन्य देश हो सभी जगह पर लेबर डिपार्टमेंट है। आप कम से कम श्रम जीवी महाविद्यालय चलावें। माननीय वर्मा जी चले गये मैं अभी तीसरा सुझाव और देना चाहता हूं। यदि आप समतावादी दिशा और दृष्टि की रूपरेखा खींचना चाहते हैं, यदि आप श्रमिकों को कानून के चंगुल से हिन्दुस्तान या कम से कम उत्तर प्रदेश में उबार सकें तो उबारें। यहां पर हजारों कानून बने हुए हैं जिनसे आपको चाहे आपका आर्गनाइज्ड सेक्टर हो या और मजदूर हों, उस कानून के चंगुल से आपको उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिये। आपके 12 न्यायालय और 5 न्यायाधिकरण बहुत सदियों से चल रहे हैं लेकिन फिर भी वर्कर्स का शोषण होता रहा है और होता रहेगा। न्याय की तुला पर जब आप तौलें तो दृष्टिपात करें। आपके विभाग में बहुत सक्षम लोग होंगे, जिनकी आप मदद ले सकते हैं। बंधुआ मजदूरों को भी आप देखें, उनकी क्या-क्या समस्यायें हैं ? आज मंत्री भी बंधुआ मजदूर होता है। अगर आप कुछ करेंगे तो उतार दिए जायेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ जिलों का सर्वेक्षण करें और उनकी हालत को दे देखें। जहां पर ठेकेदारों द्वारा काम होता है, उसके लिए कुछ निश्चय करें और अगर उसको फिनिश कर सकें तो अवश्य करें। चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में वें काम करते हों या प्राइवेट रूप से कोई ठेकेदार काम करता हो वहां पर मजदूरों की हालत को आप देखिये।

जो श्रमिक संगठन हैं, उनसे श्रमिकों का भाग्य पलटने वाला नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगर एक इण्डस्ट्री के अन्दर एक यूनियन कर दें तो इससे बढ़ कर और कोई काम नहीं होगा। इस समय प्रदेश में 1777 ट्रेड यूनियन्स रजिस्टर्ड हैं। मेरा निवेदन है कि जैसे यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेज में एक यूनियन होती है और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे उसी प्रकार से, उत्तर पैटर्न में लड़ें और एक इंडस्ट्री और एक यूनियन कर दें तो तीन साल में प्रदेश में अवश्य क्रांति होगी। श्रम विभाग के बारे में यहां पर बहुत चर्चायें हुईं। आज हमारे देश में 84 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं। आज ग्रामीण आर्गनाइजेशन नहीं बना पायेंगे। अमरीका जैसे देश में जहां पर आर्गनाइज्ड लेबर फोर्स है, वहां पर भी 8 परसेंट रूरल सेक्टर के हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप ग्रामीण श्रमिक पंचायतें निर्धारित कर दें।

(व्यवधान)

(श्री राम रतन सिंह का नाम पुकारे जाने तथा एक अन्य सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अब कृपया बैठें, मैंने राम रतन सिंह जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय देव बहादुर सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आलोचना आदि करने में बहुत समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी स्वयं अपने में एक आश्चर्य है और यहां विधान सभा में माननीय सदस्यों के जो कार्यकलाप हैं वे भी अजीब से हैं। माननीय सदस्य अपने ही दल के लोगों पर आरोप लगा देते हैं और जिस तरह से अपने दल की ही आलोचना करते हैं उससे जनतंत्र में वे अपनी एक अजीब परम्परा बनाते जा रहे हैं। बहरहाल, उनका अपना यह काम है वे जैसा उचित समझ करें, पर जनतंत्र में यह कोई अच्छी बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी की आलोचना करें।

(व्यवधान)

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

यह विषयान्तर हो रहा है।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

यह कौन से बजट पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय सदस्य कृपया श्रम पर आ जायें।

श्री राम रतन सिंह--

जनता पार्टी की राय में देश में एक आजादी सन् 1947 में आयी और दूसरी आजादी सन् 1977 में आयी समग्र क्रान्ति के बाद। आजादी के पूर्व विधान मंडलों में श्रमिकों का एक प्रतिनिधित्व रहता था। विधान मंडल में उनके प्रतिनिधि रहते थे। आजादी मिलने के बाद उनका प्रतिनिधित्व विधान मंडलों में समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर मंत्री जी विचार करें और यहां विधान मंडलों में भी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए।

(व्यवधान)

मान्यवर, श्रम विभाग एक शक्तिशाली विभाग है, लेकिन इसके कार्यकलाप बिल्कुल परामर्शदात्री समिति जैसे ही हैं। इस श्रम विभाग में यदि हमारे क्रान्ति भाई कोई क्रान्ति ला सके, इस विभाग को कुछ सशक्त बना सके तो यह निश्चय ही कल्याणकारी होगा। जो भी कानून श्रमिकों के हित के लिए बने हैं उनकी एक तालिका भी इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी है, लेकिन उनका कार्यान्वयन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। कानून बन जाता है लेकिन सेवायोजक उसका पालन नहीं करते हैं। श्रम विभाग, जिसकी जिम्मेदारी है श्रमिकों के हित की रक्षा करना, वे सेवा योजकों की रक्षा करने का काम करता है। कानून है कि निश्चित तिथि

[श्री रतन सिंह]

पर ही श्रमिक को उसकी मजदूरी मिल जायेगी। कायदा बना है, आपने पुनः कानून बनाया, आदेश किया, लेकिन मान्यवर, अगर आप देखें और गौर करें, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अधिष्ठानों में कानून का बराबर उल्लंघन होता है। श्रमिकों को समय पर वेतन मिल नहीं पाता है। अब हम आपसे निवेदन करेंगे, हमारे सीतापुर जिले में 104 तेल मिलें हैं, जिनमें केवल 3 फैक्ट्रेट ऐक्ट म कवर होते हैं, जब कि सबको फैक्ट्री ऐक्ट में कवर होना चाहिए। तेल मिल मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जाता है। मजदूर चाहे बीस वर्ष तक काम करे, टेम्प्रेरी बना रहता है। उसकी सेवायें स्थायी नहीं हो पाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन तेल मिलों की स्थिति देखवा लें और मजदूरों के साथ जो अन्याय वहां होता है, उसको आप देखें और उसकी छानबीन कराने के लिए अच्छा हो, जो एक समिति नियुक्त करें, जो उनके मजदूरी के घंटे, मकान वेजेज और उनकी सेवा शर्तें देखें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे चीनी मिलों में रिटर्निंग एलाउन्स का प्राविधान है, उसी तरह से इन तेल मिलों में होना चाहिये। यह तेल मिल वाले जब उनको फायदा होता है, तब वह चलाते हैं और जब फायदा नहीं होता है, तो नहीं चलाते हैं, जिससे इन मजदूरों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बेकारी के समय इन मजदूरों को बेकारी का भत्ता मिल सके। मान्यवर, खेतिहर मजदूरों के लिए ऐसा है, लेकिन रिपोर्ट पढ़ने से ऐसा लगता है, हम देखते भी हैं कि प्रदेश में खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन सहीतौर पर मिल नहीं पाता, कानून है और मैं सुनता बहुत अर्से से चला आया, बड़ी ढोल पीटते हैं, जो भी सरकार आती है और जो श्रम मंत्री होता है वह खेतिहरों की बहुत बातें करता है लेकिन खेतिहर मजदूरों का दुर्भाग्य है, उन्हें न तो कोई संरक्षण मिला है और न उनका कोई हित हो रहा है, चाहे जो भी कानून बने हों। जो खेतिहर मजदूर होता है, खेत में काम करता है, 2-4 रु० पाता है, आपने अधिकार दे दिया तहसीलदार को, अब उसके पास किराया के पैसे ही मुहय्या नहीं होते कि तहसीलदार के पास शिकायत कर सके। तो कम से कम थाने के स्तर पर कोई प्राविधान हो, जिससे कि उसको कुछ न्यूनतम वेतन मिल सके। मजदूर के संगठन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

आज कितनी यूनियन हैं श्रमिकों के हितों की और कितनी यूनियनें रोज नई-नई बनती जा रही हैं। इसमें कहीं न कहीं आपको रोक लगानी होगी। अगर आप इन श्रमिक संगठन पर रोक नहीं लगायेंगे, तो जो ये लोग 4-6 आदमी इकट्ठा कर लेते हैं, वे यूनियन बना लेते हैं, वे आपके दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। फिर मंत्री जी के यहां से रजिस्ट्रार को टेलीफोन हो जाता है कि यूनियन रजिस्टर्ड कर दी जाय और यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है। कम से कम 20 प्रतिशत मजदूर जिस यूनियन में हों, उसी यूनियन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। साथ ही साथ मजारिटी यूनियन को मान्यता देने का जहां तक सवाल है, इस सम्बन्ध में भी कोई ठोस कदम शासन को उठाना चाहिए जिनकी मंजारिटी यूनियन हैं, उनको मान्यता मिले। प्रबन्ध में साझेदारी की बात 48 से सुन रहा हूं। सबसे पहले हमारे देश में सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करिये।

श्री राम रतन सिंह––

मान्यवर, 5 मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष––

दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री राम रतन सिंह––

मान्यवर, सबसे पहले 1948 में माननीय पंडित जी ने प्रबन्ध में साझेदारी कायम की थी लेकिन प्रतिष्ठानों में साझेदारी के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है । मान्यवर, प्रबन्ध में साझेदारी की आप व्यवस्था करें और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कम से कम यूनियनों को जो मान्यता प्राप्त हों, उनको सेवायोजकों के खर्चे को देखने का अधिकार दे दें । हमें बैलेन्सशीट को चैलेंज करने का अधिकार है नहीं और उसके अभाव में अगर आप प्राविधान करें तो एक अच्छी बात होगी ।

डोमेस्टिक इन पाराज की बात है । उसमें मनमाने ढंग से कागजात बना लिए जाते हैं और जो मजदूर होता है उसे रिट्रेन्च कर देते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसी कोई व्यवस्था करें कि डोमेस्टिक इन पारा में कोई प्रतिनिधि रहे आपका ।

ठेकेदारी प्रथा के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । इस सिलसिले में भी बहुत अर्से से सुनते चले आ रहे हैं कि यह बन्द हो जायेगा लेकिन आज तक समाप्त नहीं हुआ और बढ़ा है । खासतौर से उन प्रतिष्ठानों में जहां सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति रिसीवर या मैनेजर के हिसाब से हो जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम रतन सिंह––

2 मिनट में आपसे चाहूंगा । वहां काम करने वाले श्रमिकों को उनकी पूरी मजदूरी जो उद्योग की न्यूनतम हो, दी जाये और प्रतिष्ठान के खजाने से दी जाये । उसकी जिम्मेदारी सीधे सेवायोजकों पर डाला जाये । रिट्रेन्च या डिस्मिस्ड मजदूरों के मुकदमे काफी अर्से तक चलते रहते हैं । प्रतिष्ठानों में रिटायर श्रमिकों को पावनें की अदायगी नहीं होती है ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप लेबर लीडर हैं बहुत लम्बा खींच रहे हैं । आप 12 मिनट बोल चुके हैं ।

*श्री मुकीमुर्रहमान––

श्रीमन्, आपने इस मौके पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । राम रतन जी हमारे सहयोगी सदस्य हैं इन्होंने कहा इस मर्तबे लेबर कोर्ट से कोई सदस्य नहीं आया है । जाने–पहचाने दिखे जो प्रस्तुत हैं जो लेबर लीडर हैं इत्तिफाक से मैं भी उसी ट्रेड यूनियन से आया हूं । मैं अपना पत्र भेज रहा हूं, उसे पढ़ें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

मान्यवर, आज असल में भाषण का मौका है नहीं। 2-4 सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे। श्रीमन्, परम्परा ऐसी हो गई कि सदन के अन्दर जो आदमी भी खड़ा होता है, किसानों, लेबर का सहारा लेने के लिए। उसके सामने कोई तीसरी तस्वीर नजर नहीं आती। प्रोफसर साहब बोल रहे थे, मेरी समझ में गाली दे रहे थे, लेबर के नाम पर। मैं लेबर हूं, जहां से लड़ कर आ रहे हैं, बोलना चाहते हैं, हड़ताल करना चाहते हैं लेकिन बहुत से लेबर ऐसे हैं, जिसे आज तक अंदाज नहीं हुआ कि मैं लेबर हूं। जिन्हें आज तक यह भी अन्दाजा नहीं कि वह लीडर हैं, इस भारतवर्ष के निवासी हैं, उनके पास क्या-क्या जिम्मेदारी है, उन्हें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनकी आवाज इस सदन तक नहीं आ पाती। यह शासन उन्हीं की सुनता है, जो हड़ताल करता है। बिजली की हड़ताल, सिंचाई की हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल, बैंकों की हड़ताल, घर में हड़ताल, बाहर हड़ताल। उन्हीं की आवाज मंत्री जी के पास तक पहुंच पाती है। मंत्री जी उन्हीं की बात पर ध्यान देते हैं जो हड़ताल का नाम लेते हैं, मैं तो हड़ताल का विरोधी हूं।

माननीय मंत्री जी का सारा स्टाफ बैठा है, उसी विभाग के अधिकारी बैठे हैं। महाराष्ट्र में, केरला में, बंगाल में ब्लाक स्तर पर लिस्ट बनी है, आदेश दिए गए हैं कि जिस मजदूर के मुताबिक जो काम हो उसी हिसाब से उसे काम दिया जाये। ब्लाक स्तर की लिस्ट के मुताबिक जिसको जो काम मिलना चाहिए दिया जा सके। मंत्री जी को भी चाहिए कि ब्लाक स्तर पर लिस्ट बनवायें कि कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं जिनसे हम काम ले सकें।

दूसरी बात यह कि माननीय मंत्री जी ने एलान किया इस सदन के अन्दर। इसी तरह हमारे वित्त मंत्री जी ने भी एलान किया था कि तीन वर्ष से अधिक जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवायें हैं उनको हम रेगुलर करने जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, एक तरफ यह ऐलान किया जाता है दूसरी तरफ कर्मचारी निकाले जाते हैं। अभी परसों की बात बता रहा हूं सिंचाई मंत्री का भाषण होता है कि हम किसी व्यक्ति को हटाने नहीं जा रहे हैं। आज हमारे पास लिस्ट है उसमें सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षर हैं, एक महीने की नोटिस देकर 7-7 साल से काम करने वाले कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयीं। लिस्ट मान्यवर सिंचाई विभाग की है। रामगंगा परियोजना में परसों 29 तारीख को लगभग 400 आदमियों की सेवायें समाप्त कर दी गयीं। ऋषीकेश के अन्दर 84, यमुना परियोजना 72, हरिद्वार चीला 52, जमरानी 12, मध्यगंगा 208, बनारस में 14, एटा कासगंज, नरौरा जहां के आदमियों को निकाल गया। अबतक इन्हें नहीं लिया गया, नई भर्ती करना चाहते हैं। सन 1968 से कार्य कर रहे हैं यह लोग। श्रीमन् भाषण कुछ और राशन कुछ और। परसों भाषण में माननीय मंत्री जी ने सदन के अन्दर एलान किया कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया और आज नोटिस मिलती है। अभी मंत्री जी को यह कागज प्रस्तुत करूंगा और चाहूंगा कि मुख्य अभियन्ता से पूछें कि उन्होंने कैसे किसके आदेश से इस प्रकार का फैसला किया। श्रीमन् कुछ लोग ऐसे हैं जो बी० एस० सी० हैं और इन्जीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं वह 300 रुपये पर कार्य करते हैं, फोर मैन, चार्ज मैन के स्थान पर कार्य करते हैं। जिन्होंने 11 साल सेवा की है, उन्हें हाथ पकड़ कर निकाल दिया गया और अब वे ओवर एज हो गये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 लाख 81 हजार मजदूरों की सेवायें यह जनता पार्टी अपने शासन काल में अबतक समाप्त कर चुकी है।

जनता पार्टी के शासन के दौरान 77 हजार आदमियों की सेवायें समाप्त की गयी हैं। आप कहेंगे कि कैसे तो मैं कहूंगा कि इसका रिकार्ड है अगर रिकार्ड पर एतबार नहीं है तो मेरे खिलाफ ऐक्शन लीजिए। 12,442 आदमियों को सन् 1976 से अब तक कालागढ़, गढ़वाल में हटाया गया है।

एक सदस्य--

माननीय, यह बोलते चले जा रहे हैं।

श्री मुकीमुर्रहमान--

श्रीमन्, जमरानी के अन्दर 80 आदमियों को हटाया गया है। माननीय, जो कर्मचारी हटाये गये हैं वह सब हजार या बारह सौ पाने वाले नहीं हैं। उनमें फावड़ा चलाने वाले, फोरमैन, स्पेशल फोरमैन, मैकेनिक मास्टर मकैनिक, डीजल आपरेटर, डमफर आपरेटर, शाकल आपरेटर, मैरियन आपरेटर, ट्रक ड्राइवर आदि कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं। इसके अलावा बेलदार, फिटर, टर्नर कुली आदि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मिलाकर परियोजना तैयार होती है। इन कर्मचारियों का हटाना अनुचित है, नये कर्मचारी भर्ती किये जायें और पुराने हटाये जायें तो यह अनुचित है। यह लोग अपने अपने फन के मास्टर होते हैं। ट्रक खराब खड़ा है मैकेनिक ने देखा और ठीक कर दिया। तो माननीय, मंत्री जी बैठे हैं। रामगंगा का प्रोजेक्ट है, 200 मेगावाट बिजली बनाने के लिए 180 आदमी अब तक शहीद हो गये। कोई करेंट आया मर गया, ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट से मर गया। इनके बच्चों, औरतों को पुलिस के जरिये निकलवा कर जिला बाहर करा दिया गया।

आज उनकी मेहनत से आपके धर में रोशनी और एयरकंडीशनर चलते हैं लेकिन उनकी जिंदगी अंधेरे में खो गई तो इन आदमिय को हटाकर नये लोगों को न रखा जाय। जिस तरह से मुगलिया सल्तनत में कारीगरों के हाथ कलम करा लिये जाते थे उसकी तरह इन कार्य प्रभारित कर्मचारियों के हाथ जनता पार्टी ने कलम कर दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

(श्री मोतीराम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुकीमुर्रहमान--

माननीय, मैं दो मिनट और समय लूंगा।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

माननीय, क्या इस पर बोलने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। मेरा भी नाम है।

श्री मुकीमुर्रहमान--

माननीय, यह परंपरा रही है कि मंत्री अपने डिपार्टमैंट के यूनियन लीडर्स को बुला करके बैठक करते हैं। आज श्रम मंत्री और सिंचाई मंत्री ने किसी को बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया है। उनको मौका नहीं मिला कि बुला सकें। हम आपस में बैठकर नीति बनायें तो कोई रास्ता निकालने में आसानी होगी।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

व्यवस्था का प्रश्न है । आप कह रहे हैं कि बैठ जायं और आप बोलते चले जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

एक बात कहकर मैं बैठ रहा हूं । मैं यह नहीं कहता कि नये लोगों को काम न दें । लेकिन जिनकी सेवायें 10-15 साल की हो गयी हैं और उनको हटाया जा रहा है यह उचित नहीं है । जो लोग निकाल दिये गये हैं, लेबर मिनिस्टर अन्य विभागों को लिखे कि जो लोग यहां से निकाले गये हैं उनको अन्य डिपार्टमेंट्स में भर्ती करने का मौका मिलना चाहिये । तमाम मंत्रियों को इस पर कार्यवाही करनी चाहिये । हम जबरदस्ती कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि मजदूरों को रखें लेकिन 10 साल के आदमी को हटाकर नया एप्वाइंटमेंट नहीं करना चाहिए ।

*श्री मोतीराम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे समय दिया । मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, दो साल से अधिक हो गये हमको और हमारी पार्टी को शासन में आये लेकिन मजदूर जगत के लिए जो होना चाहिये वह नहीं हुआ हमें आशा है कि मंत्री जी इस दिशा में कुछ काम करेंगे । मान्यवर, जब से इस विभाग की स्थापना हुई तबसे मजदूर जगत के लिए कोई सरकार या विभाग या राजनीतिक आदमी काम करता है तो वह दया की भावना से अधिक और कर्तव्य की भावना से कम करता है । इस देश और प्रदेश की परम्परा है कि किसी भी कमजोर व्यक्ति के उद्धार की जब बात की जाती है तो प्रदर्शित किया जाता है कि दया कर रहे हैं । मजदूर वर्ग कमजोर वर्ग है । उसका संघर्ष पूंजीपतियों से होता है और उसको उनसे अपने श्रम का हिस्सा लेना होता है । दुर्भाग्य इस प्रदेश का रहा है कि अभी तक वेज नीति और श्रम नीति नहीं बन पायी है । हमारे विभाग का कार्य क्षेत्र बड़े-बड़े कारखानों और मजदूरों तक ही सीमित हो गया है, छोटे कारखाने या खेतिहर मजदूरों की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं जाता है।

इसलिए मान्यवर, यहां जो 40 प्रतिशत मजदूर खेती करते हैं उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है । सबसे बड़ा शोषण मजदूरों का इस क्षेत्र में हो रहा है । आज भी यहाँ कई स्थान जैसे गोरखपुर आदि हैं जहां सिर्फ खाने पर ही आदमी को श्रम बेचना पड़ता है । मान्यवर, मैं राकेश जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि पंचायत स्तर पर से इस आन्दोलन को छेड़ना होगा और इसमे पहल श्रम विभाग और सरकार को करना होगा क्योंकि यह लड़ाई जिस वर्ग से की जानी है वह बहुत ही संपन्न पैसे से ही नहीं बल्कि लाठी और डंडों से भी संपन्न होगी। मान्यवर, ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारा उद्योग विभाग है उससे हमारे श्रम विभाग का कोई तालमेल नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योगपतियों को करोड़ों रुपये लिबरल तरीके से उद्योग विभाग दे रहा है लेकिन श्रमिकों के हितों की जो रक्षा होनी चाहिये वह नहीं हो रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक उद्योगपति एक उद्योग लगाता है और उससे वह 10 उद्योग पैदा कर लेता है । और जो इंडस्ट्री आउट डेटेड है उसको कमजोर करके समाप्त कर देता है । इसलिए इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर यह गलती कहां है । आज नये उद्योग को लगाने के लिए 90 प्रतिशत धन सरकार देती है, उसके कैपिटल का, लेकिन पुराने उद्योग को सुधारन के लिए वह सुविधा सरकार नहीं देती ह । आज उद्योगपति नई इंडल्ट्री को पैदा करता है और पुरानी इंडस्ट्री को समाप्त कर देता ह जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों को निकाला जाता है और फिर बेरोजगार होने पर मजदूरों में संघर्ष छिड़ जाता है ।

मान्यवर, बड़े-बड़े उद्योगपति जैसे डालमिया, बिरला टाटा, जैपुरिया आदि एक इंडस्ट्री को लेकर चले थे और सारे हिन्दुस्तान में छा गये लेकिन जिस इंडस्ट्री को शुरू किया था वह समाप्त हो गयी । जे० के० न पहली इंडस्ट्री को बंद कर दिया और नई इंडस्ट्री पदा कर दिया । इसलिए एसा क्यों हो रहा है, इसके लिए उद्योग विभाग और श्रम विभाग में ताल मेल होना चाहिये कि यदि कोई पूंजीपति नई इंडस्ट्री लगाने जा रहे है तो वह पुरानी इंडस्ट्री को ठीक से चला रही है कि नहीं इसको मालूम करने के लिए तोलमेल होना जरूरी है । मान्यवर, मुझे तो एक साजिश लग रही है, और मेरा व्यक्तिगत मत है, सरकार पर आरोप, नहीं लग रहा हूं, कि यहां का जो पूंजीपति ह । वहाँ पर जो पूंजीपति ह, जिन्होंने यहां इंडस्ट्री लगायी, कुछ ऐसी प्रान्तयता की संकीर्णता में फंसे हैं गुजरात, महाराष्ट्र आद की कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगायी, और अब दूसरे प्रदेशों में लगा रहे हैं । हमारे उत्तर प्रदेश की वेल्थ माइग्रेट हो रही है । इसमें साजिश है, मान्यवर, इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री मोतीराम--

2 मिनट में समाप्त करता हूं, मान्यवर, आवास के बारे में बात आयी । जो मंत्री जी ने आवास की बात कही, मान्यवर, उसकी देखरेख और उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है । मजदूरों की बास्तियों में अकसर देखा गया है कि नाम श्रमिक बस्ती है और वहां आम जनता के लोग रहते हैं, अधिकारी रहते हैं । 10% भी मजदूर नहीं रहते ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबू बदरे--

मांन्यवर, मुझको बोलने का मौका दें ।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिह--

मान्यवर, हमारी पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बाद अवश्य दिया जायेगा ।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, किसी भी देश की तरक्की के लिए श्रमिकों का सुखी रहना, उनको अधिकारों की प्राप्ति हो, यह देखना किसी भी पापुलर गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है और हम यह भी अनुभव करते हैं कि इस देश मे जब-जब औद्योगिक क्रान्ति आयी, शोषण से मुक्ति पाने के लिए मजदूरों ने संघर्ष किया । पद्धतियों में परिवर्तन आय, लेकिन उसके बाद भी हम देखते ह कि श्रमिकों को जो सुविधायें प्राप्त होना चाहिये जो अधिकार मिलने चाहिय, वह आज भी दुनिया के दूसरे देशों में भी चाहे मार्क्सवादी देश हों, चाहे लेनिनवादी देश हों, या दूसरे विचारधारा के देश हों, ये सुविधायें प्राप्त नहीं हो पायी । तो हिन्दुस्तान में उन सुविधाओं मे कमी होना अस्वाभाविक नहीं । लेकिन लेबर के संबंध में, वास्तव में, जो उनकी मानवीय आवश्यकताय हैं, उन पर तो हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये ? उनके विकास के लिए जो आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये, वे तो उठाये जाने चाहिये । इतने अधिक कानून बनाकर उनको कानून के जंगल में न फंसा दिया जाय कि जिस चीज से उनको मुक्त होना चाहिये, उसमें वे फिर ग्रसित हो जांय ।

आज उद्योगपति जिस प्रकार से मजदूरों का शोषण करते हैं उनको निकालते हैं, कानून का सहारा लेते हैं, जब संघर्ष किया जाता है तो लेबर कोर्ट में चले जाते हैं वर्षों तक मुकदमा चलता है, उनसे गरीब परिवार उजड़ जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता उद्योगपतियों द्वारा शोषण होता है और शासन भी कोई ऐसी सुविधा नहीं कर पाती कि मजदूरों का शोषण उद्योगपति बन्द कर सकें । यहां कानून भी बनाया जाता है वह बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए मजदूरों की दवा के लिए क्रमशः वहां पर भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती । जो ट्रेड यूनियन्स हैं वहां भी जो शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, वरकर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात होती है वह भी नहीं हो पाती । एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के द्वारा जो भर्ती होती है वहां भी घूसखोरी चलती है ।

(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, मैंने वर्षों यूनियन में काम किया है । मुझे कुछ सुझाव देने हैं । मुझे भी अवसर दें

श्री बाबू बदरे--

मैं कई बार खड़ा हुआ । मुझे अवसर नहीं दिया । मुझे भी अवसर दें ।

श्री राम जी--

मैं अपनी बात अभी खत्म कर रहा हूं । एक मिनट का समय और दे दें । आजमगढ़ एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के अन्तर्गत बिना किसी तरतीब के नाम भेजे जाते हैं । जो स्पिनिंग मिल है वहाँ के मालिक संघर्ष कराने में इंटेरेस्ट लेते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनको प्रेटोकाल का भी ज्ञान नहीं कि जन प्रतिनिधि के साथ किस तरह बर्ताव किया जाता है । इस स्पिनिंग मिल की समस्या पर मंत्री जी विशेष ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । मैंने श्री श्यामधर मिश्र जी को बुला लिया है ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन, श्रम के सम्बन्ध में दुःख तो यह है कि भारत सरकार से लेकर प्रदेशीय सरकारों तक कोई श्रम नीति नहीं है । यह कोई आज की बात नहीं है । पहले से ही नीति नहीं है । आप देख लें कि भारत सरकार की सेवा में जो लोग हैं अधिकारी या कर्मचारी बस कितना पा रहे हैं और प्रदेश की सेवा में जो लोग हैं वह कितना पा रहे हैं । फिर आप देख लें कि रिजर्व बैंक में और एल० आई० सी० में लोग क्या पा रहे हैं । वहां एक जपरासी और ड्राइवर भी बारह सौ तेरह सौ रुपया पाता है जबकि हम,रे यहां सचिवालय में उसे दो सौ तीन सौ रुपया ही मिलता है । यह है श्रम नीति । यह तो हुई दो सरकारों की तुलना। अब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को देख लें । यहाँ तक की कंपनी ऐक्ट में एक व्यक्ति को 6 हजार रुपया वेतन और 6 हजार रुपया परकीजिट्स दिये जा सकते हैं, यानी बारह हजार रुपया तक दिया जा सकता है । आज विदेशों में श्रम नीति क्या है । अमेरिका को पूंजीवादी देश कहते हैं, जर्मनी को पूंजीवादी देश कहते हैं । जापान सोशलिस्टिक डेमोक्रैटिक कंट्री है लेकिन पूंजीवादी देश कहा जाता है । वहां इंकम का अनुपात 1/10 और 1/12 से अधिक नहीं है। एक सिपाही भी वहाँ 4 हजार रुपया कमाता है । जो काम करने वाला मजदूर है छोटी सी फैक्ट्री में वह तीन चार हजार रुपया कमाता है । इसकी विवेचना करें कि क्यों कमाता है । इसलिए कि वहाँ श्रम की नीति, उद्योग की नीति और अन्य नीतियों में सामंजस्य है । यहाँ श्रम के मंत्री से उद्योग मंत्री की लड़ाई रही है ऐसा मालूम होता है । मैं इनको नहीं कह रहा हूं क्रान्ति जी को नहीं कह रहा हूं । मालूम यह होता है कि श्रम मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय में परस्पर विरोध चलता है । आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे उद्योग चलें, घरेलू काम बढ़े, खेती बढ़ें, उत्पादन बढ़े, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़े, आय बढ़े तब आप उसको आमदनी दे सकेंगे । इस प्रदेश में चूंकि श्रम मंत्रालय में मांग हो रही है कि हमारी तनख्वाह बढ़े तब उद्योग की माँग होगी, तब दूसरे माँग करेंगे । हम परस्पर विरोधी बात करते हैं औप मंत्री एक दूसरे के परस्पर विरोधी बात करते हैं क्योंकि श्रम नीति यहां नहीं है, भारत सरकार की नीति नहीं है ,प्रदेश सरकार की नीति नहीं है । प्रदेश सरकार की अपने विभागों के संबंध में नीति नहीं है, अपने ही सचिवालय के अन्दर नीति नहीं है । हमारे यहाँ जो कर्मचारी बेचारे खड़े हैं वे कम पायेंगे और सिपाही ज्यादा पायेगा । अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था एक दिन कि सिपाही दस रुपया ज्यादा पायेगा । सिपाही उन का है । यह कैसी श्रम नीति है ।

श्रीमन्, श्रम के संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं । हमारे शोषण करने वाले हैं । कौन हैं । एक तो मालिक हैं और दूसरी सरकार है और तीसरे हमारे श्रमिक नेता हैं । श्रमिक नेता, ट्रेड यूनियन लीडर्स हमारा शोषण कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्यामधर मिश्र]

रहे हैं, क्षमा करें कुछ यहां बैठे हों, चंदा जो मिलता है उसे ही चाट जाते हैं, खा जाते हैं। तत्परता इनकी देखिये उन की कोई बढ़ोत्तरी नहीं कर सके। तो श्रीमन्, फिर किस प्रकार बढ़ोत्तरी हो। सरकार मालिक तो चाहते हैं कि उन को तनख्वाह कम मिले

(व्यवधान)

कन्ट्राडिक्ट कर दीजिएगा ...।

तो श्रीमन् एक बात मैं और कहना चाहता हूं पब्लिक सेक्टर के बारे में। श्रीमन एक भावना यह फली है कि पब्लिक सेक्टर बड़ा ही प्रगतिशील है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में आप श्रमिकों को डालिये, उनको शेयर होल्डर बनाइये। यदि श्रमिक शेयरहोल्डर नहीं हो तो पब्लिक सेक्टर ब्यूरोक्रेट सेक्टर हो गया है, अधिकारी सेक्टर हो गया है, आई० ए० एस० सेक्टर हो गया है। इसी की वजह से केन्द्र को नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। श्रमिकों को पूंजी दीजिए, शेयरहोल्डर बनाइये।

श्री बाबू बदरे—

उनके पास पूंजी नहीं ह.... ।

श्री श्यामधर मिश्र—

हमारी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं यदि चाहें तो करोड़ों रुपये देकर उनको पब्लिक सेक्टर का शयरहोल्डर बना सकती है। ऐसी सूरत म में कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर वही चलेगा जिसमें जितने मजदूर हैं उनको शेयरहोल्डर बना दिया जाय। सरकार कोआपरेटिव के जरिये, यदि पूंजी उनके पास नहीं है, रुपये दे दे, शेयर दे दे, कर्ज दे दे।

श्रीमन्, एक दो बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात तो है इम्प्लाइमेन्ट एक्सचेन्ज के बारे में। इमप्लाइमेंट एक्सचेन्ज के बारे में हमारा बड़ा कटु अनुभव रहा है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि 51 व 52 हजार की संख्या बताई कि रोजगार पिछले साल दिलवाई इन्होंने। श्रीमन्, मेरा अनुभव तो यह रहा है, हो सकता है कुछ जगह सही हो कुछ जगह गलत हो। मैं नहीं कह सकता कि पहले नौकरी मिलती है और बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, उनका रजिस्ट्रेशन बाद में आता है और इसमें पैसा चलता है, भ्रष्टाचार चलता है और क्या नहीं चलता। तो ऐसी सूरत में अगर इतने बड़े प्रदेश में केवल 51,000 लोगों को इन संस्थाओं के जरिये रोजगार दिलाया है और जिस पर कितना खर्च हुआ और उस पर इतना खर्च हुआ तो आपको सोचना होगा कि किस तरह से कार्य करना चाहिए। इस देश में एक बड़ी बुर्दशा हो रही है टेक्निकल आफिसर्स की चाहे डाक्टर हों अथवा इंजीनियर। उनको वेतन कम मिलता है बनिस्बत आई० सी० एस० तथा पी० सी० एस० आफिसर्स के जो 20 वर्ष में ढाई या तीन हजार रुपये तक पहुंच जाते हैं। एक सचिव जब दूसरी जगह जाता है तो 150 रु० एडीशनल पे लेकर जाता है जब कि एक इंजीनियर या मेडिकल आफिसर दो हजार, ढाई हजार पर समाप्त हो जाता है और पेंशन भी उसे कम मिलती है। मेरा एक सुझाव है कि जो 500 रुपये तक कर्मचारी

वेतन पाते हों उनको 50 फीसदी पेंशन मिलनी चाहिए और उसके ऊपर वेतन पाने वालों को आप 40 परसेंट या उससे कम कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। इससे आप समाजवाद और सही व्यवस्था ला सकेंगे ।

*श्री बाबू बदरे--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं । इसमें दो तीन मौलिक प्रश्न हैं । श्रमिकों की जिन्दगी बनाना तथा बिगाड़ना कांग्रेस के लोगों पर था । 1948 में एक श्रमिक यूनियन थी और उसी को मान्यता थी और मजदूर उसके जरिये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा करते थे । 48 में वह यूनियन समाप्त हो गई और तब से आज तक कोई यूनियन भी रिकागनाइज नहीं की गई । कांग्रेस डरती थी कि अगर किसी को रिकगनाइज किया तो सोशलिस्ट अथवा कम्युनिस्टों की यूनियन ताकत में आ जायगी । बात वर्ग संघर्ष की जाती है और मजदूर किसान की बात कहकर उनका वोट लेकर यहां हम आते हैं और यहां आकर पूंजीपतियों की बोली हम बोलने लगते हैं और वर्ग संघर्ष को भूल जाते हैं, उस क्लास को भूल जाते हैं जिससे वोट लेकर आते हैं । लखनऊ में हड़ताल हुई । उनके नाम पर 10-10 लाख रुपया वसूल किया जा रहा है । श्रमिकों की यूनियन्स में किसी को भी आप हिम्मत के साथ मान्यता दे दें या वायोलेट दे दें। विधान परिषद् का चुनाव आप करते हैं तो एक मर्तबे हिम्मत करके माननीय मंत्री जी यूनियन का चुनाव करा दें और ऐसा नियम बना दें कि दो साल में उसका चुनाव होगा । इससे यह होगा कि मजदूर को लेवर लीडर से बदला लेने का मौका मिलेगा और जो यूनियन मजदूरों का हित नहीं करेगी या कुठाराघात करेगी उनको चुनाव में दूसरी यूनियन हरा देगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री श्यामदत्त पालीवाल... ।

श्री बाबू बदरे--

मान्यवर, मुझे बोलने दें । मैं वाक आउट कर जाऊंगा । यदि आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो जब तक आप उपाध्यक्ष रहेंगे, मैं नहीं बोलूंगा । मैं बहुत कम बोलता हूं । 5-7 मिनट ही और लूंगा । मजदूरों की जिन्दगी का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

बोलिये ।

श्री बाबू बदरे--

कंसीलिएशन के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, कंसीलियेशन से मजदूरों को कोई राहत नहीं मिलती । उनके अन्दर अपने अधिकारों को लेने की क्षमता है । 6 दिसम्बर, 1948 को आपने इन मजदूरों की यूनियनों को समाप्त कर दिया था । जिस प्रकार स्लाटर हाउस में जानवर काटे जाते हैं उसी तरह से कानपुर में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबू बदरे--]

मजदूर काटे जाते हैं । यह कानून किसने बनाया ? यह टेम्परेरी भरती का कानून किसने बनाया ? यह कांग्रेस ने बनाया ? अगर इन दीवारों में दीमक लग जाय तो दरवाजे गिर जायंगे । इसी तरह से मजदूरों की जिन्दगी बरबाद की गई इन टेम्पररी कानूनों के जरिए । एक सदस्य ने कहा कि यहां पर मजदूर नेता चुनकर आए हैं । मैं कहता हूं नेता नहीं आए हैं, मजदूर स्वयं आये हैं । जो मजदूरों से पैसा खाते हैं, उनका माल खाते हैं और तब उनका वकालतनामा लिखते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, मैं उनको नेता नहीं मानता हूं ।

इसके अलावा मैं लेबर कालोनीज के बारे में कहना चाहता हूं कि अफसरों की कालोनी देख लीजिए और मजदूरों की कालोनी देख लीजिए यह उनकी जिन्दगी का सवाल है । कानपुर में मैं जानता हूं कि किस तरह से मजदूर रह रहे हैं । मेरे क्षेत्र में जो मजदूरों की कालोनी हैं वहां पर लोगों को पानी नहीं मिलता है, पानी बन्द हो जाता है--एक घन्टे सिर्फ मिल पाता है, नाले की सफाई तक नहीं होती । तो इस बारे मे मंत्री जी देख लें कि इस विभाग में कितनी कमियां हैं । दूकानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वे एक समय में बन्द नहीं होती हैं । वे आधी खुली रहती हैं । यह कहां का कानून है कि जो इंस्पेक्टर इसे देखता है उसकी जेब में कुछ चला जाता है । जब मंत्री जी से शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि ठीक है...।

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर बहस समाप्त कर दी जाय ।

श्री बाबू बदरे--

मैं आखिरी में यह कहकर समाप्त करता हूं कि मंत्री जी मजदूरों की इन समस्याओं को हल कर लें तो बड़ी बात हो जायेगी । आप एक यूनियन को रिकगनाइज कर दें चाहे बैलेट से कराये या अपनी ताकत के बल से करायें जैसा कि सन् 48 में कांग्रेस ने किया । अगर आप ऐसा कर देंगे तो मजदूरों को उन लोगों से छुट्टी मिल जायेगी जो किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर वोट प्राप्त करते हैं लेकिन यहां हाउस में खड़े होकर पूंजीपतियों की बात करते हैं ।

श्री रणवीर सिंह--

जब तक बोलने वाले रहे आप बुलवाते रहे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैंने देव कुमार जी को बुला लिया है ।

श्री रणवीर सिंह--

हम लोगों की बिलकुल सुनवाई नहीं होती है, थोड़ा जूनियरों को भी मौका दीजिए ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

यह बोलने की रीति-नीति क्या है यह मुझे पता चल जाय तो मैं खड़ा नहीं हूंगा । मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष––

आखिर सदन की क्या नीति होगी । इस तरह से हाउस कब तक चलेगा ?

एक सदस्य––

वह लेबर लीडर हैं उनको समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं सबको लेबर लीडर समझता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह––

एक बयान आने वाला था उसको पहले ले लें उसके बाद इसको रात भर चाहे चलायें.....

श्री मन्जूर अहमद––

माननीय सदस्य देवकुमार जी को आपने बुला लिया था ।

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री––

मैंने इसे समाप्त करने का प्रस्ताव किया था ।

श्री उपाध्यक्ष––

आपने प्रस्ताव पेश कहां किया ?

श्री हरिपाल शास्त्री––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बजट पर अब बहस समाप्त की जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि इस पर बहस समाप्त की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्यामदत्त पालीवाल––

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री रणवीर सिंह––

यह रवैया उचित नहीं है मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

(कुछ सदस्यों के अनुरोध पर बैठ गये)

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)––

आपने पालीवाल जी को आदेश कर दिया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बाद प्रस्ताव आ गया।

(व्यवधान)

यह प्रस्ताव शासक दल की तरफ से आया है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मुझे हैरानी हो रही है जब आपने मुझे बोलने का अवसर दे दिया तो फिर प्रस्ताव करा दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने नहीं कराया, वह प्रस्ताव पहले लाए थे।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मेरा कहना यह है कि आपने पालीवाल जी को बुला लिया.....।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री तीन चार सदस्य और रह गए हैं बोलने वाले।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जब प्रस्ताव पास हो गया...।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन दूसरा प्रस्ताव भी ला सकता है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जब आपने प्रस्ताव करा लिया तो उसके बाद प्रश्न नहीं रह जाता है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मैं डिवीजन की मांग करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव पर मत लिया वह क्या न्यायसंगत था इस पर आप व्यवस्था दें। आपने मुझे बोलने के लिए कह दिया और मैंने शुरू कर दिया.....

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

शास्त्री जी का प्रस्ताव पहले आ गया था।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

आप पालीवाल जी को बुलवा लें।

(व्यवधान)

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मैं नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

शास्त्री जी का प्रस्ताव पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह अब इस पर वोटिंग को चैलेंज नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

पालीवाल जी, मैंने आपको बुलाया जरूर था, लेकिन अब यह प्रस्ताव पास हो गया। इसलिए मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इस पर जिद्द न करें।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

श्रीमन्, मैं इस कार्य के विरोध में इस सत्र में कभी किसी ग्रान्ट पर नहीं बोलूंगा।

(व्यवधान)

मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री श्यामदत्त पालीवाल सदन त्याग कर चले गए)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

जब हर काम गलत हो रहा है, तो पालीवाल जी ने क्या पाप किया था। आप थोड़ा उनको भी बोल लेने देते।

(व्यवधान)

*श्री देव कुमार --

मान्यवर, मैं दोनों तरफ के उन माननीय सदस्यों का बहुत अनुग्रहीत हूं, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इस प्रदेश के श्रमिकों के प्रति माननीय सदस्यों को कितनी दिलचस्पी है, यह इस बात से स्पष्ट है कि अब जिनको इस पर बोलने का मौका नहीं मिला पाया है, उनको क्षोभ है, लेकिन समय की अत्यधिक कमी के कारण उनको इस बात से वंचित रहना पड़ा है। मैं कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं उनकी सूचना में लाना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० में एक नया तरीका, श्रमिकों को नियमित करने के नियम से बचने के लिए निकाला गया है। वहां पर हजारों श्रमिक काम करते हैं, लेकिन अब पीस-रेट-कांट्रैक्ट के नाम से एक तरीका निकाला है। उसका मस्टर रोल कोई नहीं होगा, कुछ लोग ठेका लेकर काम पर मजदूर लगवायेंगे, जो कि उनके मजदूर होंगे, विभाग से उनको कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार से बहुत से श्रमिकों को सुविधा से वंचित होना पड़ेगा।

दूसरी बात, श्रमजीवी पत्रकारों की इस देश और प्रदेश में बड़ी दयनीय स्थिति है और इस बारे में भारत सरकार ने कई बार सूचनाएं जारी कीं और इसमें संशोधन बनी, लेकिन उनकी दशा सुधरती नहीं, उनको पूरा वेतन मिलता नहीं। लखनऊ में एसोसियेटेड प्रेस जर्नल है, जो कई महीने से बन्द पड़ा है, जिससे उसके हजारों कर्मचारी और मजदूर आज बेरोजगार हो गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनके प्रतिनिधियों को साथ लेकर भारत सरकार से बात कर इस समस्या का कोई न कोई निराकरण निकलवाने की कृपा करें, जिससे वहां के लोगों को रोजी मिल सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार—]

कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए आपने ऐसे-ऐसे आदेश पारित किए हैं, जो आपके राज्य में बहुत ही दण्डात्मक प्रतीत होते हैं। ए० जी० आफिस में वहां के ए० जी० ने कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक आदेश 14 मई को निकाला है, जिसके अनुसार कर्मचारियों के नेताओं के दफ्तर में घुसने पर रोक लगा दी गई है। इससे कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है और मैंने उसे यहां भी उठाया था।

मैं मन्त्री जी से एक अनुरोध यह और करूंगा कि वह खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में खासकर ध्यान दें, और बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनका सर्वेक्षण कराने की व्यवस्था करें। साथ ही इस देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि इस प्रदेश में आज 60 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। रिजर्वेशन की नीति पर आज बहुत जोर दे रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन से यह समस्या हल होने वाली नहीं है और उससे हमारे समाज में जहर फैल रहा है। आप उसके लिए संविधान में मौलिक परिवर्तन करें। आप पूंजीवादी देश की बात कर रहे थे, समाजवादी देशों में होकर आए हैं। उस मुल्क में शिक्षा और स्वास्थ्य के अतिरिक्त संविधान में परिवर्तन करके मकान का हक उसमें जोड़ दिया गया है। आप कोई ऐसा परिवर्तन करें जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। मान्यवर, मैं आई० टी० आई० के बारे में कहना चाहता हूं। आपके काफी संस्थान हैं, लेकिन वहां पर स्थान पर्याप्त नहीं हैं। आप केवल वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। बांदा जनपद की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर महिलाओं को आशुलिपि को सिखाने की व्यवस्था करें जिससे महिलाओं को रोजगार मिल सके। बाबू बदरे जी ने तथा मोती राम जी ने जो सुझाव दिए उनके लिए मैं उनका अनुग्रहीत हूं और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी उन पर अमल करेंगे।

श्री क्रान्ति कुमार—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने उपयोगी सुझाव दिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी भी श्रमिकों की समस्यायें हैं वह हल हो जाएं। मान्यवर, देव कुमार जी ने कहा कि मिनिमम वेज ऐक्ट बनाया गया है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। मान्यवर, वह बात सही है लेकिन जहां तक पालन करने का सवाल है, तो जो अन्य राजनैतिक पार्टियां हैं उन पर भी यह दायित्व आता है कि जो कानून बना है उसका पालन हो। भाई देव कुमार जी और उनकी पार्टी के लोग सहयोग दें कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन हो सके। हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से और पावर डेलीगेट करके जिससे उनका पालन हो सके।

मान्यवर, दूसरी चीज बंधुआ मजदूरों के बारे में कही गई, तो जहां-जहां यह बताया गया है वहां फिर से दिखवा लिया जायेगा। जो ओल्ड एज पेंशन का मामला रखा गया है वह शासन के विचाराधीन है कि इसको बढ़ाया जाए और उसको देने में परेशानी होती है इस ओर भी शासन सजग है। इस समय मान्यवर, हमारे पास 25 पंजीकृत ट्रेड यूनियन्स हैं और जिनके सदस्यों की संख्या 64282 है, किन्तु जितनी इफेक्टिवली काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। केवल शासन नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। जो काम करते हैं जब तक वह लगन और निष्ठा से काम नहीं करेंगे और जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करेंगे तब तक कोई काम हो पाना सम्भव नहीं है।

माननीय, एक बात एशोसिएटेड जर्नल्स के बारे में कही गई है। मैंने इसी सदन में भाषण में कहा कि श्रमिकों का जो पैसा है उसकी वसूलयाबी के लिए सर्टीफिकेटस इशू कर रहे हैं। मैंने तिवारी जी से परामर्श भी किया। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा चलाया हुआ अखबार है, इसे खतम नहीं होना चाहिए, यह मेरी कोशिश है लेकिन यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। जहां तक सरकार का प्रश्न है सरकार इस अखबार को नहीं ले सकती है। चलाने की भी स्थिति में नहीं है। इसलिए बात-चीत से ही जितना हो सकता है, उतनी कोशिश की जा रही है। अन्यथा मजदूरों की वसूलयाबी के पूरे प्रयत्न किये जायेंगे और भुगतान किया जायगा।

माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने बड़े ही बुनियादी सवाल उठाये हैं। वे एक समाजवादी व्यक्ति हैं यह सही है कि आज जो देश और प्रदेश की स्थिति है उस माहौल में जहां आप और हम हैं, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वे बातें पूरी नहीं हो सकेंगी। भविष्य में जरूर आशा है कि जितने भी बुनयादी प्रश्न रखे गये हैं, वे अवश्य ही पूरे होंगे।

यहां पर कहा गया कि ए० ओ० सी० ओज० के यहां से बहुत से रेफेरेन्सेज आते हैं उन पर अमल नहीं होता है। मैंने इसके बारे में निर्देश दे रखे हैं कि 15 दिन या अधिक से अधिक 1 महीने में अवश्य ही व्यवस्था हो जानी चाहिये।

माननीय सदस्यों ने आई० टी० आई० को प्रोडक्शन सेन्टर्स में कन्वर्ट करने की बात कही है। मैंने अभी हाल में उनके प्रधानाचार्यों की एक मीटिंग बुलायी थी और उसमें डिसकस किया कि किस प्रकार से हम इन्हें चला सकते हैं। जितना पैसा हमें सरकार से मिलता है वह बहुत ही कम है लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही मुझे आशा है निर्णय हो जायेगा।

अभी हमारे एक साथी ने कहा कि श्रमिकों की स्थिति बिगड़ रही है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले 2 महीनों में इसमें काफी सुधार आया है, कभी कोई मेजरस्ट्राइक नहीं हुआ है। और जहां पर कोई बात होती भी है तो वहां पर शीघ्रातिशीघ्र कन्सीलिएशन के माध्यम से समाप्त करा दी जाती है।

भाई बदरे जी ने कहा कि कंसीलिएशन से काम नहीं हो रहा है। मेरा उनसे निवेदन है कि अगर मजदूरों की न्यायोचित मांग हो तो शासन उनके लिए पूरा इम्प्रेस करता है और मुझे तो ऐसे मामलों में पूरी कामयाबी मिली है। काफी मामले तय हो रहे हैं और अगर आपका सहयोग बना रहेगा तो अवश्य ही कामयाबी मिलेगी और जहां नहीं मिलेगी लेबर कोर्टस में हल कराने की कोशिश की जायेगी।

एक भाई ने कहा कि लेबर कोर्टस में बड़ी देर होती है। इनके बारे में हमने कहा है कि हम अमली जामा पहनायेंगे।

लेबर कोर्टस में अभी तक कुछ डिले मजदूरों की ओर से होती थी क्योंकि मजदूर नेता पैरवी में नहीं आते थे और बहुत केसेज लगे रहते थे और कुछ मालिकों के द्वारा डिले होती थी। अब हमन यह निर्देश दे दिए हैं कि अगर मजदूर को समय पर न्याय नहीं मिला तो वह न्याय नहीं है। तो अगर मजदूरों के नेता नहीं आते ह तो वे अपना पक्ष अपने आप रखें और हमारे अधिकारी जो उचित बात हो उसको सुनें और शीघ्र निबटारा करें।

[श्री क्रान्ति कुमार--]

यहां पर इन्सटीट्यूट आफ लेबर की बात आयी । राकेश जी ने कही इसके बारे में छठी योजना में विचार चल रहा है, प्लानिंग विभाग और श्रम विभाग में। वे इसे देख रहे हैं और निश्चय ही कुछ फैसला हो जायगा ।

माननीय राम रतन सिंह जी ने आयल मिल्स के सम्बन्ध में कहा कि उनके मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है । अब यह मेरी जानकारी में लाया गया है, मैं इसकी पूरी व्यवस्था करूंगा कि उनको पूरा मिनिमम वेज मिले और कोई परेशानी न हो । जहां तक खेतिहर मजदूरों की बात कही गयी उसके लिए जनमत बनाना होगा, केवल कानून से ही वह सम्भव नहीं है ।

वन यूनियन फार वन इन्डस्ट्री की बात कही, मैं मूलतः उससे इत्तफाक करता हूं, पर वह हमारे क्षेत्र में नहीं है, भारत सरकार, यह सरकार और आप सबके सहयोग से ही ऐसा कानून का बनना सम्भव हो सकता है। आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुये मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा हो जाये ।

मुकीमुर्रहमान साहब ने जो कहा है, मैंने उनसे निवेदन किया है कि वे मुझे लिखकर दे दें मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से बात करूंगा, जो सम्भव है उसे करने का प्रयास करूंगा । मोतीराम जी ने जो कहा कि कपिटल बढ़ता जाता है, एक इन्डस्ट्री आगे चलकर कई इन्डस्ट्री में परिणत हो जाती है, तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में ऐसा होता है । उसके लिए जब तक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो जाती इसे रोकना सम्भव नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं मैं उनको अमलीजामा पहनाने का पूरा प्रयास करूंगा । माननीय देवबहादुर सिंह जी यदि वे मुनासिब समझें, अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

एक सदस्य--

टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीवालों ने जो नोटिस दे दिया है ।

श्री क्रान्तिकुमार--

उसके लिए मैं अपनी ओपनिंग स्पीच में कह चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 3,50,97,000 रुपय से अधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47--श्रम विभाग(सेवायोजन) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,12,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

एक सूचना देना है । उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 1 जून, 1979 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं :--

(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव 6 जून, 1979 को सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरांत लिये जांय । (2) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव 7 जून, 1979 को सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त लिये जांय । (3) लाल बहादुर शास्त्री जन प्रशासन संस्थान (लाल बहादुर शास्त्री इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) को मंसूरी से हटाकर माउन्ट आबू, राजस्थान में स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री रणजीत सिंह तथा श्री गोविन्द सिंह नगी के प्रस्ताव पर 8 जून, 1979 को सायंकाल 5 बजे के उपरान्त चर्चा की जाय। (4) 13 जून, 1979 को पंच वर्षीय योजना, 1978-83 तथा वार्षिक योजना 1979-80 के प्रारूप पर चर्चा की जाय ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक 1 जून, 1979 के उपवेशन में नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री श्रीनारायण ने

[श्री उपाध्यक्ष—]

दिया है । दिनांक 30 मई, 1979 को एन० ई० रेलवे की 14 डाउन आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन के लूटे जाने के सम्बन्ध में । मैंने इसे स्वीकार किया और 11-6-79 को वक्तव्य इसके बारे में आयेगा ।

राजकीय अतिथि गृह में ठहरे संसद सदस्य, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट तथा एक हरिजन महिला आपरेटर के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, वह जो वक्तव्य देने के लिए कहा गया था, पहले वह आप दे दें ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, दिनांक 30-5-1979 को स्टेट गेस्ट हाउस में कुछ घटनाएं हो गयीं, उसकी चर्चा आज सुबह हुई थी । उसके सम्बन्ध में जो अभी तक मेरे पास सूचना है उसके अनुसार मैं सदन को अवगत कराये दे रहा हूं । मान्यवर, राज्य सम्पत्ति अधिकारी के पास एक प्रार्थना दिनांक 31-5-1979 के अपराह्न में प्राप्त हुआ था, जिस पर 23 हस्ताक्षर हैं और जिसमें शिकायत की गयी थी कि स्टेट गेस्ट हाउस के कक्ष सं० 25 में श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, संसद सदस्य ठहरे हुए थे । शिकायत में यह कहा गया था कि श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह ने अपने कक्ष में वेटर को बुलाया तथा उसे मारा । इसके बाद नीचे उतर कर सभी को मारा और आफिस में बैठ कर मैनेजर को अपशब्द कहे ।

तत्पश्चात श्री सिंह पी० बी० एक्स० गये जहां उन्होंने टेलीफोन आपरेटर का हाथ पकड़ा और दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की । यह भी कहा गया कि उनके साथ 4-5 लोग थे । संसद सदस्य के विषय में यह शिकायत की गयी है कि उन्होंने पिस्तौल दिखाया जिसके डर से लोग बोल नहीं पाये । इस शिकायत के अतिरिक्त एक शिकायत श्रीमती विमला देवी, टलीफोन आपरेटर की भी राज्य सम्पत्ति विभाग में प्राप्त हुई है । इस शिकायत में यह कहा गया कि 30-5-1979 को रात के लगभग 10-30 बजे राज्य अतिथि गृह के कक्ष सं० 25 में ठहरे श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, संसद सदस्य मद्यपान किये हुये थे । उनके साथ दो अन्य व्यक्ति थे । उन्होंने वेटर और खानसामा से सामान मंगाया और वेटर को मारा पीटा तथा उससे गाली गालौज किया । इसके बाद पी० बी० एक्स० में आ गये और टलीफोन आपरेटर के साथ दुर्व्यवहार किया । अतिथि गृह में ठहरे संभ्रान्त व्यक्तियों ने इनको समझाया बुझाया और कमरे में भेजा ।

उपरोक्त शिकायत के अलावा श्रीमती विमला देवी की एक रिपोर्ट थाना हजरतगंज में 31-5-1979 को लगभग सवा दो घंटे बाद 7-15 बजे शाम को पहुंची और उसी समय धारा 354/295 भा० द० वि० के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया । इस प्रथम सूचना का सारांश भी श्रीमती विमला देवी की चर्चित शिकायत के अनुसार है । यह एफ० आई० आर० श्री आलोक बहुगुणा, अध्यक्ष आल इंडिया टेलीफोन द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रतीत होती है । थाना हजरतगंज पर रात्रि में 8-10 बजे पर श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, संसद सदस्य के मदिरापान कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वेटर तथा अन्य कर्मचारियों से मारपीट की और टेलीफोन आपरेटर के दुर्व्यवहार के विषय में एक और सूचना प्राप्त हुई जो, पूर्व पंजीकृत अपराध के साथ सम्बद्ध कर दी गयी है ।

यह अभी तक की सूचना जो है, इस सारी सूचना के उपरान्त जांच हो रही है, विवेचना हो रही है, पुलिस द्वारा कार्यवाही हो रही है और जब विवेचना होकर, जब तक सभी तथ्य सामने नहीं आते, तब तक सभी स्थिति को स्पष्ट करना शासन के लिए सम्भव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय रवीन्द्र प्रताप सिंह ने व्यक्तिगत रूप से लिखकर दिया हो, तो वह भी सुना दें ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि विमला देवी जो हरिजन लड़की है, उसने जो रिपोर्ट लिखाई है हजरतगंज थाने में उसमें कौन-कौन धारायें हैं ? नम्बर 2 क्या यह सही है कि राम प्रसाद जी जो वेटर था कैन्टीन का, उससे मछली मंगाई, 50 साल का बूढ़ा और उससे रवीन्द्र प्रताप सिंह जी एम० पी० हैं, ने मारपीट की और कैन्टीन के कर्मचारियों को भी मारा और उनसे कहा कि आप कहीं से लड़की दीजिये ।

(शोर)

विमला देवी के कमरे में घुस कर बलात्कार करने की कोशिश की, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

रिपोर्ट के बारे में बता दीजिए ।

श्री मधुकर दिघे--

शराब की जो बात है वह इसमें लिखी नहीं है, किस धारा में रिपोर्ट लिखी गयी तो धारा 354/294 में मुकदमा संख्या 897 दर्ज हो गया है । दूसरी बात कही गयी तो उन्होंने मछली बनाने के लिए कहा था और उसे मारा, तो इसमें जो शिकायत है उसमें यह नहीं कहा गया है । लेकिन राजेन्द्र कुमार जी पूछ रहे थे . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह पूछ रहा था कि इस घटना के सम्बन्ध में संसद सदस्य श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा भी क्या कोई पत्र अथवा स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो कृपया उसके सम्बन्ध में सदन को अवगत करा दें ?

श्री मधुकर दिघे--

माननीय राजेन्द्र कुमार जी की बात सही है । मुझे एक पत्र रवीन्द्र प्रताप सिंह का प्राप्त हुआ है । "आज प्रातःकाल समाचार पत्रों में यह पढ़कर मुझे बड़ा

[श्री मधुकर दिघे---]

आश्चर्य हुआ कि एक महिला कर्मचारी ने मेरे ऊपर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मुझे कुछ विधायक मित्रों ने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य शासन की ओर से, आदरणीय सदन में दिया जाना है। अतएव आपको वस्तुस्थिति से अवगत करा देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

मैं 30-6-79 को अपराह्न से स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरा था। वहां पर बड़ी दुर्व्यवस्था थी। एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था, पलंग की चादरें नहीं बदली गई थीं। मेरे बार-बार कहने पर दो घंटे के बाद व्यवस्था की गई। मैंने रात का भोजन बनाने को कहा तो बताया गया कि बावर्ची के छुट्टी पर जाने के कारण भोजन नहीं मिल सकेगा। खैर किसी तरह भोजन आया तो पानी में उबाली गई मछली व अन्य खराब तरह से पका भोजन परोसा गया। इन सारी दुर्व्यवस्था से असंतोष होना स्वाभाविक था। मैंने वहां के कर्मचारियों को डांटा फटकारा।

जहां तक महिला आपरेटर के साथ अभद्र व्यवहार तथा मद्यपान का प्रश्न है, यह बिलकुल बेबुनियाद सत्य से परे तथा मेरे राजनैतिक विरोधियों द्वारा मुझे बदनाम करने तथा मेरा चरित्र हनन करने के खड़यंत्र करने का परिणाम है।

मेरा अनुरोध है कि गेस्ट हाउस की दुर्व्यवस्था को दूर करने की व्यवस्था करने की कृपा करें।"

(शोर)

डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

बिना इजाजत बोल रहे हैं, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(कई सदस्य बोलने लगे) (शोर)

आपको जब बुलाया जायेगा तब बोलियेगा। यह कोई तरीका नहीं

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कहूं तब आप खड़े हों अब आप प्रश्न पूछें।

डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो कानून की सामान्य प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अन्तर्गत क्या संसद सदस्य की गिरफ्तारी की जायेगी, जैसा कि आमतौर पर सामान्य तौर पर होता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप पूंछे कि क्या कार्यवाही की गयी। गिरफ्तारी की बात आप क्यों पूंछ रहे हैं। आप पूंछें कि एफ० आई० आर० लिखा गया और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मधुकर दिघे--

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 30 तारीख को यह घटना है। 31 तारीख को 7 बजे 21 घंटे के बाद रिपोर्ट दर्ज की गयी। उसके बाद विवेचना शुरू कर दी गयी। विवेचना के बाद जो भी तथ्य निकलेंगे तो कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)--

यह घटना 30/31 की रात्रि की है, दूसरे दिन 31 को शाम को 7 बज एफ० आई० आर० हुआ है, तो 20 घंटे डिले का क्या कारण है। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आक्षेप किया है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय मंत्री जी ने जितनी रिपोर्ट बताई। विमला देवी ने कराई, वैटर ने कराई। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट किस तारीख को दर्ज हुई, इसकी विवेचना कौन कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो वह बता चुके, तारीख की बात बता चुके हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

विवेचना कौन कर रहा है, यह नहीं बताया। यह बता दिया जाये कि इसकी विवेचना कौन कर रहा है?

श्री मधुकर दिघे--

यह लिखित रिपोर्ट दर्ज की गई। 30-5-79 को रात्रि 10 बजे की घटना है। 31-5-79 को 19 बज कर 15 मिनट पर थाने में रपट लिखी गयी। नाम है श्रीमती बिमला देवी पत्नी बीरेन्द्र कुमार, निवासी सांतवीं गली, मकान नं० 75। विवेचना कर रहे हैं श्री आर० के० वर्मा, एस० आई०।

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)--

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भगवान दीन नामक संसद सदस्य उपस्थित थे? जहां पर मीटिंग होने के बाद एफ० आई० आर० लाज होने का निर्णय लिया गया।

श्री मधुकर दिघे--

इसकी कोई सूचना नहीं है।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह रबीन्द्र कुमार वही हैं जिन्होंने संजय गांधी को हराया है और जनता पार्टी से आये हैं। वह किस घटक से आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री छेदी (जिला गोन्डा)—

यह जानना चाहता हूं कि धारा 294 तथा धारा 354 में किन परिस्थितियों के अन्तर्गत आफेन्स बनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह क्या पूछ रहे हैं ? यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री छेदी—

सुन लें मेरी बात। धारा 294 तथा 354 में किन परिस्थितियों में आफेन्स बनते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने बताया एफ० आई० आर० की बातों को, तो जानना चाहता हूं कि, चूंकि अतिथि गृह का मामला है और वहां मैनेजर हैं, और दूसरे अधिकारी गण हैं तो क्या मंत्री जी ने उनसे पूंछतांछ करवायी है ? क्या उन लोगों ने अपना वक्तव्य दिया है क्योंकि माननीय संसद सदस्य कुछ और कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां 85 कमरे हैं ही नहीं।

एक सदस्य—

25 हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैंने 85 सुना है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि थाने पर रिपोर्ट तो अलग हुयी है वहां के कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों को भी लिखकर दिया है और 31-5-79 को अपराह्न में प्राप्त हुआ है। वहां कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी लेकिन हड़ताल बातचीत के बाद समाप्त हो गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है।

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोन्डा)—

मान्यवर, घटना की जांच हो रही है और एफ० आई० आर० बीस घंटे बाद लिखायी गयी, इसका क्य कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब बता चुके हैं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, स्टेट गेस्ट हाउस में टेलीफोन की व्यवस्था है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई कर्मचारियों को रवीन्द्र प्रताप सिंह ने मारा और सब बेचैन थे परेशान थे उसके बाद महिला के कमरे में जाकर बलात्कार करने की कुचेष्टा की तो मान्यवर, यह साधारण सी बात है कि ऐसी स्थिति में उनको टेलीफोन करना चाहिये था थाने में, तो क्या इस बलात्कार की कुचेष्ठा में चिल्लाहट में कर्मचारियों ने कोई थाने पर टेलीफोन किया।

श्री मधुकर दिघे---

बलात्कार का शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। हाथ पकड़ने और अभद्र व्यवहार करने की बात है लेकिन टेलीफोन वगैरह का जिक्र इसमें नहीं है।

श्री काली चरण (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, अब तक जितने तथ्य प्रकाश में आये हैं। उससे ऐसा लगता है, माननीय श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह ने एक शिकायत मंत्री जी को दी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अतिथि निवास में दुर्व्यवस्था तथा भोजन आदि में दुर्व्यवस्था थी उसके लिये उन्होंने डांटा फटकारा भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसद सदस्य उनके दुर्व्यहार की शिकायत कर दें इस भय से वहां अधिकारियों ने यह षडयंत्र करके रवीन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध आरोप दाखिल किये तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

(मेजों की थपथपाहट।)

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, इनको डिफेंस मंत्री बना दीजिये, अच्छा रहेगा।

श्री मधुकर दिघे---

यह तो जांच के उपरांत ही पता चल पायेगा।

*श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि रवीन्द्र प्रताप सिंह और उनके साथ 4 आदमी थे तो 5 आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट है तो फिर उसमें तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये और उनको गिरफ्तार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

उसकी जांच हो रही है। तफतीस हो रही है, उसके बाद कार्यवाही होगी।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मामले की गंभीरता को देखते हुये, जबकि साधारण जुर्म होने और थाने में रिपोर्ट करने पर आदमी गिरफ्तार हो जाता

[श्री मन्जूर अहमद--]

है, संसद सदस्य ने जुर्म किया है और उसकी कई लोगों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुये इन्सपेक्टर से जांच न कराकर सी० आई० डी० के किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराने के लिये क्या मंत्री जी तयार हैं और उनको गिरफ्तार किया जाय ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, प्रारम्भिक विवेचना हो रही है जब तक पूरी जांच होकर तथ्य न आ जांय तब तक सी० आई० डी० को कैसे दे दूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोगों को मालूम है कि पुलिस इसमें जांच कर रही है तो उसके तथ्य बाद में आ जायेंगे । इसलिये अब मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं । आप लोग बैठ जांय । अब मैं आइटम नं० 11 ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, सी० आई० डी० से मंत्री जी जांच नहीं करवा रहे हैं इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मंजूर अहमद ने एक बोतल सदन के फ्लोर पर फेंकी)

श्री उपाध्यक्ष—

मंजूर अहमद को मैं इंगित करता हूं ।

(श्री मंजूर अहमद कांग्रेस (आई०) दल के सभी सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री बाबू बदरे--

मैं श्री मंजूर अहमद के खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, यह तो सदन के समक्ष सदन की अवमानना हुई है, इसके लिये सदन सक्षम है कि कोई भी सदस्य प्रस्ताव रख सकता है कि उनको इस बात की सजा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

जिस समय मैंने कहा था इंगित करता हूं तब क्या वह यहां थे ?

(कई अवाजें थे, थे, थे ।)

श्री उपाध्यक्ष--

तो ये प्रस्ताव लायें ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मंजूर अहमद जिनको आपने इंगित किया है, सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है कि सदन की अवमानना पर पहली बार तीन दिन के लिये, दूसरी बार 7 दिन के लिये और तीसरी बार सदन के शेष काल के लिये निलम्बित किया जाता है । तो यह इनकी तीसरी घटना है । इसलिये इनको सदन के शेष काल के लिये निलम्बित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बार तो निलम्बन प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया था । अब नियम से जो बनता होगा वह होगा ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, सदन के सामने सदन की अवमानना हुई है इसलिये मैं विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको एक ही सजा दी जा सकती है, दो नहीं । प्रश्न यह है कि श्री मंजूर अहमद को निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

बांदा जिले के कमासिन गांव में भूदान यज्ञ में प्राप्त जमीन से भूमिहीन खेत मजदूरों एवं हरिजनों को विस्थापित कर कुछ व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा) (उप मुख्य मंत्री, राजस्व के पुकारे जाने पर)—

वक्तव्य बहुत लम्बा है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय । केवल आखिरी पैरा पढ़वा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है ।

उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बांदा जिले के कमासिन नामक जिस गांव की भूदान की भूमि से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं हरिजनों को उजाड़ा जा रहा होने की सूचना माननीय सदस्य द्वारा दी गई है उसमें कुल 1268 बीघा 15 बिस्वा भमि "भूदान यज्ञ" को दान

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री नारायण सिंह]

में प्राप्त हुई थी । इस समस्त भूमि का भू-दान यज्ञ में यह दान जमीन्दारी टूटने के पूर्व माह जून, 1952 में किया गया था और यह सम्पूर्ण रकबा राजस्व अभिलेखों में भू-दान समिति के नाम दर्ज कर दिया गया था । जिला भू-दान समिति बांदा के तत्कालीन संयोजक श्री अर्जुन भाई द्वारा यह भूमि गांव के लोगों में वितरित कर दी गयी थी । 1260 बीघा 15 बिस्वा क्षेत्रफल की इस कुल भूमि में से 756 बीघा 3 बिस्वां भूमि 93 व्यक्तियों में बांट दी गयी थी, जिनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । यह सभी 93 व्यक्ति जिन्हें दी गई भूमि पर कब्जा प्राप्त कर उस पर खेती करते चले आ रहे ह । इसके अतिरिक्त 54 बीघा 11 बिस्वा भूमि गांव सभा में चली गई थी । इस प्रकार प्रश्नगत ग्राम में भू-दान में प्राप्त हुई कुल 1268 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 810 बीघा 14 बिस्वा के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । शेष 458 बीघा 1 बिस्वा भूमि भी वितरित तो कर दी गई थी, किन्तु इस वितरण के जो दस्तावेज सम्बद्ध व्यक्तियों को जिला भू-दान समिति द्वारा दिए गये थे उन्हें बाद में जिला भू-दान समिति के तत्कालीन संयोजक श्री अर्जुन भाई के अनुयायी श्री महा प्रसाद ने यह कहकर इन व्यक्तियों से वापस ले लिया था कि वह स्वयं ही इस भूमि का इन व्यक्तियों के नाम अमलदरामद तहसील से करवा देंगे । किन्तु श्री महाप्रसाद ने इस भूमि का इन व्यक्तियों के नाम अमलदरामद कराने के बजाय इस भूमि हेतु, 'विनोवा नगर संयुक्त सहकारी समिति कमासिन' नामक एक सहकारी समिति रजिस्टर्ड करा दी और इसके बाद जिला भू-दान समिति के तत्कालीन संयोजक श्री अर्जुन भाई ने, इस बात का खयाल किये बगैर ही कि इस भूमि को वे पहले अन्य व्यक्तियों में वितरित कर चुके थे, यह भूमि इस सहकारी समिति को आवंटित कर दी । परिणामतः इस भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद भी, उन व्यक्तियों के बजाय, जिन्हें यह भूमि पहले वितरित की गई थी, वर्ष 1959 में "श्री महाप्रसाद सरपंच सहकारी कृषि समिति विनोवा नगर कमासिन" के नाम अंकित हो गया और तब से इस सहकारी समिति के सदस्यों ने इस भूमि पर खेती करवाना आरम्भ कर दिया । इसके लगभग 3 वर्ष पश्चात् दिनांक 31-8-1962 को कुछ समाज विरोधी तत्वों ने उक्त विनोवा नगर में डकैती डाली, जिसमें विनोवा नगर के निवासी बुरी तरह से घायल हो गये । नतीजा यह हुआ कि उक्त सहकारी समिति के सदस्य, जो बाहरी व्यक्ति थे, विनोवा नगर एवं जमीन छोड़कर चले गये ।

उक्त 458 बीघा 1 बिस्वा भूमि का जो अनियमित आवंटन "महाप्रसाद सरपंच सहकारी कृषि समिति कमासिन" के नाम कर दिया गया था उसे भू-दान यज्ञ अधिनियम की धारा 15-क के अन्तर्गत पारित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 6-11-1978 द्वारा निरस्त किया जा चुका है और भूमि वापस प्राप्त होकर राजस्व अभिलेखों में पुनः भू-दान समिति के नाम अंकित कर दी गयी है । इस भूमि का कब्जा भी, गत माह दिसम्बर, 1978 में, जिला भू-दान समिति बांदा को दे दिया गया है । इस भूमि के सम्बन्ध में जिला अधिकारी बांदा गत माह नवम्बर, 1978 में ही जिला भू-दान समिति को इस आशय का अनुरोध-पत्र भेज चुके थे कि वे इस भूमि को यथाशीघ्र पात्र व्यक्तियों में, अर्थात् भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में, नियमानुसार वितरित कर दें । इसके बाद भी पुनः एक अनुरोध-पत्र इस समिति को जिलाधिकारी द्वारा गत माह फरवरी, 1979 में भेजा गया था, जिसके उत्तर में जिलाधिकारी को समिति से प्राप्त हुई सूचना यह थी कि समिति के संयोजक के द्वारा भूमि का मौके पर सर्वेक्षण किया जा

चुका है और यह कि इस भूमि के वितरण के सिलसिले में कतिपय कठिनाइयां महसूस हुई है, जिन्हें दूर करके भूमि का नियमानुसार वितरण मार्च, 1979 में कर दिया जायेगा । किन्तु इस सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है । जिलाधिकारी को तहसीलदार से प्राप्त सूचना के अनुसार उस भूमि के नियमानुसार वितरण हेतु जिला भू-दान समिति के संयोजक कमासिन गांव गये थे किन्तु वापस चले गये, इस आधार पर कि सम्बन्धित भूमि के लिये बहुत से प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हो गये हैं और वह यह नहीं तय कर सके कि भूमि किसे दी जाय, क्योंकि उक्त व्यक्तियों के साथ वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें भूमि पहले से आवंटित की जा चुकी थी । लगता है इसी कारण प्रार्थियों में असंतोष व्याप्त है ।]

यह सही है कि वर्ष 1952 में भू-दान में प्राप्त हुई कथित 458 बीघा १ बिस्वा की भूमि के लाभ से अभी तक भूमिहीन पात्र व्यक्ति वंचित रख गये हैं किन्तु इस सम्बन्ध में मूल प्रश्न यह है कि जिन व्यक्तियों को पहले ही उक्त भूमि आवंटित कर दी गयी थी उनको ही यह भूमि दी जाये अथवा नहीं । पहले दिये गये पट्टों की वैधानिकता तथा व्यक्तियों की पात्रता के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिये जिलाधिकारी को आदेश दिये जा रहे है कि वे इस वैधानिक स्थिति की जांच कर अपने विचार सहित संस्तुति शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें, ताकि इस दिशा में अगली कार्यवाही की जा सके । आशा है कि इस दिशा में यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित हो सकेगी, ताकि किसी भी प्रकार के आरोप का निवारण हो सके ।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

यह जो 1267 बीघा जमीन का मामला है, इस जमीन से नहर निकली है, सिचाई हो रही है । 40/50 लाख की जमीन है । उस जमीन के बंटवारे का सवाल है कि कैसे बांटी जाय । जो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 810 बीघा जमीन में कोई विवाद नहीं है, उस जमीन को भी भूस्वामियों ने हड़प रखा है और हरिजनों को जमीन नहीं मिल पायी और जो शिकायत किया है कि कुछ जमीन गांव समाज में चली गयी, तो भूदान से गांव समाज में कैसे चली गयी ?

दूसरे जो कहा है कि 400 बीघा के करीब जो बांटने को है, यह भूदान समिति को बांटने की जिम्मेदारी दे रखी है । उसी भूदान समिति ने घपला किया है । उसी को फिर दे रहे हैं । जिलाधिकारी ने दो बार लिखा है, फिर भी जमीन नहीं बांटी गयी । तो क्या लखनऊ से कोई वरिष्ठ अधिकारी बांदा को भेजकर इस सारी 1268 बीघे जमीन की, जो 40/50 लाख की है, जांच करायेंगे और उसको भूमिहीन हरिजनों को बांटने के लिये कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं । इस 1268 में से 458 बीघा 1 बिस्वा भूमि के बारे में अगर आप कहेंगे तो किसी आदमी को भेजकर भूमिहीन मजदूरों में बंटवाने की कोशिश करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरा सवाल चाहें तो पूछ लें ।

श्री राम सजीवन--

मान्यवर, जो कह रहे हैं कि 810 बीघा जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तो उसमें कह रहा हूं कि तहसीलदार न रिपोर्ट दिया कि बंट गयी । लेकिन वह सारी जमीन भूस्वामियों के कब्जे में है । उस पर भी शिकायत है । भूदान समिति जो बनाई गई है, वह भी गलत है । हजारों रुपये का गोलमोल है । क्या वह 810 बीघा जमीन की भी जांच करवायेंगे और उसको बटवाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण सिंह--

एक शिकायत 28 मार्च, 1978 को मुख्य मंत्री जी को भेजी गयी थी । विशेष पुलिस से उसकी जांच करवायी गयी । जांच कराने के बाद जो तथ्य आये उसमें जैसा आप कह रहे हैं ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली । अगर माननीय सदस्य लिखित देंगे तो जांच करवा लेंगे ।

श्री राम सजीवन--

मैं निजी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि 810 बीघा जमीन पर बड़े भूस्वामियों का कब्जा है, उन्हीं को पट्टे मिले हैं । आप इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री नारायण सिंह--

मेरे और माननीय सदस्य के कथन में फर्क है । 756 बीघा 30 बिस्वा भूमि की मैं बात करता हूं जो नियमानुसार बांटी गयी । अगर वह भी आपके अनुसार नियमानुसार नहीं मिली तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसकी जांच करवाऊंगा । 54 बीघा 5 बिस्वा भूमि गांव समाज में निहित है उसके लिए मैं कोई आश्वासन नहीं देता ।

ग्राम हसनपुर, जनपद आगरा के खुशीराम धोबी की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (रमाशंकर कौशिक)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21-5-79 को लगभग 11-30 बजे दिन में श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री यादराम धोबी निवासी हसनपुर थाना खन्दौली जनपद आगरा ने थाना खन्दौली पर इस आशय की लिखित सूचना अंकित करायी कि उसी दिन सुबह करीब दस बजे गांव के दस नामजद ठाकुर जाति के व्यक्ति कट्टे तथा लाठियां लेकर वादी के ताऊ के घर के पास आये एवं वादी के ताऊ, उनके लड़के तथा वादी के चाचा को ईंट न ढ़ोने के लिये ललकारा एवं पहले लाठियों से वार किया तथा बाद में कट्टों से फायर करना शुरु कर दिया जिसके परिणामस्वरुप खुशीराम धोबी की मौके पर मृत्यु हो गई एवं अन्य 6 व्यक्ति जिसमें श्री भम्पोला राम हेड मास्टर एवं दो महिलायें भी सम्मिलित थीं, घायल हुये । उक्त सूचना पर थाना खन्दौली पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । घटना की सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष मय उपनिरीक्षक

तथा क्षेत्राधिकारी अविलम्ब घटनास्थल पर पहुंचे एवं तुरन्त प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ की गई । परिणामस्वरुप प्रथम सूचना में नामजद 4 अभियुक्त दिनांक 21–5–79 को ही गिरफ्तार करके जेल भेजे गये तथा घटना में प्रयोग किया गया एक तमंचा मय कारतूस बरामद किया गया । शेष 6 भागे हुये अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा० फौ० की कार्यवाही की गई जिसके परिणाम स्वरुप 4 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । उन्हें दिनांक 26–5–79 को जेल भेजा गया । दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयत्नशील है ।

दिनांक 22–4–79 को श्री लाला राम धोबी निवासी हसनपुर ने थाना खन्दौली पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पूरों में आग लगाये जाने की सूचना पर वादी भागकर बाहर आया तो उसने देखा कि पूरों में काफी जोर से आग लगी हुई है जिस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया । आग से वादी के मकान, अमुक धोबियों एवं अमुक ठाकुरों के मकानों तथा खलिहानों में काफी नुकसान हुआ है । उक्त सूचना पर थाना खन्दौली पर अभियोग अन्तर्गत धारा 436 भा० दं० वि० पंजीकृत करके विवेचना की गई । विवेचना से पाया गया कि इस अग्निकांड में 9 मकान धोबियों के 4 मकान ठाकुरों के तथा 2 ठाकुरों के खलिहान जले थे । जांच से इस बात का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ कि आग ठाकुरों द्वारा लगाई गई थी ।

उक्त ग्राम में कुछ धोबी भट्टों से ईंट किराये पर ढोने का कार्य करते हैं। श्री खुशीराम धोबी ने गोपाल ठाकुर की ईंट ढ़ोने से इन्कार कर दिया जिस पर कहा सुनी हुई और झगड़ा बढ़ गया तथा उक्त घटना घटित हुई । जांच से यह बात सही नहीं पाई गई कि उक्त ग्राम के धोबियों से बेगार मजदूरी कराई जाती है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)––

क्या यह माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि यह चार व्यक्ति जिनके पास से कट्टा बरामद हुए और गिरफ्तारी हुई जब यह रिपोर्ट लिखाने गये थे वही थानेदार ने इनको बन्द कर दिया ? दूसरे यह कि 82/83 की कार्यवाही किस दिन हुई और जो लोग सरन्डर हो गये थे, क्या उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक––

प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)––

यह भूतपूर्व प्रधान भूपत सिंह चौहान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित है । भूपत सिंह चौहान के बारे में सभी जानते हैं कि वह जिन्दगी भर हरिजनों का उद्धार करता रहा और स्वतंत्रता संग्राम लड़ा । हर व्यक्ति के लिए यह कहना कि हरिजनों पर अत्याचार हुआ यह एक टेन्डेन्सी बन गयी है । क्या यह सही है कि इस धोबी के पिता धूरा ने इसी परिवार के एक व्यक्ति को मार दिया था और उसमें धूरा को सजा हुई थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक––

मान्यवर, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगें कि इन 6 भागे हुय अभियुक्त के अतिरिक्त भी कुछ लोगों के विरुद्ध धारा 83, 84 की कार्यवाही की गयी है ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मैंने निवेदन किया कि 26 तारीख को 83, 84 की कार्यवाही 6 व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी जिनमें से चारों ने आत्म समर्पण कर दिया । अगर माननीय विधायक का यह कहना है कि जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उनका भी सामान कुर्क किया गया है तो उसकी जांच करा ली जायगी और उनका सामान वापस कर दिया जायगा ।

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कारतूस बरामद हुआ क्या माननीय मंत्री जी के पास जानकारी है कि यह लाइसेन्सी ह या गैर लाइसेन्सी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह तो गैर लाइसेन्सी है ।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इन परिवारों के अन्दर कोई और मुकदमा 307 में चल रहा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि पुलिस ने जातिवाद के आधार पर कुर्की की है और लाखों रुपये खा गये क्या इस बात की जानकारी करने की कृपा करेगें ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

कुर्की के सम्बन्ध में मैंने बताया कि यदि माननीय विधायक की मन्शा यह है कि चार व्यक्तियों के विरुद्ध 83, 84 की कार्यवाही करने के बाद उन्होंने आत्म समर्पण किया है यदि उनके सामान की भी कुर्की की गयी है तो उस की जांच करा ली जायगी और सामान वापस किया जायगा ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है वहां तनाव है तो क्या तनाव आगे न बढ़े इस तरह की व्यवस्था पुलिस द्वारा उस गांव में की गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई आवश्यक नहीं है । यह तो पुलिस का काम है ।

अब हम उठते हैं और 4-6-79 की 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 12 मिनट पर सोमवार, 4 जून, 1979 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

1 जून , 1979

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०—4 वि० सभा--3-5-80--850--(पी० डी०